BEDD215DST

हिंदी भाषा शिक्षण

बी. एड.

द्वितीय वर्ष के लिए

डॉयरेक्टोरेट ऑफ़ ट्रान्सलेशन एण्ड पब्लिकेशन्स
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

© मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
प्रकाशन क्रमांक -34
ISBN: 978-93-80322-40-7
संस्करणः अगस्त 2018

प्रकाशक : रजिस्ट्रार, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
प्रकाशन : अगस्त 2018
प्रतियाँ : 500
मूल्य : रू 100 (दूर शिक्षा के छात्रों की प्रवेश फ़ीस में पुस्तक का मूल्य सम्मिलित है)
मुद्रित : मैसर्स प्रिण्ट टाईम एण्ड बिज़नेस एण्टरप्राइज़ेज़, हैदराबाद

हिंदी भाषा शिक्षण

सम्पादक
डा. अश्वनी
सहायक प्रोफ़ेसर, डॉयरेक्टोरेट ऑफ़ डिस्टेन्स एजुकेशन
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

रजिस्ट्रार की ओर से
डॉयरेक्टोरेट ऑफ़ डिस्टेन्स एजुकेशन
ने
डॉयरेक्टोरेट ऑफ़ ट्रान्सलेशन एण्ड पब्लिकेशन्स
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
गच्चीबौली, हैदराबाद–500032
के सहयोग से प्रकाशित की
E-mail: directordtp@manuu.edu.in

दूर शिक्षा के छात्र–छात्राएं अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर सम्पर्क कर सकते हैं

डॉयरेक्टर

डॉयरेक्टोरेट ऑफ़ डिस्टेन्स एजुकेशन

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी

गच्चीबौली, हैदराबाद–500032

Phone No.: 1800-425-2958, website: www.manuu.ac.in

सूची

			पृष्ठ
	सन्देश	कुलपति	5
	दो शब्द	डॉयरेक्टर, डीटीपी	6
	पाठ्यक्रम परिचय	सम्पादक	7
	इकाई	लेखक	
6	भाषा शिक्षण– एक दृष्टि	डॉ. ऑफताब अहमद अंसारी सहायक प्रोफेसर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा, बिहार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	10
7	पाठ्यक्रम और पाठ्य–सामग्री	डॉ. मो. हनीफ अहमद सहायक प्रोफेसर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन संभल, उत्तर प्रदेश मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	30
8	सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण और विश्लेषण	डॉ. अश्वनी सहायक प्रोफेसर दूर शिक्षा निदेशालय मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	52
9	मूल्यांकन की भूमिका और महत्व	अनिल कुमार सहायक प्रोफेसर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन नूह, हरियाणा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	74
10	प्रश्न पत्र रचना, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों के आधार बिंदु	पूजा सिंह सहायक प्रोफेसर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, नूह, हरियाणा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	88

संपादक – डॉ. अश्वनी
सहायक प्रोफेसर
दूर शिक्षा निदेशालय अतिथि
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

भाषा संपादन
इबरार खान
प्राध्यापक, दूर शिक्षा निदेशालय
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

संदेश
कुलपति

संसद के अधिनियम के अनुसार मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इसका प्राथमिक उद्देश्य इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा उर्दू में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार है। यह मूल भूत बिन्दु इसे दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग करता है। इसका उद्देश्य उर्दू के माध्यम से ज्ञान का विकास व इस सोच के साथ समसामयिक ज्ञान को उर्दू के लोगों तक पहुँचाना है। एक लम्बे अर्से से उर्दू का दामन ज्ञान की सामग्री से लगभग ख़ाली रहा है। किसी भी पुस्तकालय या पुस्तक विक्रेता की अलमारियों का सरसरी जायज़ा भी इस बात की गवाही देता है कि उर्दू भाषा केवल ''साहित्य'' की कुछ विधाओं तक सीमित होकर रह गयी है। लगभग यही स्थिति सभी समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं में देखने को मिलती है। ये रचनाएं कभी पाठक को प्रेम प्रसंग की टेढ़ी–मेढ़ी राहों की सैर करवाती हैं तो कभी भावुकता से लबरेज़ राजनैतिक समस्याओं में उलझा देती हैं, कभी किसी विशेष पंथ और चिन्तन वाली पृष्ठभूमि में धर्म की व्याख्या करती हैं तो कभी शिकायतों से मन को भारी करती हैं! उर्दू समाज के आज के दौर के मुख्य ज्ञानात्मक मुद्दे चाहे स्वंय उसके स्वास्थ व भलाई से सम्बन्धित हों या आर्थिक व व्यापार प्रबन्ध से, चाहे उन मशीनों और यंत्रों से सम्बन्धित जिनके बीच वह जीवन गुज़ार रहा है या उसके परिवेश की समस्यायें हों। वह इन सभी से अन्जाने हैं। आम लोगों तक ज्ञान व जानकारी के प्रति इन चीज़ों की पहुंच न होने से लोगों में रूचि की कमी का माहौल बन गया है, इसी के कारण उर्दू आबादियों में ज्ञान की कमी पायी जाती है। यही वो चुनौती है जिस से उर्दू विश्वविद्यालय को दो चार होना है। पाठ्यक्रम सामग्री की हालत भी कुछ बेहतर नही है। स्कूली सतह पर उर्दू किताबों की कमी के चर्चे हर साल सुनने को मिलते हैं। उर्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम ही उर्दू है, और इसके विभिन्न विभागों में लगभग सभी विषयों के पाठ्यक्रम मौजूद है अतः पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पढ़ाई जाने वाली सामग्री को किताब के तौर पर तैयार करना, इस विश्वविद्यालय का मुख्य उत्तरदायित्व है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुवाद व प्रकाशन निदेशालय की स्थापना की गयी है। मुझे इस बात की बेहद ख़ुशी है कि अपनी स्थापना के एक साल के अंदर ही ये नया वृक्ष फल देने लगा है। इस निदेशालय के ज़िम्मेदारों की अनथक मेहनत व प्रयासों और लेखकों के योगदान से किताबों के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है कि कम से कम समय में पाठ्यक्रम और सहपाठ्यक्रम की पुस्तकों के प्रकाशन के बाद इसके ज़िम्मेदार उर्दू अवाम के लिए भी सरल व समझ में आने वाली भाषा में पुस्तकों, पत्रिकाओं व शिक्षण सामग्री का प्रकाशन शुरू करेंगे ताकि हम इस विश्वविद्यालय के अस्तित्व और इसमें अपनी मौजूदगी का हक़ अदा कर सकें।

डॉ. मोहम्मद असलम परवेज़
प्रथम सेवक
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

दो शब्द

हिन्दुस्तान में उर्दू माध्यम से शिक्षा की प्रगति न हो पाने के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण पाठ्यक्रमों हेतु उर्दू में किताबों का न होना भी है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी रहे हैं लेकिन उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की अच्छी किताबें उर्दू में न मिल पाने की शिकायत हमेशा बनी रही है। सन् 1998 ई. में जब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय 'मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी' की स्थापना की गई तो बड़े स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए मात्र पाठ्यक्रम की किताबों की ही नहीं बल्कि सन्दर्भ ग्रन्थों तथा विभिन्न प्रकार के विषयों की किताबों की भी ज़रूरत महसूस हुई।

मौजूदा कुलपति डॉ. मोहम्मद असलम परवेज़ ने यहाँ पदभार ग्रहण करने के साथ ही उर्दू किताबों की छपाई के सिलसिले में बहुत तेज़ी से फ़ैसला लिया और डॉयरेक्टोरेट ऑफ़ ट्रान्स्लेशन की स्थापना की गई। इस डॉयरेक्टोरेट में बड़े पैमाने पर पाठ्यक्रम व अन्य ज्ञानवर्धक किताबों की तैयारी का काम जारी है। यह कोशिश की जा रही है कि तमाम पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का लेखन उर्दू में सीधे तौर पर विषय–विशेषज्ञों से ही करवाया जाए। महत्वपूर्ण तथा सुप्रसिद्ध पुस्तकों के उर्दू में अनुवाद की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि ये डॉयरेक्टोरेट पूरे देश में छपाई के मामले में एक बड़ा केन्द्र साबित होगा और यहाँ से अधिक संख्या में उर्दू किताबें प्रकाशित होंगी। डॉयरेक्टोरेट ने फ़रवरी 2018 में प्राणी विज्ञान एवं कीटविज्ञान से सम्बन्धित शब्दकोश से अपना प्रकाशन शुरु कर दिया है।

प्रस्तुत पुस्तक उन चौंतीस पुस्तकों में से एक है जो बी. एड. के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गयी हैं। ये किताबें विशेष रूप से दूर शिक्षा के विद्यार्थीयों के लिए हैं। इन किताबों से संस्थागत विद्यार्थी भी फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा ये किताबें शिक्षा–शिक्षण के आम विद्यार्थी, अध्यापक तथा पढ़ने में रुचि रखने वालों के लिए भी ज्ञानवर्धक साबित होंगी।

ये स्वीकारोक्ति भी आवश्यक है कि इस किताब की तैयारी में सीधे तौर पर कुलपति महोदय का नेतृत्व और संरक्षण भी शामिल है। उनकी व्यक्तिगत रुचि के बिना इन पुस्तकों का प्रकाशन मुमकिन नहीं था। दूर शिक्षा निदेशालय और शिक्षा विभाग के अध्यापकगण एवं प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोगों की मदद भी शामिल रही है जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है।

उम्मीद है कि अध्ययनकर्ता व विषय विशेषज्ञ इस सन्दर्भ में हमें अपने सुझाव देंगे।

प्रो. मोहम्मद ज़फ़रुददीन
डॉयरेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ़ ट्रान्स्लेशन एण्ड पब्लिकेशन्स
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

पाठ्यक्रम परिचय

हिंदी भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम के विशेष उद्देश्य

- भाषा की अलग–अलग भूमिकाओं को जानना।
- भाषा सीखने की सृजनात्मक प्रक्रिया को जानना।
- भाषा के स्वरूप और व्यवस्था को समझना।
- स्कूल की भाषा, बच्चों की भाषा के बीच के संबंध को जानना।
- भाषा के संदर्भ में पढ़ने के अधिकार, शांति और पर्यावरण के प्रति सचेत होना।
- भाषा सीखने के तरीके और प्रक्रिया को जानना और समझना।
- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण कर कक्षा विशेष और बच्चों की समझ के अनुसार ढ़ालना।
- भाषा और साहित्य के संबंध को जानना।
- हिंदी भाषा के विविध रूपों और अभिव्यक्तियों को जानना।
- भावों और विचारों की स्वतंत्रतानपूर्वक अभिव्यक्त करना।
- भाषायी बारीकियों के प्रति संवेदनशील होना।
- विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता को पहचानना।
- बच्चों की भाषायी विकास के प्रति समझ बनाना और उसे समुन्नत करने के लिए विद्यालय में तरह–तरह के अवसर जुटाना।
- भाषा के मूल्यांकन की प्रक्रिया को जानना।
- साहित्यिक और गैर साहित्यिक मौलिक रचनाओं की सराहना की समझ बनाना।
- भाषा सीखने–सिखाने के सृजनात्मक दृष्टिकोण को समझना।

हिंदी भाषा शिक्षण के इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए प्रभावी शिक्षक तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम में यह प्रयास किया गया है कि हिंदी शिक्षण के शिक्षाशास्त्रीय–सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके उनके व्यावहारिक प्रयोग करने की क्षमता आप में विकसित हो सके। इसमें आपको ऐसी सामग्री प्रदान करने का प्रयास किया गया है। जिससे आपके भाषा तथा साहित्य विषयक ज्ञान का नवीकरण होने के साथ–साथ उसका समुन्नयन व संवर्धन भी हो सके।

हिंदी को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को दिया था। भारतीय संविधान की धारा 350–क. में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने और धारा 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गये हैं । इस तरह हिंदी के पठन व शिक्षण को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। वर्तमान में हिंदी में रोज़गार की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं जैसे – हिंदी में विज्ञापन लेखन, हॉलीवुड फिल्मों की डबिंग, हिंदी समाचार चैनलों में बढ़ोतरी, हिंदी फिल्म लेखन–गीत लेखन, हिंदी कॉल सेंटर, गूगल में हिंदी भाषा की आवश्यकता आदि। भारत सरकार के सभी विभागों, बैंकों व एन.जी.ओ. में हिंदी अधिकारी की नियुक्ति, अध्यापन के क्षेत्र में भी हिंदी अध्यापक की मांग बढ़ती जा रही है। सूचना व संप्रेषण के युग में सोशल मीडिया बुनियादी ज़रूरत बन गया है। इंटरनेट की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो गई है। जिस कारण भारत में आज हिंदी का बोलबाला बढ़ रहा है। आज हिंदी के शिक्षक को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। सूचना व संप्रेषण तकनीक ने सभी भाषाओं के पढ़ने–पढ़ाने के तौर तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया

है। आज हिंदी शिक्षक को भी वर्तमान दौर में नई शिक्षण विधियों से परिचित होना होगा, जिससे वह शिक्षण की प्रक्रिया में अपने आपको पिछड़ा महसूस न करे। इस पाठ्यक्रम में यह कोशिश की गई है कि आप हिंदी की आधुनिक शिक्षण विधियों से परिचित होकर कक्षा में आसान तरीकों से हिंदी अध्यापन करें । जिससे विद्यार्थी व अध्यापक दोनों सहजता का अनुभव करें।

हिंदी भाषा शिक्षण के इस पाठ्यक्रम में पांच इकाइयां हैं।

इकाई 6– भाषा शिक्षण– एक दृष्टि

भाषा सीखने एवं सिखाने की विभिन्न दृष्टियां – भाषा अर्जन और अधिगम का दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार, समग्र भाषा दृष्टि, भाषा सीखने–सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि (वॉयगात्स्की, चॉम्स्की) आदि भारतीय भाषा दृष्टि (पाणिनी, कामता प्रसाद गुरू, किशोरी दास वाजपेयी) आदि।

इकाई 7– पाठ्यक्रम और पाठ्य–सामग्री

पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों का संबंध, पाठ्यक्रम को बच्चों के अनुरूप ढालना, शिक्षण को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ते हुए तथा रटंत प्रणाली का निषेध करते हुए सामग्री चयन, गतिविधि और अभ्यास सामग्री का निर्माण, शोधकर्ता के रूप में शिक्षक अलग–अलग बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री बनाए।

इकाई 8– सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण और विश्लेषण

पत्रिकाएँ, अखबार, कक्षा–पुस्तकालय आदि। आई.सी.टी., दृश्य श्रव्य सामग्री, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, भाषा प्रयोगशाला, सहसंज्ञानात्मक गतिविधियों की रूपरेखा (चर्चा, वादविवाद, खेल, कार्यशालाएं, गोष्ठी) आदि

इकाई 9– मूल्यांकन की भूमिका और महत्व

- मूल्यांकन की भूमिका मौलिकता और भाषा प्रयोग में सृजनात्मकता
- भाषा विकास की प्रगति का आकलन
- सतत् और समग्र मूल्यांकन
- स्वमूल्यांकन
- आपसी मूल्यांकन
- समूह मूल्यांकन
- पोर्टफोलियो

इकाई 10– प्रश्न पत्र रचना, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों के आधार बिंदु

- ब्लूप्रिन्ट के आधार पर प्रश्न पत्र रचना व परिणामों का विश्लेषण
- प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों के आधार बिंदु
- समस्या समाधान संबंधी प्रश्न
- सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न
- समालोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न
- कल्पनाशीलता को जीवित करने वाले प्रश्न
- परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न
- गतिविधि और टॉस्क (खुले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न)
- प्रतिपुष्टि (विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक) और रिपोर्ट

इकाई 6 – हिन्दी भाषा शिक्षण – एक दृष्टि

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 भाषा अर्जन
6.3.1 भाषा अधिगम का दार्शनिक आधार
6.3.2 भाषा अधिगम का सामाजिक आधार
6.3.3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
6.3.4 दार्शनिक दृष्टिकोण
6.4 भाषा सीखने एवं सिखाने की विभिन्न दृष्टियाँ
6.4.1 भाषा अर्जन
6.4.2 भाषा–अधिगम
6.5 समग्र भाषा दृष्टिकोण
6.6 रचनात्मक दृष्टिकोण
6.6.1 अर्जन अधिगम परिकल्पना
6.6.2 निगरानी परिकल्पना
6.6.3 स्वाभाविक क्रम परिकल्पना
6.6.4 अदा प्रक्रिया
6.6.5 भावात्मक फिल्टर परिकल्पना
6.7 भाषा सीखने एवं सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि
6.7.1 चॉम्स्की का बहुभाषिक दृष्टिकोण
6.7.2 वॉयगोत्सकी का बहुभाषिक दृष्टिकोण
6.8 भारतीय भाषा दृष्टिकोण
6.8.1 पाणिनी
6.8.2 कामता प्रसाद गुरू
6.8.3 किशोरी दास वाजपेयी
6.9 अभ्यास प्रश्न
6.9.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
6.9.2 लघु उत्तरीय प्रश्न
6.10 संदर्भ

6.1 प्रस्तावना

सीखना मानव जीवन की एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जो सतत् एवं जीवन पर्यन्त तक चलती है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और वह जीवन भर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सीखता रहता है। धीरे– धीरे वह अपने आप को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। भाषा सीखने के लिए वातावरण चाहिए होता है। बच्चा अपने घर, माता–पिता, मित्रमण्डली आदि में वार्त्तालाप व बोल चाल शुरू करता है लेकिन इसमें भी भाषा सीखने की एक प्रक्रिया रहती है। बच्चा जो वातावरण में सुनता है उसका अनुकरण करके दोहराता भी है। भाषा को औपचारिक तौर पर भी सीखा जाता है ताकि भाषा का ज्ञान समृद्ध हो सके। भाषा शिक्षण में कहीं न कहीं क्रिया पक्ष की विशेषता रहती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण भी भाषा अधिगम का औपचारिक तरीका है।

6.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- भाषा सीखने एवं सिखाने की दृष्टियों को जान सकेंगे।
- भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार को समझ सकेंगे।
- विभिन्न विद्वानों की भाषा सीखने–सिखाने की दृष्टियों को समझ सकेंगे।
- भाषा में शब्द निर्माण एवं संप्रत्यय निर्माण को सीख सकेंगे।
- भारतीय भाषा के विभिन्न दृष्टिकोणों को व्यवहार में ला सकेंगे।

6.3 भाषा अर्जन

भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। इस तरह जब कोई बालक भाषा अर्जन की इस प्रक्रिया को सीख जाता है तो उसके अंदर मानव भाषा को ग्रहण करने की क्षमता अर्जित हो जाती है और वह इस तरह अर्जित की गई भाषा को बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से आसानी से प्रयोग करता है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणीय नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया में बालक को एक प्राकृतिक संप्रेषण स्रोत की आवश्यकता होती है। इस तरह के माध्यम से वह भाषा सीख लेता है। अर्थात्, बालक वातावरण और लोगों के बीच अंतक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। इसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है।

6.3.1 भाषा अधिगम का दार्शनिक आधार

भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया नियमबद्ध होती है अर्थात् भाषा व्याकरणीय नियमों से सिखाई जाती है। इसमें बालक सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है। भाषा सीखने के लिए भिन्न–भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा की लेखन

प्रक्रिया पर भी ज़ोर दिया जाता है। इसमें भाषा सिखाने की, भाषा की संरचना, भाषा के नियम, शब्द विज्ञान एवं रूप विज्ञान का भलीभाँति ध्यान रखा जाता है। भाषा को सिखाते समय बच्चे की अर्जित भाषा का सहारा लिया जाता है। इसमें नियमों को बच्चे को स्मरण कराया जाता है।

पाणिनी का महत्वपूर्ण अष्ठ अध्याय है। जिसमें कि आठ अध्याय हैं। अपने कार्य में पाणिनी ने देवों की पवित्र भाषा एवं सम्प्रेषण की भाषा के बीच विभेदीकरण किया और व्याकरण के नियम एवं परिभाषाएँ दीं। वाक्य विन्यास संयोजक संज्ञाओं को एक नियमबद्ध तरीके से विश्लेषण एवं व्याख्या करते हुए भाषा के नवीन सिद्धांत दिए। भाषा अधिगम का दार्शनिक आधार एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। इस आधार में जब बालक को किसी भाषा का ज्ञान दिया जाता है तो भाषा के व्याकरणीय नियमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक को भाषा का ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा की संरचना, भाषा के नियम शब्द विज्ञान का एवं रूप विज्ञान का भलीभांति ध्यान रखा जाता है। इस आधार पर जब बालक को ज्ञान दिया जाता है तो बच्चों की अर्जित भाषा का प्रयोग किया जाता है और इस तरह जब बालक भाषा अधिगम के दार्शनिक आधार को पूर्णतः सीख जाता है। तब वह उस भाषा को आसानी व शुद्ध तरीके से बोल सकता और समझ सकता है। अगर बालक को पूर्ण रूप से इसका ज्ञान न दिया जाय तो उस बालक को उस भाषा को समझने तथा बोलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

6.3.2 भाषा अधिगम का सामाजिक आधार :–

भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी मनुष्य अकेला जीवन नहीं गुजार सकता है और वह एक ही समय में एक या एक से अधिक समाज या सामाजिक समूहों का सदस्य होता है। इसके साथ–साथ वह अपने सामाजिक कार्यों के लिए भाषा पर निर्भर रहता है। सामाजिक रचना एवं समाज में विचार विनिमय की आवश्यकता ने ही भाषा को जन्म दिया है। इसी कारण विभिन्न स्थलों और भिन्न–भिन्न समय में या काल में व्याप्त भाषाओं की भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि तत्कालीन समाज में कुछ विशेष ध्वनियों को मान्यताएँ प्रदान की हैं और उसी के आधार पर वस्तुओं का निर्माण किया गया है। उसी के आधार पर समुदाय ने अपनी भाषा ध्वनि शब्द, रूप, वाक्यों आदि का विकास किया है। बालक समाज में रहकर ही उस समाज की भाषा को अर्जित करता है। हर समाज की अपनी एक भाषा होती है और उस पर उस समाज की अमिट छाप मौजूद रहती है अर्थात् भाषा से समाज को और समाज को भाषा से समझा जाता है। इसी कारण समाज शास्त्री भाषा को सामाजिक क्रिया के रूप में देखते हैं। भाषा के माध्यम से ही यह पता चलता है कि अमुक समुदाय के विभिन्न वर्गों के मध्य किस प्रकार की अन्तःक्रिया होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉयगोत्सकी ने भाषा एवं समाज के मध्य गहरे रिश्ते की बात की है। भाषा और समाज का संबंध अविछिन्न माना गया है। दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। हर भाषा का अपना एक अलग ही समाज होता है जहां वह प्रयुक्त होती है। किसी भी भाषा का उन्नयन समाज द्वारा ही होता है। व्यक्ति समाज के बिना न तो भाषा सीख सकता है और न ही उसको शिक्षित माना जाता है। जैसे समाज अपने अस्तित्व के लिए भाषा पर निर्भर हैं वैसे ही भाषा पूर्णतः समाज सापेक्ष है और यही भाषा और समाज की जीवंतता का आधार है। कोई भी मनुष्य

अकेला जीवन नहीं गुजार सकता है। मनुष्य अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए समाज का सहारा लेता है और समाज का सहारा लेने के लिए उसे किसी न किसी भाषा का सहारा अवश्य ही लेना पड़ता है। जब तक वह भाषा का सहारा नहीं लेगा अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। जहां तक भाषा की उत्पत्ति की बात है तो इसकी उत्पत्ति सामाजिक रचना एवं समाज में विचार–विनियम की आवश्यकता ने ही भाषा को जन्म दिया है। इसी कारण भिन्न–भिन्न समाज के अंदर भिन्न–भिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यह भाषा समय और काल के तहत बदलती रहती हैं क्योंकि समय समय पर समाज के अंदर कुछ विशेष ध्वनियों की मान्यता होती है और उसी के आधार पर वस्तुओ का निर्माण किया जाता है व उसी आधार पर समुदाय या समाज अपनी भाषा, ध्वनि, शब्दों, रूप, वाक्यों आदि का विकास करता है। जब तक किसी समाज के द्वारा किसी भाषा को बोला नहीं जाएगा तब तक उस समाज के अंदर उस भाषा का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी भाषा का विकास करना है तो उसे समाज के द्वारा अपनाना बहुत जरूरी है। तभी उस भाषा का विकास संभव है।

6.3.3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण :– मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा का संबंध हमारी मानसिक प्रक्रिया से है। किसी उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे मन में उत्पन्न प्रतिक्रिया जब ध्वनि की शक्ल लेती है तभी भाषा का जन्म होता है अर्थात् भाषा एक प्रकार से उत्तेजन प्रतिक्रिया, ध्वन्न प्रक्रिया की ही श्रृंखला है। एक व्यक्ति के मन का प्रत्यय शब्द बिम्ब का रूप ग्रहण करता है। उसके पश्चात वह शब्द संकेत ध्वनि संकेत के रूप में परिणत होता है। फिर श्रवण के द्वारा ध्वनि संकेत का रूप ग्रहण कर श्रोता के मन में प्रत्यय (संकेत) उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और यही ध्वनि संकेत, वक्ता और श्रोता में सान्निध्य (दूरी या नजदीक) का कारण बनता है। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का अर्जन एक अनुबंधित प्रक्रिया है, जबकि रचनात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा अर्जन एक वातावरणीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। चौम्सकी मानते हैं कि भाषा अर्जन के लिए मनुष्य में एक अर्न्तनिहित और जन्मजात खाका (ढाँचा) होता है। उसी के कारण मनुष्य भाषा सीख पाता है। संज्ञान–परक मनोवैज्ञानिकों ने भाषा अर्जन को मस्तिष्क एवं स्नायुमंडल से जोड़ा है। उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन एक सामाजिक एवं वातावरणीय प्रक्रिया है और उसमें मस्तिष्क एवं स्नायुमंडल की अहम भूमिका रहती है।

6.3.4 दार्शनिक दृष्टिकोण : भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने भाव, विचार एवं इच्छा को प्रकट करता है। भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है। उसके बारे में विभिन्न दार्शनिकों ने भिन्न–भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं।

इसमें तीन वाद महत्वपूर्ण हैं। व्यवहार वाद, परिकल्पना परीक्षण, मूल प्रवृतिवाद।

(क) व्यवहार वाद के अनुसार – मनुष्य भाषा का अर्जन अनुबंधन प्रक्रिया से करता है। जिन ध्वनि संकेतों पर उसको पुरष्कृत किया जाता है। वह उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है और जिन ध्वनि संकेतों पर उसको दण्ड दिया जाता है, वह उनको छोड़ देता है।

(ख) परिकल्पना परीक्षण – इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले एक परिकल्पना का निर्माण करता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसका परीक्षण करता है और इस प्रकार वह उसका अधिगम होता है। भाषा के संदर्भ में इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि

किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए वह अभिकल्पित ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है। यदि वह भाव या विचार भलीभाँति सम्प्रेषित हो जाती है, तो उसकी परिकल्पना सही साबित होती है, अर्थात् सम्प्रेषण के माध्यम से ही वह अपनी परिकल्पना का परीक्षण कर लेता है और वह उसकी भाषा का अंश बन जाता है।

(ग) मूल–प्रवृत्तिवाद – मूल–प्रवृत्तिवाद वाक्यानुसार ऐसे अन्र्तनिहित होते हैं जो मनुष्य को वाक्य रचना से संबंधित एवं सार्वभौमिक व्याकरण सीखने में सहायक होता है अर्थात् भाषा सीखना मनुष्य की मूल–प्रवृत्ति होती है और इसी कारण वह भाषा दूसरे जीवों की अपेक्षा शीघ्र सीखता है भाषा का अर्जन मूल प्रवृत्ति का अंश होता है। व्याकरण के नियम सीमित होते हैं किन्तु मनुष्य सत्यतः वाक्य–निर्माण मूल–प्रवृत्ति के कारण ही कर पाता है।

6.4 भाषा सीखने एवं सिखाने की विभिन्न दृष्टियाँ

6.4.1 भाषा अर्जन

भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणीय नियमों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। भाषा के अर्जन की प्रक्रिया में बालक को एक प्राकृतिक सम्प्रेषण के स्रोत की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी उसी के माध्यम से भाषा सीख लेते अर्थात् बालक वातावरण और लोगों के बीच अंतक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। इसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है।

6.4.2 भाषा–अधिगम

भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नियमबद्ध होती है अर्थात् भाषा व्याकरणीय नियमों से सिखाई जाती है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है। भाषा को सीखने के लिए भिन्न–भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की लेखन प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। इसमें भाषा सिखाने में भाषा की संरचना, भाषा के नियम, शब्द विज्ञान एवं रूप विज्ञान का भलीभाँति ध्यान रखा जाता है। भाषा सिखाते समय बच्चे की अर्जित भाषा का सहारा लिया जाता है। इसमें नियमों को बच्चों को स्मरण करवाया जाता है।

6.5 समग्र भाषा दृष्टिकोण

बालक भाषा के अंश को न सीखकर उसके समग्र रूप को सीखता है अर्थात् व्याकरण की पुस्तक में दिये गये रूप जैसे – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को न सीखकर वह समग्र रूप से भाषा का अर्जन एवं अधिगम करता है। भाषा पर समाज, संस्कृति, भौगोलिक एवं ऐतिहासिकता की अमिट छाप रहती है। अतः भाषा सिखाते समय इन आधारों को मानकर शिक्षकों को ध्यान में रखना होता है। भाषा सांस्कृतिक तौर पर प्रासंगिक (संदर्भ) हो, क्योंकि भाषा का रूप व्यवहारिक है और बालक जिस समाज में और जिस संस्कृति में रहता है उसके प्रसंग (संदर्भ) में ही भाषा का अधिगम करता है। इसके अलावा भाषा का शिक्षण एवं अधिगम सम्प्रेषण प्रधान होना चाहिए। सम्प्रेषण प्रधान अधिगम में बालक सक्रिय रहता है। इसमें बालक के साथियों माता–पिता एवं अध्यापक सभी का सहयोग रहता है अर्थात् भाषा अर्जन एवं अधिगम में नई संकल्पना बनाने में इन सभी का पूर्ण रूपेण सहयोग रहता है। समग्र भाषा दृष्टि भाषा सीखने–सिखाने का एक दर्शन है। इस प्रक्रिया में बालकों को कैसे

भाषा को पढ़ाएँ इस पर विचार किया जाता है। इसमें ऐसी विधि अपनाने पर बल दिया जाता है कि बालक को विषय बोझिल न लगे तथा वह उत्युकतापूर्वक भाषा अर्जन करे। यह क्रिया उसे आनंददायक लगे। इससे व्याकरण की पुस्तक में दिये गए रूप जैसे–संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को न सिखाकर वह समग्र रूप से भाषा का अर्जन एवं अधिगम करता है। उदाहरण के लिए अगर कक्षा एक के शुरूआती दौर में बच्चों को कहा जाये कि वह घर से स्कूल आते वक्त उन्होंने रास्ते में क्या–क्या देखा ? फिर दूसरे दिन उसके द्वारा कही बात को बोर्ड पर लिखने की शुरूआत की जाय। इसका उद्देश्य यह था कि बच्चों की समझ में आ जाए कि जो कहा जा सकता है उसे लिखा भी जा सकता है। फिर शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर लिखे गए वाक्यों को ऊंगली रखकर पढ़ाने की शुरूआत की जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है की बच्चों को यह मालूम हो सके कि लिखी गई बातों को पढ़ा भी जा सकता है। इस तरह शिक्षक चाहे तो वह कविता, कहानी पर भी काम कर सकता है। शिक्षक कविता या कहानी का यह अंश बच्चों को तीन– चार बार सुनाए और फिर उससे लिखने को कहे। इस तरह हम कह सकते हैं कि समग्र भाषा दृष्टि में बालक भाषा के अंश को न सीखकर उसके समग्र रूप को सीखता है।

6.6 रचनात्मक दृष्टिकोण – भाषा सीखने–सिखाने की रचनात्मक दृष्टि एक ऐसी रणनीति है जिसमें पूर्वज्ञान अवस्थाओं और कौशल का प्रयोग होता है। भाषा सीखनं–सिखाने की इस रचनात्मक दृष्टि के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक प्रश्न उठाता है और विद्यार्थियों के जवाब तलाशने की प्रक्रिया का निरीक्षण करता है और उन्हें निर्देशित करता है इसके साथ–साथ सोचने समझने के नए तरीकों का सूत्रपात करता है। रचनात्मक दृष्टिकोण को देने वाले प्रसिद्ध भाषाविद क्रेसन थे। उन्होंने बताया कि भाषा सीखते समय तीन आन्तरिक प्रक्रियाएँ काम करती हैं – अवचेतन, पृथ्वीकरण एवं शुद्धिकरण, निगरानी।
भाषा अर्जन हेतु उन्होंने 5 परिकल्पनाओं का निर्माण किया।

6.6.1 अर्जन अधिगम परिकल्पना :– भाषा अर्जन में ज्ञान को अवचेतन मन ग्रहण करके सम्प्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र करता है। ये प्रक्रिया मातृभाषा के अर्जन में प्रयोग होती है किन्तु भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है इसमें बालक भाषा के विषय को ज्ञानत्र व्याकरण या संरचना की शक्ल में स्वीकार करता है और अपनी इस प्रक्रिया से बालक भाषा से परिचित होता रहता है।

6.6.2 निगरानी परिकल्पना :–
ये परिकल्पना भाषा के ग्रहण व अधिगम को किस प्रकार अर्जित किया जाता है ? इसकी व्याख्या करती है। अर्जित भाषा से बालक किसी शब्द को उच्चारित करता है और अधिगम प्रक्रिया निगरानी के माध्यम से यह पता लगाता है कि उच्चारित शब्द सही है या गलत और उसमें जरूरी परिवर्तन करके भाषा के रूप को शुद्ध किया जाता है। लेकिन क्रेसन ने यह भी बताया कि कभी–कभी यह निगरानी भाषा के सीखने में बाधा का काम भी करती है। यदि बालक का ध्यान भाषा के शुद्धतम रूप पर हुआ तो यह भाषा के प्रवाह को प्रभावित करता है।

6.6.3 स्वाभाविक क्रम परिकल्पना :– क्रेसन के अनुसार अधिगमकर्ता भाषा के कुछ अंशों का अर्जन एक ऐसे क्रम में करता है जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी भी भाषा में कुछ व्याकरणीय संरचना व तत्व पहले अर्जित करता है। कुछ का बाद में अर्थात् इस अर्जन एक स्वाभाविक क्रम के अनुसार बोलता है। अतः इस परिकल्पना के अनुसार भाषा अर्जन अपने स्वतंत्र रूप में अपने स्वाभाविक क्रम को अपनाता है और अध्यापक उस स्वाभाविक क्रम को बदल कर भाषा का अधिगम नहीं करवा सकता।

6.6.4 अदा प्रक्रिया :- इस परिकल्पना के अनुसार भाषा अर्जन तभी होता है जब बालक सम्प्रेषित संदेश का बोध कर पाता है अर्थात् कोई सम्प्रत्य तभी सीखा जा सकता है जब बालक उसका बोध कर पाए। इसलिए नई भाषा सिखाने के लिए पहले से सीखी गई भाषा की सहायता लेना आवश्यक है।

6.6.5 भावात्मक फिल्टर परिकल्पना :– क्रेसन के अनुसार भाषा अर्जन में एक रूकावट बहुत अहम भूमिका निभाती है जो कि भावात्मक फिल्टर है अर्थात् कुछ ऐसे परिर्वत्य (चर) जो कि अधिगम में बाधा उत्पन्न करते हैं और अदा को मस्तिष्क तक पहुँचने में एक रूकावट का काम करते हैं। जैसे– चिन्ता, प्रेरणा की कमी, तनाव एवं मानसिक दबाव। ये वे तनाव चर हैं जो भाषा अर्जन एवं अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्रेसन की इस सिद्धांत की काफी आलोचना भी की गई किन्तु यह रचनात्मक दृष्टिकोण का एक अहम सिद्धांत माना जाता है। जो बताता है कि बालक किस प्रकार एक स्वाभाविक क्रम में या स्वयं की निगरानी में भाषा का अर्जन एवं अधिगम करता है और भाषा अधिगम में बाधक तत्व कौन–कौन से हैं।

6.7 भाषा सीखने एवं सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि

संसार में हजारों भाषाएँ एवं बोलियाँ प्रचलित हैं और उसको बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं जो भाषा बालक अपनी माँ से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है किन्तु अपने व्यावहारिक जीवन में शिक्षा के लिए और अपने अन्य कार्यों को चलाने के लिए मनुष्य मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा भी सीखता है। भाषा वैज्ञानिकों के सामने एक अहम प्रश्न है कि मनुष्य ये भाषाएँ किस प्रकार सीख पाता है। इस पर भाषाविदों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिसमें चॉम्स्की एवं वॉयगोत्सकी का नाम मुख्य है।

6.7.1 चॉम्स्की का बहुभाषिक दृष्टिकोण

बहुभाषिक दृष्टिकोण के संबंध में चॉम्स्की का कहना है कि मानव अपने जन्म से ही इस योग्य होता है कि वह कोई न कोई भाषा सीख सके। उनके अनुसार मनुष्य के बचपन से ही उसके मस्तिष्क पर पहले से ही कुछ भाषाई संरचना बनी रहती है। जब शुरूआत के दौर में कोई बालक किसी भाषा को सीखता है तो वह भाषा अर्जन विधि का ही प्रयोग करता है। वह उस वक्त केवल नए शब्द संग्रह को ही सीखना चाहता है। दूसरी तरफ चॉम्स्की का मानना है कि बालक केवल अनुकरण के माध्यम से ही लिखे, यह संभव नहीं होता है क्योंकि बालक जिस वातावरण में रह रहा होता है वह हमेशा परिष्कृत एवं परिमार्जित नहीं होता है। वह अनियमित

भी हो सकता है। उनका मानना है कि चाहे कोई भी भाषा हो उसको मस्तिष्क के द्वारा तरतीब दी जाती है। बालक की जो प्रारंभिक आयु होती है (5–6) उस वक्त वह मातृभाषा को बोलने लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति व्याकरणीय रूप से गलत वाक्य बोलता है तो बालक तुरंत सचेत हो जाता है। इस प्रकार चॉम्स्की ने भाषा सीखने–सिखाने के लिए बहुभाषिक दृष्टिकोण दिया है। चॉम्स्की यह मानते हैं कि बालक कोई भी भाषा सीखने के लिए योग्यता लेकर पैदा होता है। उन्होंने माना कि कुछ भाषायी संरचना बच्चे के मस्तिष्क पर पहले से ही अंकित होती है जिसके फलस्वरूप बच्चा भाषा का सही रूप बोल पाता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक भाषा–अर्जन उपकरण यंत्र के साथ पैदा होता है जिस पर व्याकरणीय संरचना और भाषा के मुख्य सिद्धांत का एक प्रकार से अंकन रहता है। बच्चे को केवल नये शब्द संग्रह को सीखना होता है और उनको पहले से मस्तिष्क में मौजूद भाषायी यंत्र में ढालना होता है।

चॉम्स्की ने बताया कि बच्चा केवल अनुकरण के माध्यम से ही सीखे ये असंभव है, क्योंकि उसके आसपास के वातावरण में बोली जानी वाली भाषा हमेशा परिष्कृत एवं परिमार्जित नहीं होती है, बल्कि काफी हद तक अनियमित भी होती है। इसके साथ–साथ व्याकरण सम्मत भी नहीं होती है। हर भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वर्ण, शब्द मौजूद रहते हैं और बच्चे को अपने मस्तिष्क में अंकित यंत्र में उसको केवल सुसज्जित करना होता है। कोई भी बच्चा किसी भी बौद्धिक स्तर का हो, वह 5–6 वर्ष की आयु तक धारा प्रवाह से एक भाषा जो उसकी मातृभाषा भाषा है या राजकीय भाषा है बोलने लगता है। यदि उसके सामने कोई व्यक्ति व्याकरणीय रूप से गलत वाक्य बोलता है तो बालक उसको तुरंत नोटिस कर लेता है।

6.7.2 वॉयगोत्सकी का बहुभाषिक दृष्टिकोण :–

वॉयगोत्सकी एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव–सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया साथ ही साथ उन्होंने भाषा सीखने–सिखाने के बहुभाषिक दृष्टिकोण के संबंध में बताया कि भाषा के विकास में संप्रेषण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जो भाषा का विकास होता है और जिसमें मनुष्य एक दूसरे से अपने भाव एवं विचारों का सम्प्रेषण करता है। इस तरह जब उस समाज के लोगों का एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती है तो भाषा का भी संप्रेषण होता है। जिससे मनुष्य के लिए संबंधों की भाषा का विकास होता है। बहुभाषिक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। अगर देखा जाए तो विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एकभाषिक की तुलना में बहुत अधिक है। विद्वानों का मत है कि द्विभाषिकता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं वयक्तित्त्व के विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह समाज तथा देश को एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध भी बनाने में मदद करती है। वॉयगोत्सकी के अनुसार सम्प्रेषण के उद्देश्य से सामाजिक अंर्तक्रिया के द्वारा भाषा का विकास होता है अर्थात् मनुष्य एक दूसरे से अपने भाव एवं विचारों का सम्प्रेषण करना चाहता है और उसके लिए समाज में मौजूद लोगों के साथ अंर्तक्रिया करता है और उसी के द्वारा मनुष्य के Interaction भाषा का विकास होता है। वॉयगोत्सकी ने

दर्शनशास्त्र भाषाविज्ञान, एवं साहित्य एवं मनोविज्ञान में कार्य किया। भाषा के संबंध में उनका विचार था कि विचारों का विकास एवं भाषा के विकास में गहरा संबंध है।

''विचार एवं भाषा की उत्पत्ति''

विचार की उत्पत्ति मनुष्य के मन में होती है। जिसके माध्यम से वह अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है। यह एक तरह से अशाब्दिक होता है। मनुष्य के जन्म के शुरूआती दौर मे जब वह दो वर्ष की अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द मिल जाते हैं। जिसकी सहायता से वह अपने विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाने लगता है। जहां तक भाषा के प्रयोग की बात है तो यह आरंभिक अवस्था में सामाजिक अंतःक्रिया के लिए होता है। इस समय बालक की वैचारिक संरचना बन जाती है और वह अपनी पूरी उम्र इसी की सहायता से अपने विचारों को व्यक्त करता है। सर्वप्रथम विचार अशाब्दिक होते हैं। दो वर्ष की अवस्था तक पहुँचते–पहुँचते भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बालक को शब्द मिल जाते हैं और भाषा में तार्किकता आने लगती है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक अंर्तक्रिया के लिए होता है लेकिन एक समय पर भाषा बच्चे की वैचारिक संरचना बन जाती है।

''शब्द निर्माण एवं संप्रत्यय निर्माण''

जब बच्चा यह महसूस करने लगता है कि प्रत्येक चीज का एक नाम है तब उसके समकक्ष कोई भी नई वस्तु एक समस्यात्मक परिस्थिति की तरह उत्पन्न होती है और उसका हल उस वस्तु को नाम देकर करता है। जब उसके पास उस वस्तु के लिए नाम नहीं होता है तो वह अपने बड़ों के पास जाकर उसका नाम पूछता है। इसी प्रकार उसके आरंभिक शब्द का निर्माण होता है जो धीरे धीरे उसका संप्रत्यय का रूप ले लेते हैं। अगर देखा जाय तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया सभी समुन्नत भाषाओं में हुआ करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से अनेक नवीन शब्द बनते हैं। शब्द किसी भी भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है और प्रत्येक भाषा में शब्द का एक व्यापक भंडार होता है। व्याकरण के अंतर्गत इस पूरी प्रक्रिया पर विचार किया गया है। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनको हम पहली बार सुनकर इसका प्रयोग सहजता से करने लगते हैं और उससे बनने वाले नए शब्द का प्रयोग भी निरंतर करते रहते हैं। जहां तक शब्द निर्माण की बात है तो जब बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में महसूस होने लगता है वॉयगोत्सकी ने भाषा के तीन प्रकार बताए हैं।

(1) वॉयगोत्सकी ने भाषा को तीन प्रकार से विभेदीकरण किया है।

(क) सामाजिक वाक्

(ख) मूक अन्तः वाक्

(ग) निजी वाक्

(क) सामाजिक वाक् – सामाजिक वाक् का मतलब उस वाक्य से है जो कि बच्चा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज या अपने आस–पास के दूसरे लोगों के साथ सम्प्रेषण

करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता हैं। अगर देखा जाय तो इसकी शुरूआत दो वर्ष की आयु से ही शुरू होने लगती है।

(ख) मूक अंतः वाक् – मूक अंतः वाक् उस स्थिति को कहते है जब बच्चा स्वंय से बात करे और उसे कोई दूसरा व्यक्ति न सुने। इसका इस्तेमाल बच्चों की तीन साल के बाद की आयु से शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत बच्चा अपने आप को र्निदेशित करने का काम करता है। धीरे–धीरे छात्र यह समझने लगता है कि शिक्षण दरअसल एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इस किस्म की दृष्टि हर उम्र के छात्रों के लिए कारगर है। यह वयस्कों पर भी काम करती है।

(ग) निजी वाक् – इसका प्रयोग बच्चा स्वयं से बात करने के लिए और बौद्धिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है। ये तीन साल की आयु से शुरू होती है। इसमें बच्चा स्वयं से भी जोर से बात करता है। धीरे–धीरे यह वाक्य मूक वाक् का रूप ले लेती है अर्थात् बच्चा स्वयं से तो बात करता है किन्तु उसको दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पाता है। इसी को वॉयगोत्सकी ने "मूक अन्तः वाक" कहा है। वॉयगोत्सकी पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले निजी वाक् की महत्ता को बताया। उन्होंने बताया कि निजी सामाजिक एवं अन्तः मूक् वाक् के बीच स्थानान्तरण का काम करता है और इसी के माध्यम से भाषा वैचारिक संरचना बन जाती है।

6.8 भारतीय–भाषा दृष्टिकोण :–

6.8.1 पाणिनी

पाणिनी संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर–पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। जिसमें आठ अध्याय और लगभग चार सहस्त्र हैं। वहीं संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत देने में पाणिनी का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है। इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन आदि के प्रसंग स्थान–स्थान पर अंकित हैं। पाणिनी का व्याकरण संसार का पहला औपचारिक तंत्र है। इसका विकास 19वीं सदी के गोंटलॉब फ्रेज के अन्वेषण और उसके बाद के गणित के विकास से बहुत पहले ही हो गया था। अपने व्याकरण का स्परूप बनाने में पाणिनी ने *सहायक प्रतीकों* का प्रयोग किया। जिसमें नए शब्दों की श्रेणियों का विभाजन किया ताकि व्याकरण की व्युत्पत्तियों को यथेष्ट रूप से नियंत्रित किया जा सके। पाणिनी का भाषीय औजार अनुपयुक्त पोस्ट सिस्टम के रूप में भली भांति वर्णित है। पाणिनी एक संस्कृत व्याकरण ज्ञाता थे और उन्होंने ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान एवं स्वर विज्ञान पर विस्तृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भाषा विज्ञान के जन्मदाता के रूप में पाणिनी को पूरे विश्व में जाना जाता है। संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ पूर्ण अथवा श्रेष्ठ है क्योंकि यह माना जाता है कि यह देवों की भाषा है और इस देवों की भाषा के संदर्भ में व्याकरणीय भाषा विश्लेषण इनका है।

6.8.2 कामता प्रसाद गुरु :–

कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरू का जन्म सागर में सन् 1875 ई. में हुआ था। उन्होंने बालसखा तथा सरस्वती जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। वह बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे इन्हें भाषाओं का ज्ञान था किंतु गुरू की असाधारण

ख्याति उनकी साहित्यिक कृतियों से नहीं बल्कि हिंदी व्याकरण में असाधारण कार्य के कारण है। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रकाशन उन्होंने सर्वप्रथम काशी में अपनी लेखमाला में किया तथा पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण माना जाता है। कतिपय विदेशी भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए है। *संक्षिप्त हिंदी व्याकरण* और प्रथम हिंदी व्याकरण इसी के संक्षिप्त रूप का संस्करण है। उन्होने अपनी जिन्दगी में कई बार कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिष्कार किए। सन् 1920 हिन्दी व्याकरण का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि थोड़े ही समय में हिन्दी व्याकरण ने कई युग के बराबर उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। जिसमें कामता प्रसाद गुरू की हिन्दी व्याकरण की पहली पुस्तक थीं। हिन्दी व्याकरण की पुस्तक के प्रकाशन के पहले ही इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं किन्तु उनको प्रसिद्धि व्याकरण की पुस्तक से ही मिली। इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व हिन्दी व्याकरण के विषय पर पत्रिका 'सरस्वती' में छपा था। इसके पश्चात् 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' ने 1915 में हिन्दी व्याकरण पर एक व्यापक सर्वग्राही पुस्तक लिखने का आवेदन किया। इस पुस्तक को तैयार करने में उनको 5 वर्ष लगे। गुरू के हिन्दी व्याकरण पर अन्य भाषाओं के व्याकरण का भी अमिट प्रभाव रहा। इसी संदर्भ में उन्होंने माना कि व्याकरण शोध का विषय है। गुरू ने अंग्रेजी व्याकरण का भी व्यापक अध्ययन किया और उनका प्रभाव भी उनकी पुस्तक पर नजर आया। उनकी इस विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी किशोरी दास वाजपेयी रहे।

6.8.3 किशोरी दास वाजपेयी

किशोरी दास वाजपेयी का जन्म 1898 ई. में कानपुर में हुआ था। वे हिंदी और संस्कृत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं व्याकरणाचार्य थे। संस्कृत और हिंदी के विद्वान, व्याकरण के पंडित उन्हें हिंदी के आधुनिक पाणिनी की तरह मानते थे। कुछ समय के लिए उन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया और नागरी प्रचारिणी सभा के कोश विभाग में भी रहे। वे हिन्दी के प्रथम वैज्ञानिक, व्याकरण ज्ञाता माने जाते हैं। उनको हिन्दी का आधुनिक पाणिनी भी कहा जाता है। हिन्दी को स्वतंत्र भाषा के रूप में परिष्कृत और विकसित करने की लालसा उनमें कूट–कूट कर भरी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनके लिए कहा था कि हिन्दी भाषा के परिष्कार के लिए सतत् चौकसी का दायित्व आपका रहा है। उनके हिन्दी भाषा के व्याकरण के योगदान की तुलना में कोई भी अन्य लेखक नहीं है। उन्होंने भाषा विज्ञान, व्याकरण तथा शब्दशास्त्र में अन्वेषण एवं विश्लेषण का कार्य बखूबी निभाया और एक हिन्दी सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके कार्य का महत्व इसलिए है कि भाषाविज्ञान को उन्होंने शुद्ध भारतीय दृष्टि से लिया है। अंग्रेज़ी की कोई भी छाप उनके लेखन पर नहीं है। किशोरीदास वाजपेयी ने जीवनपर्यंत हिंदी को स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किये थे। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अपने अद्‌भुत कर्मठ व्यक्तित्व एवं सुदृढ़ विचारों से भरपूर कृतित्व के कारण उन्होंने भाषा–विज्ञान, व्याकरण, साहित्य, समालोचना एवं पत्रकारिता में जिस क्षेत्र को भी छुआ अद्‌भुत क्रांति ला दी। भाषा को एक ठोस आधार भूमि प्रदान की। उनके प्रसिद्ध भाषाविज्ञान, भाषा परिष्कार एवं व्याकरण की दृष्टि से आपकी अच्छी हिंदी, अच्छी हिंदी का नमूना, हिंदी शब्दानुशासन, लेखन कला, ब्रजभाषा का व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्द मीमांसा, हिंदी की वर्तनी तथा

शब्द विश्लेषण, भारतीय भाषा विज्ञान आदि प्रमुख पुस्तकों को उन्होंने शुद्ध भारतीय दृष्टि से लिखा। वह जीवन पर्यन्त हिन्दी को स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास करते। इनके अतिरिक्त साहित्य जीवन के अनुभव और संस्करण, संस्कृति के पांच अध्याय, मानव धर्म मीमांसा सुभाष चंद्र बोस आदि उनकी पुस्तकें रही हैं। काव्य में रहस्यवाद, रस और अलंकार, काव्य और काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्रीय सम्पत्ति है। वापपेयी पहले ऐसे भाषाविद् थे, जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेज़ी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत के आधार भी पर प्रतिष्ठित किया। संस्कृत का आधार स्वीकार करते हुए उसका वैज्ञानिक आधार दृढ़ता से प्रतिपादित भी किया। कुछ सहृदय मूल्यांकन करने वाले विद्वानों ने उन्हें हिंदी का पाणिनी तक घोषित किया है।

6.9 अभ्यास प्रश्न

6.9.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1 चॉम्स्की द्वारा दिये गये बहुभाषिक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिये ?
2 समग्र भाषा दृष्टिकोण पर विस्तार से रोशनी डालिए ?
3 भाषा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आधार पर रोशनी डालिए ?
4 वॉयगोस्तकी के भाषा संबंधी दर्शन पर विस्तार से चर्चा कीजिए ?
5 निम्नलिखित किन्हीं दो विद्वानो पर चर्चा कीजिए
1 पाणिनी 2 किशोरी दास वाजपेयी 3 कामता प्रसाद गुरु

6.9.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

1 भाषा अर्जन का क्या अर्थ है?
2 भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में अन्तर स्पष्ट कीजिए ?
3 कामता प्रसाद गुरू का हिंदी भाषा विज्ञान में क्या योगदान है ?
4 समग्र भाषा दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं?
5 भाषा सीखने–सिखाने के रचनात्मक दृष्टिकोण की संक्षिप्त चर्चा करें।

6.10 संदर्भ

- ओझा,पी.के., हिंदी शिक्षण, अनमोल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- मधु, नरूला, हिंदी शिक्षण , टवन्टी फर्स्ट सैन्चुरी प्रकाशन, पटियाला।
- शर्मा, शिवमूर्ति, हिंदी भाषा शिक्षण, नीलकमल प्रकाशन, हैदराबाद।
- शर्मा, राजकुमारी रामशकल, हिंदी शिक्षण, राधा प्रकाशन, आगरा।
- श्रीवास्तव, आर.एस. हिंदी शिक्षण, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर।
- सिंह, निरंजन कुमार, माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- कुमार, योगेश, आधुनिक हिंदी शिक्षण, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
- सिंह, सावित्री, हिंदी शिक्षण, गया प्रसाद एण्ड संस, आगरा।

- स्वयं अधिगम सामग्री, हिंदी शिक्षण प्रविधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- शास्त्री, भूदेव, मातृभाषा का अध्ययन, अग्रवाल, आगरा।

इकाई – 7 – पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री

इकाई की रूपरेखा

7.1 प्रस्तावना
7.2 उद्देश्य
7.3 हिन्दी की बोलियों का अध्ययन
    7.3.1 बोली की परिभाषा
    7.3.2 बोली और भाषा
7.4 पाठ्यक्रम – अर्थ, परिभाषा, सिद्धान्त एवं प्रकार
    7.4 .1 पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा
    7.4.2 पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान
    7.4.4 पाठ्यचर्या का महत्व
    7.4.4 पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धान्त
    7.4.5 पाठ्यक्रम निर्धारण के आधार
    7.4.6 अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएँ
    7.4.7 पाठ्यक्रम के प्रकार
        7.4.7.1 प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में भाषा
        7.4.7.2 माध्यमिक पाठ्यक्रम में भाषा
        7.4.7.3 उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में भाषा
7.5 हिन्दी भाषा की पाठ्य–पुस्तक
    7.5.1 पाठ्य–पुस्तक की परिभाषा
    7.5.2 पाठ्य पुस्तक के गुण
    7.5.3 पाठ्य सामग्री
7.6 पाठ्य पुस्तकों का महत्व
    7.6.1 मातृभाषा की पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री
    7.6.2 वैचारिक सामग्री, भाषिक सामग्री, साहित्यिक रूप एवं विधाएँ।

7.7 विषय–सामग्री चयन की दृष्टि से कुछ नए महत्वपूर्ण शैक्षिक संदर्भों पर विचार –

7.7.1 मूल कर्तव्य

7.7.2 मानव अधिकार

7.7.3 सुविधा–वंचित वर्ग के बालक–बालिकाओं की शिक्षा

7.7.4 महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण

7.7.5 जीवन–कौशलों (उपभोक्ता अधिकार, व्यावसायिक शिक्षा, साथ–साथ जीने की कला) से शिक्षा की सम्बद्धता

7.7.6 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

7.7.7 भूमंडलीकरण का प्रभाव

7.7.8 भाषिक सामग्री

7.7.9 साहित्यिक रूप एवं विधाएँ

7.7.10 विषय–सामग्री की मात्रा

7.7.11 विषय–सामग्री का प्रस्तुतीकरण

7.7.12 पाठ्यपुस्तक के प्रारम्भ से आवश्यक बातें

7.7.13 पाठ्यपुस्तक के अन्त में आवश्यक बातें

7.8 पुस्तकालय

7.8.1 पुस्तकालय और भाषा शिक्षण

7.9 सहगामी क्रियाएँ–वर्गीकरण, भाषा की दृष्टि से सहगामी क्रियाएँ

7.9.1 भाषा की दृष्टि से सहगामी क्रियाएँ

7.9.1.1 वाद विवाद प्रतियोगिताएँ

7.9.1.2 व्याख्यान या भाषण

7.9.1.3 भाषा परिषद् या साहित्य परिषद्–

7.9.1.4 नाटकीय क्रियाएँ

7.9.1.5 भ्रमण या सरस्वती यात्राएँ

7.9.1.6 विद्यालय पत्रिका

7.9.1.7 संग्रहालय

7.10 अभ्यास प्रश्न

7.10.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

7.10.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

7.11 संदर्भ

7.1 प्रस्तावना

हिन्दी भाषा शिक्षण के इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के लिये प्रभावी शिक्षक तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम में यह प्रयत्न किया गया है कि आप हिन्दी शिक्षण के शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्तों से अवगत हों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में उनके व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता आप में विकसित हो सके।

विद्यालयी स्तर पर भाषा के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या के विषय में उसमें अर्थ, परिभाषा, आधार सिद्धान्त आदि के महत्व को आप समझेंगे। एक हिन्दी शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या से अवगत होना चाहिए। नियोजित शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। पाठ्यचर्या इन उद्देश्यों की प्राप्ति का एक सशक्त साधन है। हिन्दी शिक्षक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी महत्वपूर्ण है। यह तभी सम्भव होगा जब शिक्षक को पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की विषय सामग्री एवं आधार सिद्धान्तों का भलीभाँति ज्ञान होगा।

इस इकाई में हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच में क्या अन्तर है ? जानने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हिन्दी शिक्षण की विषय सामग्री के अन्तर्गत हिन्दी की पाठ्यपुस्तक का महत्व, उसका स्वरूप, निर्माण सिद्धान्त, उसकी रचना प्रक्रिया एवं विशेषताओं का परिचय प्राप्त करेंगे। हिन्दी शिक्षण में श्रव्य–दृश्य सामग्री एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रभाविता एवं उनके उपयोग पर विचार करेंगे।

7.2 उद्देश्य

इस ईकाई के अध्ययन के उपरान्त आप –

– हिन्दी भाषा में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या के अन्तर को बता सकेंगे।
– पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की परिभाषा तथा पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
– हिन्दी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के महत्व को बता सकेंगे।

- हिन्दी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के महत्व का विवेचन कर सकेंगे।
- हिन्दी भाषा पाठ्य पुस्तक तथा सहायक पुस्तकों के निर्माण सिद्धान्त, स्वरूप एवं विशेषताओं को बता पायेंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण के उपयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकेंगे।
- हिन्दी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व को समझकर उनका आयोजन करने में समर्थ हो सकेंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण में अपेक्षित गुणों एवं विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपनाने के लिये प्रेरित होंगे।

7.3 हिन्दी की बोलियों का अध्ययन

संसार में अनेक भाषाएँ व बोलियाँ हैं। एक अनुमान के मुताबिक संसार में लगभग 2796 भाषाएँ व बोलियाँ हैं। जन भाषा या बोली तो कोस–कोस पर बदलती है और क्षण–क्षण बदलती है। जैसा कि इस लोकोक्ति में कहा गया है। *चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी* अर्थात प्रत्येक चौथे कोस पर कुछ–न–कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाता है। इसलिये इतने बड़े संसार में यदि इतनी अधिक भाषाएँ व बोलियाँ हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारत जैसे बहुभाषा–भाषी देश में 179 भाषाएँ व 544 बोलियाँ थीं। भाषा को समाज की स्थिर सम्पत्ति बनाना व्याकरण का काम है। जब भाषा और बोली में पर्याप्त अन्तर आ जाता है। तब इस व्याकरण को भी बदलना पड़ता है। जहाँ तक हिन्दी भाषा का प्रश्न है तो यू.एन.ओ. भाषा सर्वेक्षण के अनुसार यह संसार में चतुर्थ स्थान की अधिकारिणी है। हिन्दी को समझने वाले व बोलने वाले भारत से बाहर कम से कम 13 करोड़ व्यक्ति हैं। एक भाषा के अन्तर्गत कई बोलियां होती हैं। बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और भाषा का बड़ा। एक भाषा के अन्तर्गत एक या एक से अधिक बोलियाँ सामान्यतः पायी जाती हैं। जैसे– हिन्दी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियाँ हैं।

7.3.1 बोली की परिभाषा

श्री भोलानाथ तिवारी ने बोली की परिभाषा इस प्रकार दी है ''बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों में भिन्न होता है, किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ ना सकें साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप रचना वाक्य–गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती।''

बोली शब्द अंग्रेजी के डाइलेक्ट का प्रति शब्द है। किसी छोटे क्षेत्र में अभिव्यक्ति का माध्यम बोली ही होती है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी पाया जाता है किसी छोटे क्षेत्र में व्यक्त बोलियों को सामूहिक रूप है जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अन्तर न हो, स्थानीय बोली या उपबोली कहलाती है। इसी प्रकार बहुत सी मिलती–जुलती उप–बोलियों का सामुहिक रूप बोली है और मिलती–जुलती बोलियों का सामूहिक रूप भाषा है। अतः एक भाषा

क्षेत्र में कई बोलियाँ होती हैं और एक बोली में कई उप–बोलियाँ। किसी बोली के वर्णन में जब उसके पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्यवर्ती आदि उपरूपों की बात करते हैं तो तात्पर्य उपबोली से होता है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि बोलियों में इस प्रकार की कई उपबोलियाँ हैं।

7.3.2 बोली और भाषा

संसार की समस्त विकसित भाषाएं अपने आरम्भिक रूप में बोलियाँ ही रही होंगी जैसे रूसी, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत ग्रीक व अरबी इत्यादि। अतः आज बोली कहलाने वाली ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि भाषाएँ आगे चलकर बन सकती हैं क्योंकि कोई भी बोली तभी तक बोली बनी रहती है जब तक उसे साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीति के कारण महत्व प्राप्त न हो जाये और दूसरे जब तक बोली इतनी विकसित न हो जाये अपनी विशेषताओं की दृष्टि से, कि पड़ौसी बोलियों से उसे भिन्न बना दे। इस तरह दोनों की प्राप्ति के बाद ही बोली भाषा बन जाती है। इतिहास क्रम में कुछ भाषाएं बोली भी बन जाती हैं जैसे– ब्रज, अवधी तथा बोली भाषा भी बन जाती है जैसे – खड़ी बोली।

7.4 पाठ्यक्रम – अर्थ, परिभाषा, सिद्धान्त एवं प्रकार

हिन्दी शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिये निर्धारित पाठ्यचर्या से अवगत होना चाहिए। नियोजित शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। पाठ्यचर्या इन उद्देश्यों की प्राप्ति का एक सशक्त साधन है। हिन्दी शिक्षक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पाठ्यचर्या शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी महत्वपूर्ण है? यह तभी सम्भव है जब पाठ्यचर्या की विषय सामग्री एवं आधार सिद्धांतों का शिक्षक को भली–भाँति ज्ञान हो। सुचित्रित तथा सुनियोजित पाठ्यचर्या के आधार पर ही किसी पाठ्यक्रम तक पहुँचा जा सकता है तथा उससे सार्थक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

7.4 .1 पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा

पाठ्यचर्या के लिये अँग्रेजी में Curriculum शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है– 'दौड़ का मैदान।' शिक्षा के सन्दर्भ में शाब्दिक अर्थ के अनुसार पाठ्यचर्या से अभिप्राय उस मार्ग से है जिसके माध्यम से बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या के अन्तर्गत विषयों के तथ्यों की सीमायें निर्धारित कर दी जाती हैं अर्थात् पाठ्य–वस्तु को एक सूची के रूप में सीमित कर दिया जाता है परन्तु आधुनिक समय में पाठ्यचर्या का अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। आज पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धान्तिक विषयों से नहीं है जो स्कूलों में परम्परागत रूप से पढ़ाये जाते हैं वरन् इनमें अनुभवों की वह सम्पूर्णता भी सम्मिलित होती है, जिनको बालक स्कूल कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान में शिक्षक और छात्रों के अनगिनत अनौपचारिक सन्दर्भों से प्राप्त करता है।

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्याः– ''सीखने की इकाइयों का कक्षा एवं विषयवार क्रम निर्धारण ही पाठ्यक्रम है। परन्तु पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया पाठ्यचर्या है।''

सामान्यतः पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या शब्दों को समानार्थी माना जाता है। वस्तुतः दोनों शब्दों में भेद है। पाठ्यक्रम का अर्थ व्यापक है और पाठ्यचर्या का अर्थ सीमित है। पाठ्यक्रम में विद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं सह शैक्षिक कार्य आते हैं जबकि पाठ्यचर्या में शैक्षणिक विषयों एवं तत्सम्बंधी विषय सामग्री को ही सम्मिलित किया जाता है।

7.4.2 पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान

हिन्दी पाठ्यचर्या निर्माण के निम्नलिखित सोपान हैंः—

उद्देश्यों का निर्माण :— पाठ्यचर्या के लिये शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्माण आवश्यक है। हिन्दी पाठ्यचर्या निर्माण के लिये विभिन्न कक्षा स्तरों के स्तरानुकूल उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए।

विषय सामग्री का चयन :— निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हिन्दी शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप गद्य, पद्य, रचना, व्याकरण आदि का चयन करना चाहिए।

विषय सामग्री के चयन के आधार :— भाषा के निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर विषय सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि चयनित विषय सामग्री उपयुक्त है एवं उद्देश्य प्राप्ति में सार्थक और सक्षम है।

7.4.3 पाठ्यचर्या का महत्व

पाठ्यचर्या शिक्षा प्रक्रिया के तीनों अंगों में से एक प्रमुख अंग है। यह शिक्षक एवं शिक्षार्थी को जोड़ने वाली कड़ी है। ये शिक्षक को निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति हेतु दिशा—निर्देश देता है। पाठ्यचर्या के महत्व को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैंः—

(1) यह बालक के सर्वांगीण विकास (बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक) में सहायक होती है।

(2) देश की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में सहायक होती है। आने वाली पीढ़ियों में सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण का प्रमुख साधन पाठ्यचर्या ही हो सकती है।

(3) बालक के नैतिक गुणों के साथ—साथ उसके चरित्र निर्माण, मित्रता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों के निर्माण में भी पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

(4) पाठ्यचर्या बालक के सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास करती है।

(5) पाठ्यचर्या विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है।

(6) इससे बालक में जनतंत्रीय भावनाओं का विकास होता है।

(7) शिक्षा का मुख्य उद्देश्य — बालक के भविष्य निर्माण में सहायक होगा है।

पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। पहले इस शब्द का बड़ा संकुचित अर्थ था — इसे मात्र पठन—पाठन से सम्बद्ध किया जाता था परन्तु अब पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय के समस्त अनुभव—सम्मिलित कर लिये जाते हैं। अध्यापन के अनेक विषय हैं, इनमें कोई किसी से छोटा—बड़ा या कम महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षण में इनका क्रम अवश्य निर्धारित करना पड़ता है अर्थात् कौन—विषय पहले पढ़ाया जाय, कौन सा बाद में, इसका निर्धारण आवश्यक हो जाता है। देश काल की आवश्यकतानुसार कुछ विषय वैकल्पिक रूप से पढ़ाये जाते हैं। शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु

कक्षा में जो क्रियाएँ की जाती हैं उनके निमित्त कुछ आधार होने चाहिए। जिसके लिए पाठ्यक्रम ही वह आधार है। यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अन्तर्गत विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप आ जाते हैं।

7.4.4 पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धान्त

- पाठ्यक्रम पूर्व जानकारी पर आधारित होना चाहिए। इसके निर्माण के पूर्व छात्रों के पूर्व अर्जित ज्ञान की जानकारी भली–भाँति कर ली जानी चाहिए।
- पाठ्यक्रम बालकों की रुची, योग्यता और आयु के अनुसार बनाये जाने चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम बालकों की उन्नति की ओर अग्रसर करेगा।
- पाठ्यक्रम में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए क्योंकि यह बालक की उन्नति की भावी सीढ़ी बनता है।
- पाठ्यक्रम निर्माण में वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- पाठ्यक्रम के निर्माण में सरलीकरण का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए।

7.4.5 पाठ्यक्रम निर्धारण के आधार

पाठ्यक्रम शैक्षणिक उद्देश्यों एवं विद्यार्थियों में आनेवाले परिवर्तनों के बीच की कड़ी होती है। उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की क्षमताओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः इसके अन्तर्गत निर्माण के अधोलिखित प्रमुख आधार हो सकते हैं–

दार्शनिक आधार– अर्थात् आगे आनेवाली पीढ़ी में समाज और राष्ट्र के लिए हितकर विचारों का विकास।

मनोवैज्ञानिक आधार – अर्थात् छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया पाठ्यक्रम।

समाजशास्त्रीय आधार – समाज की राजनीतियों से परिचित कराने वाले पाठ्यक्रम।

राजनैतिक आधार – देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम आदि को बढ़ावा देने वाली राजनैतिक घटनाओं का परिचय।

सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार – पाठ्यक्रम सांस्कृतिक उत्थान एवं धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

7.4.6 अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

- पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो।
- पाठ्यक्रम में वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा गया हो।
- पाठ्यक्रम अति सरल हो, दुरूह न हो।
- पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो।
- पाठ्यक्रम अपने से संबंधित आयु के छात्रों में पनपने वाली भावनाओं के विकास को दिशा देने वाला हो।
- पाठ्यक्रम रूचिकर हो।

- पाठ्यक्रम में उस स्तर की उपयुक्त शिक्षण विधाएँ ही सम्मिलित की जाये।
- पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो।
- पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में वांछित सद्‌गुणों का विकास करें।
- पाठ बोधगम्य हो और भाषा–पाठ विशेष रूप से स्पष्ट हो।

नोट : ये सारी विशेषताएँ हिन्दी भाषा पाठ्यक्रम पर भी लागू होती हैं।

7.4.7 पाठ्यक्रम के प्रकार – वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था तीन स्तरों में बँटी हुई है।

(1) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम
(2) माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम
(3) उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम

यहाँ हम हिन्दी भाषा शिक्षण से सम्बद्ध त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे।

7.4.7.1 प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में भाषा

- लोअर प्राइमरी अर्थात् कक्षा 1, 2, 3 में मातृभाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए।
- अपर प्राइमरी अर्थात कक्षा – 4, 5 में मातृभाषा के अतिरिक्त एक दूसरी भाषा जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अनिवार्य तथा हिन्दी हो पाठ्यक्रम में रखी जाये।
- प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ायी जाने वाली भाषाओं का साहित्य राष्ट्रीय एकता व आदर्शों के अनुरूप हो। इन्हीं से संबंधित कविता, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी आदि पाठ्यक्रम में रखें।
- प्राथमिक स्तर पर बातचीत के द्वारा भाषाज्ञान की वृद्धि का प्रावधान पाठ्यक्रम का अंग हो।
- इस स्तर की व्याकरण शिक्षा हेतु **आगमन प्रणाली** पर आधारित पाठ्यक्रम रखा जाये, निगमन प्रणाली का नहीं। व्याकरण शिक्षा में शब्द भेद, कारक, सन्धि, समास विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाये जाने का विधान हो।

7.4.7.2 माध्यमिक पाठ्यक्रम में भाषा

पूर्व माध्यमिक – अर्थात कक्षा 6 से 8 तक हिन्दी भाषा प्रदेशों में मातृभाषा हिन्दी, संस्कृत पाठ्यक्रम का अंग हो। दक्षिण भारतीय तथा अन्य हिन्दीतर राज्यों में मातृभाषा, संस्कृत तथा हिन्दी अनिवार्यतः पाठ्यक्रम का अंग बने।
उत्तर माध्यमिक – अर्थात् कक्षा 9 से 11 तक उन सभी भाषाओं का अध्ययन जारी रखा जाये, जो पूर्वमाध्यमिक स्तर पर पढ़ी गयी हैं। वैकल्पिक रूप से एक विदेशीभाषा विशेषतया अंग्रेजी पाठ्यक्रम में रखी जाये। अंग्रेजी न पढ़ने वालों के लिए फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि भाषाओं के अध्ययन का विधान हो।

7.4.7.3 उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में भाषा

इस स्तर पर कोई भाषा अनिवार्य न की जाय। विशेष योग्यता हेतु छात्र विविध भाषा पाठ्यक्रम के वैकल्पिक पाठ्यक्रम रूप में चुन सकते हैं। सम्पूर्ण उच्च शिक्षा का माध्यम या तो मातृभाषा हो या फिर हिन्दी। यदि कोई छात्र विशेष योग्यता हेतु चीनी, रूसी, फ्रेंच आदि भाषाओं का अध्ययन करता है, या इनमें शोध करता है तो माध्यम भाषा वे ही भाषाएँ होंगी जिनका छात्र चयन करता है। सारी शिक्षा–परीक्षा इन्हीं भाषाओं में होगी।

7.5 हिन्दी भाषा की पाठ्य–पुस्तक

अंग्रेजी भाषा में पुस्तक के लिए 'बुक' शब्द का प्रयोग किया जाता है। बुक शब्द जर्मन भाषा 'बीक' शब्द से बना है। फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ 'वृक्ष की छाल' लिया जाता है। भारत में पुस्तक के लिए प्राचीन काल से ग्रंथ शब्द का प्रयोग होता आया है। गृन्थ का अर्थ गूँथना और बाँधना होता है।

7.5.1 पाठ्य–पुस्तक की परिभाषा

किसी भी पुस्तक को हम पाठ्य–पुस्तक नहीं कह सकते पाठ्य–पुस्तक के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिभाषाएँ हैं–

बेकन पाल के शब्दों में, ''पाठ्य–पुस्तक कक्षा–शिक्षण के प्रयोग के लिए प्रचलित वह पुस्तक है। जो सावधानी के साथ उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाती है और जो सामान्य शिक्षण युक्ति से भी सम्पन्न होती है।

गुड के शब्दों में, ''एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक पाठ्य–पुस्तक है।

हर्ल आर, डगलस के अनुसार – ''शिक्षकों के बहुमत ने अन्तिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य–पुस्तक को 'वे क्या और किस प्रकार पढ़ायेंगे' की आधारशिला बताया गया है।''

प्रो. हेरोलिकर के अनुसार – ''पाठ्य–पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, आदतों भावनाओं, क्रियाओं तथा अभिरूचियों का पुँज है।

प्रो. बार तथा बटेन के अनुसार – पाठ्य–पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यन्त्र है।''

उपरोक्त विवरण से भाषा–शिक्षण में पाठ्य–पुस्तक का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

हमारे देश में पाठ्य–पुस्तकों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह विचार है कि इनमें ''हम स्कूलों की पाठ्य–पुस्तकों के आधुनिक स्तर से बहुत ही असंतुष्ट हैं और हमारा विचार है कि ''इनमें पूर्ण सुधार किये जाने चाहिए।'' इस प्रकार से विभिन्न विषयों की निश्चित पाठ्यचर्या के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा जो पुस्तकें तैयार की जाती हैं, उन्हें पाठ्य–पुस्तक कहते हैं।

7.5.2 पाठ्य पुस्तक के गुण

भाषा ज्ञान की वृद्धिः भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण है – भाषा ज्ञान की वृद्धि। अतः प्रत्येक पाठ में ज्ञान–विज्ञान की चर्चा सामान्य जानकारी तक सीमित हो एवं भाषा ज्ञान एवं कौशल की वृद्धि पर विशेष ध्यान देना अभीष्ट है।

उपयुक्तताः भाषा शिक्षण की पुस्तक प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं एवं बालकों की आयु एवं बोध के अनुरूप हो, ताकि इस आयु के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का उपयोग उनके व्यक्तित्व के उत्तरोत्तर वृद्धि का साधन बन सके।

रोचकताः रुचि से अध्ययन सरल बन जाता है। रुचि का सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, अतः पुस्तकों में रुचिकर सामग्री का संकलन अधिक अपेक्षित है।

जीवन से सम्बद्धताः शिक्षा का सम्बन्ध शिक्षार्थी के वर्तमान तथा भावी जीवन से होता है अतः पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय उन्हें जीवन के अनुभवों से सम्बन्धित करना अभीष्ट है।

क्रमबद्धताः पाठ्य पुस्तक के पाठों का आयोजन सरल से जटिल की ओर शिक्षा सूत्र पर किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को बोधगम्य प्रतीत हो एवं वे विषय बोध के साथ–साथ भाषिक तत्वों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त कर सकें।

आदर्शवादिताः पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय देश, संस्कृति, इतिहास के आदर्शों से युक्त पाठों का संकलन आवश्यक है ताकि छात्र नया संदेश एवं प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन में आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना कर सकें।

व्यवहारिकताः पाठ्य पुस्तकों की संरचना में ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे छात्रों की व्यावहारिक बुद्धि का विकास कर सकें एवं उन्हें लोकाचार की शिक्षा दे सकें।

भाषा की शुद्धताः हिन्दी भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक भाषा की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए ताकि छात्र अपनी भाषा शुद्ध कर सकें एवं अपनी भाषा की त्रुटियों का सुधार कर सकें। शुद्धता के अन्तर्गत वर्तनी, विरामचिह्नों के प्रयोग, व्याकरण, वाक्य रचना तथा शब्द प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक शिक्षार्थी के लिए आदर्श होती है। अतः पाठ्यपुस्तक में निहित कोई भी अशुद्धि उसके भाषा ज्ञान को दूषित कर सकती है।

विविधताः हिन्दी भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुस्तक में साहित्य की सभी विधाओं–गद्य, पद्य, नाटक, निबन्ध, कहानी, संस्मरण आदि का संकलन हो। हिन्दी भाषा की पुस्तक सभी विधाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। साथ ही प्रत्येक काल की रचनाओं का संकलन भी इसे विविधता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इन विधाओं में शैलीगत विविधता हो यथा इसमें प्रत्येक रस का आस्वादन भी आवश्यक है। इसी प्रकार प्रकृति – वर्णनात्मक, भावात्मक, कथात्मक, विचारत्मक लेखों का संकलन पाठय पुस्तक को विविधता प्रदान करता है।

अध्ययन पक्षः अध्ययन पक्ष का मूल सन्दर्भ पाठ्य सामग्री से है। इससे शिक्षार्थी साहित्य के अपार भंडार से चुने हुए महत्वपूर्ण अंशों के अध्ययन से साहित्य एवं संस्कृति का आवश्यक प्राथमिक परिचय प्राप्त कर सकता है। अध्ययन पक्ष की समुचित व्यवस्था से वह साहित्य प्रसाद के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो सकता है जहाँ से वह साहित्य संस्कृति तथा ज्ञान एवं विज्ञान के विस्तृत उपवन से अपनी रुचि के अनुसार पुष्पों एवं फलों का आस्वादन कर सकता है।

7.5.3 पाठ्य सामग्री

पुस्तक की पाठय सामग्री की दृष्टि से समृद्ध एवं स्तरीय होनी चाहिए। यह साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे– कहानी, कविता, लेख, निबन्ध, संस्मरण आदि से परिपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही भाषिक पाठ्य सामग्री का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भाषा सरल, स्पष्ट, शुद्ध तथा ग्रहणीय एवं विधा के अनुरूप होने पर ही भाषिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाती है।

उद्देश्यः हमने पिछली इकाई में मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर विचार किया है, अतः पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री से इन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। विशेष रूप से ज्ञान का विकास, बोधगम्यता, मौलिकता, साहित्यिक रसानुभूति, साहित्यिक रुचि का विकास एवं वांछित अभिवृत्तियों का पोषण करने वाली विषय सामग्री भाषा–पुस्तक की आत्मा है।

राष्ट्रीय लक्ष्यः राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्य सामग्री एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री, राष्ट्रीय लक्ष्य यथा – एकता, जनतंत्र, सामाजिकता, धर्म निरपेक्षता आदि को समाहित करने वाली होनी चाहिए। इसमें राष्ट्र प्रेम, नागरिकता का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य, जनसंख्या नियन्त्रण, पर्यावरण प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों का समावेश किया जा सकता है।

विद्यार्थीः वर्तमान शैक्षिक विचार के अनुसार शिक्षा बाल केन्द्रित होनी चाहिए। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए पाठ्यवस्तु आधार का काम करती है। अतः पाठ्य वस्तु विद्यार्थी की आवश्यकताओं, रुचि, मानसिक परिपक्वता विभिन्न बौद्धिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। विद्यार्थी के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण की पुस्तक साधन के साथ साध्य भी है, अतः साध्य के रूप में पाठ्य पुस्तक शिक्षार्थी के भाषा ज्ञान को पुष्ट एवं परिपूर्ण करने वाली होनी चाहिए।

भाषिक कौशलः हिन्दी भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तकों की पाठ्य सामग्री भाषिक कौशलों का विकास करने वाली होनी चाहिये। पाठ्य पुस्तक नवीन शब्द संरचनाओं, शब्द कोश विस्तार, मुहावरे, लोकोक्तियों, शब्द युग्म आदि के माध्यम से शिक्षार्थी में भाषिक कौशलों को विकसित करने में सक्षम होनी चाहिए।

समयानुरूप पाठ्य सामग्री संयोजनः पाठ्य वस्तु की उत्कृष्टता के साथ–साथ इसका संयोजन संतुलित होना आवश्यक है। भाषिक योग्यताओं के विकास के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली

शैक्षणिक सामग्री का पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित समय के साथ संतुलन आवश्यक है, ताकि शिक्षण काल में प्रत्येक पाठ के साथ समान व्यवहार हो एवं सभी पाठों का ज्ञान एवं रसास्वादन हो सके।

अन्य विषयों की पुस्तकों से सह–सम्बन्धः चूँकि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है, अतः अन्य विषयों के साथ सह सम्बन्ध के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए किन्तु अन्य विषयों की पुस्तकों के पाठों – ज्ञान, विवरण आदि की आवृत्ति भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तकों में नहीं होनी चाहिए। इससे विषय की पुनरावृत्ति के कारण पाठ्य पुस्तक उबाने वाली प्रतीत होगी।

7.6 पाठ्य पुस्तकों का महत्व

ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन – वर्तमान युग 'ज्ञान के विस्फोट' का युग कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज हम केवल कल्पना के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि जब छापने की मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था तब ज्ञानार्जन का आधार स्मरण शक्ति थी। मौखिक रूप से सुन कर याद करना ही सम्भव था। अतः वर्तमान युग के व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिन्हें ज्ञानार्जन हेतु पुस्तकों का अथाह भण्डार प्राप्त है। वह बड़ी सरलतापूर्वक बीसवीं शताब्दी तक का संचित ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

पाठ्य पुस्तकें मितव्ययी हैं – एक पाठ्य पुस्तक जब छपती है तो उसकी प्रतिलिपियाँ समस्त देशों में पहुँच जाती हैं व विश्व के समस्त देश पाठ्य पुस्तक में निहित ज्ञान के अथाह भण्डार से लाभान्वित होते हैं। अतः यह विधि कम खर्चीली है। इसमें समय व धन का अपव्यय नहीं होता। छापे की मशीनों का आविष्कार जब नहीं हुआ था तब ज्ञान प्राप्त करने के लिये शिक्षक के पास ही जाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में समय व धन दोनों का ही अपव्यय था। आज पुस्तकों के कारण यह अपव्यय कम हुआ है।

पाठ्य पुस्तकें शिक्षक की पथ–प्रदर्शिका – एक शिक्षक के सामने शिक्षण से पूर्व यह समस्या होती है कि वह विद्यार्थियों को क्या पढ़ाये ? इस समस्या का समाधान पाठ्य पुस्तकें कर देती हैं। शिक्षक का पाठ्य विषय कों सुव्यवस्थित करने व विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिये अच्छा पथ प्रदर्शन ये पाठ्य पुस्तकें कर देती हैं। जिससे शिक्षक की विचाराभिव्यक्ति में स्पष्टता व निश्चितता आ जाती है।

अर्जित ज्ञान के स्थायित्व के लिये– सीखी हुई बातों की एक लम्बी अवधि तक स्मरण रखने के लिये उन तथ्यों को बार–बार दुहराना पड़ता है। दुहराने की प्रक्रिया पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही सम्भव है। शिक्षक पाठ्य–पुस्तकों में से पढ़कर ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुँचाने का जहाँ एक ओर साधन बनता है। वहाँ दूसरी ओर विद्यार्थियों सीखे हुए ज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही स्थायी बनाता है।

स्वाध्याय आत्मविश्वास का जनक– कक्षा में शिक्षक के पढ़ा चुकने के पश्चात् जब तक अर्जित ज्ञान को छात्र दुहराये नहीं और स्वयं अध्ययन न करे तब तक आत्मविश्वास का अभाव रहता है। छात्र को विश्वास नहीं होता कि पता नहीं कुछ याद भी है या नहीं लेकिन स्वाध्याय के पश्चात् आत्मविश्वास ही जागृत नहीं होता बल्कि वह स्वतन्त्र रूप से मौलिक चिन्तन करना प्रारम्भ कर देता है।

मौलिक चिन्तन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक –
पाठ्य पुस्तक में निहित विचाराभिव्यक्ति न मालूम कितने प्रखर बुद्धि विद्वानों के विचारों का संकलन होती है। पाठ्य–पुस्तक के माध्यम से पाठक संसार के उच्च कोटि के विचारों से परिचित होता है व स्वाध्याय के पश्चात् अपना स्वयं का मत गूढ़ चिन्तन के पश्चात् निर्मित करने का प्रयास करता है। मौलिक चिन्तन का आधार गहन अध्ययन ही हो सकता है। अधकचरा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति दूसरों के विचारों की आवृत्ति तो कर सकता है लेकिन मौलिक चिन्तन नहीं कर सकता।

शिक्षा स्तर में एक रूपता लाने में सहायक – शिक्षण–उद्देश्य का मूल्यांकन आवश्यक है लेकिन निश्चित पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक के अभाव में मूल्यांकन के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निश्चित करना कठिन होगा और मूल्यांकन प्रक्रिया जटिल बन जायेगी। दूर–दूर स्थानों पर शिक्षा के स्तर को समान रखने के लिये व एकरूपता बनाये रखने के लिये पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। पाठ्य पुस्तकों के कारण शिक्षकों को मालूम होता है कि क्या पढ़ाना है ? किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। परीक्षकों को मालूम होता है कि परीक्षण किस निश्चित पाठ्यक्रम में से करना है और वे प्रश्न पत्र उसी पाठ्य पुस्तक व पाठ्यक्रम पर ही बनायेंगे।

बालकों की क्षमता अनुसार स्तरानुकूल शिक्षा के लिये – कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है लेकिन अच्छा पाठ्य पुस्तक लेखक नहीं। लेखक को देखना पड़ता है कि पुस्तक की विषय वस्तु, उदाहरण विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण, भाषा शैली बालकों की मानसिक क्षमता व स्तर के अनुकूल है या नहीं। अतः पाठ्य पुस्तक बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार स्तरानुकूल क्रमानुसार शिक्षा देने में सहायक है।

अन्य विषयों की अपेक्षा भाषा शिक्षण मुख्यतः पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थियों की भाषा पर पूर्णाधिकार प्राप्त कराने के लिये शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों का ही आश्रय लेना पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के साथ–साथ विद्यार्थियों को आनन्द प्रदान करने का प्रमुख साधन पाठ्य पुस्तकें ही हैं। पाठ्य पुस्तक एक साधन मात्र है साध्य नहीं। बहुत से मातृभाषा शिक्षक यह भूल जाते हैं। केवल मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन मात्र ही मातृभाषा शिक्षण नहीं। मातृभाषा शिक्षक को पाठ्य पुस्तक तक ही सब कार्य सीमित नहीं कर देने चाहिये। मातृभाषा शिक्षक का क्षेत्र अत्यन्त विशाल है और इसलिये मातृभाषा शिक्षक के कर्तव्यों की भी कोई सीमा निर्धारित करना कठिन है। शिक्षक को जो कुछ करना है, पाठ्य पुस्तक उसका एक छोटा सा भाग है। यदि पाठ्य पुस्तक को मातृभाषा रूपी भवन तक पहुँचने के लिये सीढ़ी मानें

तो हमें पाठ्य पुस्तक से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। पाठ्य पुस्तक भाषा के सभी अंगों को पढ़ाने का एक प्रमुख साधन है।

7.6.1 मातृभाषा की पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री

मातृभाषा की पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री पर विचार करते समय उसके तीन पक्ष सामने आते हैं–

(1) विषय सामग्री का चयन
(2) विषय सामग्री का स्तरीकरण
(3) विषय सामग्री का प्रस्तुतीकरण

(1) विषय सामग्री का चयन – विषय सामग्री चयन में भी दो बातें विचारणीय हैं–
(क) विषय सामग्री की प्रकृति अर्थात् विषय सामग्री क्या और किस प्रकार की
(ख) विषय सामग्री की मात्रा अर्थात् कक्षा शिक्षण की दृष्टि से कितनी विषय सामग्री पर्याप्त होगी।

(क) विषय सामग्री की प्रकृति – विषय सामग्री के चयन में विविध पाठों की प्रकृति, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षार्थी, शिक्षण पद्धति, मातृभाषा – शिक्षण की सम्पूर्ण पाठ्यचर्या, अन्य विषयों की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकें आदि बातें विचारणीय है। इनका संक्षिप्त उल्लेख किया जा चुका है। मातृभाषा की पाठ्यपुस्तक में वर्ग विशेष की दृष्टि से उपयुक्त अनेक प्रकार के पाठों का चयन करना पड़ता है।

विषय सामग्री की प्रकृति की दृष्टि से निम्नांकित पक्ष विचारणीय हैं–

7.6.2 वैचारिक सामग्री, भाषिक सामग्री, साहित्यिक रूप एवं विधाएँ।

वैचारिक सामग्री के अन्तर्गत मूल पाठ्य विषयों पर विचार किया जाता है और जीवन के विभिन्न पक्षों एवं कार्य क्षेत्रों – सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, खेल–कूद, मनोरंजन, यात्रा, अनुसंधान आदि से सम्बन्धित उपयुक्त पाठों का चयन किया जाता है जिससे बालकों को उनका ज्ञान और अनुभव हो सके और उनके द्वारा मानवीय मूल्यों, सद्भावों एवं सद्विचारों के प्रत्यय–निर्माण में भी सहायता मिल सके। वैचारिक सामग्री के चयन में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है–

- विषय वस्तु शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप है।
- पाठों की विविधता अर्थात् जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों से सम्बन्धित पाठ
- विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित पाठों के चयन में उचित अनुपात
- राष्ट्रीय लक्ष्यों – राष्ट्रीय एकता, जनतांत्रिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि के विषय सामग्री का औचित्य। कोई ऐसी सामग्री न हो जो साम्प्रदायिक विद्वेष का कारण बने।
- बालकों की मानसिक परिपक्वता एवं विभिन्न बौद्धिक स्तरों का ध्यान रखते हुए विषय वस्तु का चयन। अति कठिन या अति सरल पाठ्य–सामग्री नहीं होनी चाहिये।
- विषय–वस्तु शुद्ध, सत्य और प्रामाणिक हो।

– मातृभाषा शिक्षण सम्बन्धी अन्य शैक्षणिक सामग्री की दृष्टि से सहायक और पूरक हो।
– सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में मातृभाषा–शिक्षण का स्थान।
– अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट सामग्री का ध्यान
– पूर्व कक्षा की पाठ्यचर्या
– बालकों की रूचि और आवश्यकता के अनुकूल सामग्री का चयन।
– विषय–वस्तु उस भाषा–समुदाय की संस्कृति का परिचायक हो।
– विषय–वस्तु स्वस्थ एवं वांछित अभिवृत्तियों के विकास में सहायक एवं प्रेरणादायक हो।

7.7 विषय–सामग्री चयन की दृष्टि से कुछ नए महत्वपूर्ण शैक्षिक संदर्भों पर विचार

भाषा और साहित्य शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य सामग्री चयन सम्बन्धी अनेक आधार बिन्दुओं तथा विषयों का उल्लेख ऊपर किया गया है। किन्तु शिक्षा एक सतत् विकासशील प्रक्रिया है। उसका सम्बन्ध मानव जीवन के विकास क्रम से जुड़ा हुआ है। फलतः आधुनिक युग के ज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिक तथा सामाजिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय सम्बन्धों एवं दृष्टिकोणों में तीव्रगति से होने वाले परिवर्तन तथा विकास के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए महत्वपूर्ण संदर्भ जुड़ गए हैं। भाषा और साहित्य–शिक्षण पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। इनमें सम्बन्धित उचित पाठ्य–सामग्री का समावेश भी आवश्यक है। अतः कुछ प्रमुख संदर्भों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है।

सामान्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के केन्द्रिक घटक

सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारे देश के लिए समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित विद्यालयी शिक्षा की एक राष्ट्रीय पद्धति अपनाने की सिफारिश की गई है। इसके अनुसार समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा में अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया है। इन घटकों को केन्द्रिक घटक या केंद्रीय घटक कहा गया। ये केन्द्रिक घटक है– *भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय पहचान के पोषण के लिए आवश्यक विषय–वस्तु, भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र, पंथ–निरपेक्षता और समतावाद, स्त्री–पुरूष की समानता, पर्यावरण संरक्षण, प्रगति में बाधक सामाजिक अवरोधों को समाप्त करना, लघु परिवार की मान्यता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।* इन केंद्रीय घटकों से सम्बन्धित विषय–सामग्री का तात्पर्य केवल यह है कि विद्यालयी स्तर की विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों में इन्हें यथोचित स्थान दिया जाता है ताकि विद्यार्थी उनसे परिचित होकर उनमें निहित जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। वस्तुतः केन्द्रिक घटकों के आधार बिन्दु हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। संविधान के भाग 3, 4, 4क में मूल अधिकारों, कर्तव्यों और राज्य नीति–निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है। उनमें लगभग सभी केन्द्रिक घटकों का पूरा–पूरा संकेत मिल जाता है। शिक्षक को संविधान के इन अंशों से अवश्य परिचित होना चाहिए जिससे वे अपनी शिक्षण–प्रक्रिया में यथाप्रसंग इनसे छात्रों को अवगत करा सकें।

7.7.1 मूल कर्तव्यः भारतीय संविधान के भाग IV अ के अनुच्छेद 51 अ में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को भी केन्द्रिक घटकों में शामिल करना चाहिए। इनके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
(ग) भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्य बनाए रखे।
(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
(ड़) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो।
(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू सके।

7.7.2 मानव अधिकारः मानवाधिकार का संदर्भ राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी है। भारत को श्रेय और गौरव प्राप्त है कि उसका संविधान विश्व में सर्वाधिक मानवाधिकार आधारित संविधान है। इस संविधान का निर्माण लगभग उसी समय हुआ था जब सन् 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा हुई हमारे संविधान के आमुख में तथा मूल अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में मानवाधिकार स्पष्ट रूप से 'नागरिकों के मूल अधिकारों' के रूप में उल्लिखित है–

नागरिकों के मूल अधिकार इस प्रकार हैं–

- कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। कोई भी कानून के संरक्षण से वंचित नहीं होगा।
- धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा।
- राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता रहेगी।
- अस्पृश्यता अमान्य है, अतः अब कोई अस्पृश्य नहीं है। सभी एक समान हैं।

– सभी नागरिकों को अपने भावों, विचारों और मतों के प्रकाशन की स्वतंत्रता है। सभी को अपने धर्म की उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है।
– शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने का सभी को अधिकार है।
– सभी को संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों का अधिकार है।

ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि व्यक्ति अपने उत्कर्ष के साथ–साथ सामाजिक और राष्ट्रीय उत्कर्ष में सहयोग प्रदान करे। हमारा संवैधानिक दायित्व यह है कि इन अधिकारों का सदुपयोग हो। मानव अधिकार की मुख्य बातें इनमें आ गई हैं।

वस्तुतः उपर्युक्त अधिकारों का सही उपयोग न होने के कारण मानवाधिकार का संदर्भ और भी महत्वपूर्ण हो गया है और उस पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा है। सामाजिक विसंगतियाँ, भेदभाव, ऊँच–नीच की भावना, निर्धन और पिछड़े वर्ग के प्रति शोषण की प्रवृत्ति, उनका दमन और हिंसा, जातिगत एवं साम्प्रदायिक विद्वेष आदि से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए ही मानवाधिकार का प्रश्न उठ खड़ा होता है। इन्हें दूर करने के लिए ही मानवाधिकार के प्रश्नों के अन्तर्गत अनेक नीति निर्देशन का उल्लेख है। सामान्यतः इन अधिकारों को चार कोटियों में दर्शाया गया है।

(1) नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार।
(2) सुविधा वंचित वर्गों, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी व महिलाओं के अधिकार।
(3) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार।
(4) पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन से सम्बन्धित अधिकार।

यद्यपि ये अधिकार परस्पर सम्बंधित हैं, किन्तु सामाजिक भेदभाव को दूर करने तथा सुविधा–वंचित वर्गों के विकास और उत्कर्ष का समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से इन्हें उपर्युक्त चार खंडों में विभाजित किया गया है, ताकि मानवाधिकार संरक्षण उचित प्रकार से संभव हो सके। इस संरक्षण की दृष्टि से अनेक संस्थाएँ सभी देशों में कार्य कर रही हैं। सुविधा–वंचित वर्गों से संबंधित संस्थाएँ विशेष रूप से सक्रिय हैं। हमारे देश में भी मानवाधिकार आयोग इस बात के लिए सतत् प्रयत्नशील रहता है कि मानवाधिकार का हनन या उल्लंघन न होने पाए। साहित्य में मानवाधिकार सम्बन्धी पाठ्य–पुस्तक सामग्री का समावेश किया जाने लगा है। दलितों, आदिवासियों, महिलाओं आदि के प्रति किए जाने वाले शोषण दुर्व्यवहार आदि का चित्रण अनेक उपन्यासों और कहानियों में मिलता है। निःसंदेह ऐसी पाठ्य–सामग्री के अध्ययन से शिक्षार्थियों तथा पाठकों के मन में इन सामाजिक विसंगतियों अन्यायों और अत्याचारों को दूर करने की भावना विकसित होगी और उनमें मानवाधिकार के प्रति स्वस्थ अभिवृति का विकास होगा।

7.7.3 सुविधा–वंचित वर्ग के बालक–बालिकाओं की शिक्षाः ऐसे शिक्षार्थियों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित रहे हैं। हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को मौलिक अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ता है। उसमें यह चेतना जगाने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्राप्त है। सामाजिक समानता और समरसता के लिए इन वर्गों के लोगों के उत्कर्ष के लिए और पूर्णतः नागरिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए सभी प्रयास करने होंगे। इस दृष्टि से शिक्षा में भी उपर्युक्त पाठ्यक्रम एवं पाठ्य–सामग्री का प्रावधान आवश्यक है।

7.7.4 महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरणः राष्ट्रीय शिक्षानीति (1986) में महिलाओं की समानता और सबलीकरण की दृष्टि से उनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उन्हें समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार उनका मौलिक अधिकार है। अब तक उन्हें सुविधा–वंचित वर्ग में ही माना जाता रहा है जिसका निवारण उन्हें शैक्षिक अवसरों की समानता के द्वारा ही संभव है। इसी कारण बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। अधिक से अधिक बालिकाओं के लिए शिक्षा सुलभ कराने और विशेष तौर पर ग्रामीण बालिकाओं के लिए विशेष शैक्षिक व्यवस्था की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी दृष्टि से हमें उपर्युक्त पाठ्य सामग्री का निर्माण करना चाहिए। वस्तुतः महिलाओं के सबलीकरण की भावना केन्द्रिक घटक, 'स्त्री–पुरूष की समानता' में समाहित है।

7.7.5 जीवन–कौशलों (उपभोक्ता अधिकार, व्यावसायिक शिक्षा, साथ–साथ जीने की कला) से शिक्षा की सम्बद्धताः शिक्षा का वास्तविक दायित्व यह है कि छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार करे। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा विभिन्न जीवन कौशलों से जुड़ी रहे, ऐसी योग्यताएं पैदा करें जो उन्हें वर्तमान कठिनाईयों और कुप्रथाओं से जूझने की शक्ति प्रदान करे, जैसे– नशीले पदार्थों का सेवन से दूर रहना, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक चुनौतियों का सामना करना आदि।

ऐसे कौशल विशेष रूप से छात्रों में विकसित किए जाएँ जिससे वह आज के युग के व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक चुनौतियों का सामना कर सकें। इस संदर्भ में उपभोक्ता अधिकार से उन्हें अवश्य परिचित होना चाहिये। उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता और उनसे जुड़ी सेवाओं पर प्रश्न खड़े करने का हौसला छात्रों में होना चाहिए। उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं या उत्पादकों को लिखकर शिकायत दर्ज कराने की समझ और नागरिक अधिकारियों को माल की गुणवत्ता और सेवाओं के बारे में यह लिखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बेचा जाने वाला माल शुद्ध है या नहीं। इससे शिक्षार्थियों में बाजार–चेतना आयेगी। छात्रों में नागरिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के लिये सामान्य कानूनी समझ भी विकसित करानी चाहिए। कई ऐसे मूलभूत जीवन–कौशल हैं जो सफलतापूर्वक जीने के लिए, आवश्यक और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे–समस्या–निवारण, आलोचनात्मक चिंतन, दूसरों के प्रति सहानुभूति और उनकी भावनाओं के साथ जुड़ना तथा साथ–साथ जीने की कला आदि।

7.7.6 सूचना और संचार प्रौद्योगिकीः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा ज्ञान और कौशल की वृद्धि में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का विस्तार करते हुए शैक्षिक योजनाओं को लागू करने में इससे बड़ी सहायता मिलेगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह दूरसंचार, दूरदर्शन और कम्प्यूटरों का एक ही बिन्दु पर मिलन है। दूरसंचार और कम्प्यूटरों की शिक्षा आज के विद्यालयी पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है।

7.7.7 भूमंडलीकरण का प्रभावः भूमंडलीकरण के आवश्यक तीव्र प्रगति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकास का ही परिणाम है। इस विकास से सचमुच सारी दुनिया सिमट कर एक ग्राम के रूप में बदल गई। जिसे विश्वग्राम की संज्ञा दी गई है। इसके कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक पर्यावरण की समझ बढ़ी है। भूमंडलीकरण के आवश्यक तत्व हैं– समूची पृथ्वी पर व्याप्त बाजारवादी अर्थशास्त्र, तीव्रगति युक्त प्रौद्योगिकी नवाचार जिसमें संचार प्रणाली शामिल है। भूमंडलीकरण के कारण शिक्षा के माध्यम से यह भावना विकसित होगी कि लोग जहाँ अपने में एक साथ रहने की इच्छा पूरी कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर विश्वग्राम की अवधारणा को भी स्वीकार कर सकेंगे। भूमंडलीकरण के कारण सार्वभौम मानवीय मूल्य, सहिष्णुता, मानव अधिकार विविध संस्कृतियों के बीच एकता, दूसरों के प्रति सम्मान, पर्यावरण संतुलन आदि मुद्दों के प्रति चेतना उत्पन्न हुई है और सार्वभौम मानवीय दृष्टिकोण में उदारता विकसित हुई है। इस भूमंडलीकरण की एक आशंका भी है कि इससे विकसित देशों का अविकसित और विकासशील देशों पर आर्थिक प्रभुता बढ़ेगी, अतः इससे सजग रहते हुए इसके साकात्मक पक्षों को ही शिक्षा में स्थान देना उचित होगा।

7.7.8 भाषिक सामग्रीः के अन्तर्गत विविध भाषा योग्यताओं एवं कौशलों के विकास की दृष्टि से अपेक्षित भाषिक तत्वों के समावेश पर विचार किया जाता है। भाषिक–सामग्री में शब्दावली (शब्द, पद, मुहावरे, विविध प्रयोग आदि) संचार (पद, उपवाक्य, वाक्य स्तर पर) तथा अन्य व्याकरणिक रूपों का इस दृष्टि से चयन किया जाता है कि बालकों का भाषा ज्ञान उत्तरोत्तर सवंर्द्धित हो और भाषा के व्यवहार में उन्हें दक्षता प्राप्त हो।
भाषिक–सामग्री के चयन में निम्नांकित बातें ध्यातव्य हैं–

- शैक्षणिक उद्देश्य के अनुरूप
- विषय–वस्तु के अनुरूप
- बालकों के विभिन्न बौद्धिक स्तर के अनुकूल
- प्रारम्भिक कक्षाओं में नियंत्रित भाषा–सामग्री पर उतरोत्तर ऊँची कक्षाओं में सम्पन्न एवं संवर्द्धित भाषा सामग्री
- ऐसे स्थानिक भाषा–प्रयोगों का समावेश जो मानव साहित्यिक भाषा के संवर्द्धन में सहायक है।

7.7.9 साहित्यिक रूप एवं विधाएँः मातृभाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठों का चयन होना चाहिए जिनके द्वारा बालकों की विविध साहित्यिक विधाओं एवं उनकी शैलियों का परिचय मिल जाय। कहानी, निबन्ध, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, कविता तथा उसके विधि रूपों का परिचय देने के लिए, उस प्रकार के पाठों का चयन आवश्यक हो जाता है। कक्षा 8 तक की पाठ्यपुस्तक में विधाओं की समस्या विशेष रूप में रहती है, क्योंकि एक पाठ्यपुस्तक में ही इन विधाओं से सम्बन्धित पाठों का समावेश होता है। कक्षा 9 के गद्य और पद्य की पाठ्यपुस्तकें अलग–अलग होती है। इनके अतिरिक्त नाटक या एकांकी, कहानी, संग्रह, उपन्यास, खण्ड काव्य आदि अलग से भी पढ़ने होते हैं। अतः साहित्यिक विधाओं का परिचय इनके द्वारा अपने–आप प्राप्त हो जाता है। साहित्यिक विधाओं के चयन में निम्नांकित बातें ध्यातव्य हैं–

- शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप
- विविध साहित्यिक विधाओं का प्रतिनिधित्व
- विविध विधाओं का उचित अनुपात
- बालकों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप
- मातृभाषा की अन्य शैक्षणिक सामग्री में सहायक एवं पूरक

7.7.10 विषय–सामग्री की मात्रा– मातृभाषा की पाठ्यपुस्तक में विषय सामग्री की मात्रा इस बात पर निर्भर है कि सम्पूर्ण मातृभाषा–पाठ्यचर्या में पाठ्यपुस्तक शिक्षण के लिए कितना समय निर्धारित है और मातृभाषा–शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से किसी प्रकार की कितनी विषय सामग्री अपेक्षित है। विषय–सामग्री के विविध रूप क्या हैं? जीवन के किन–किन क्षेत्रों एवं कार्यों से संबंधित विषय–सामग्री का समावेश होना चाहिए और उनका परस्पर क्या अनुपात होना चाहिए आदि बातें भाषा की दृष्टि से विचारणीय हैं।

विषय सामग्री का स्तरीकरण– वैचारिक–सामग्री, भाषिक–सामग्री एवं साहित्यिक–विधाएँ पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। शैक्षणिक उद्देश्य एवं तद्निहित उपेक्षित व्यवहार, शिक्षार्थियों की रूचि एवं मानसिक परिपक्वता, पठन एवं भाषिक कौशलों के शिक्षण की विधि पद्धतियों आदि लक्षण ही विषय–सामग्री के वर्गीकरण के आधार है। वैचारिक–सामग्री में मूल विषय–वस्तु एवं प्रत्ययों (मानवीय मूल्यों, जीवन के अनुभवों एवं अन्य भाव एवं विचार सम्बन्धी प्रत्यय) पर विचार किया जाता है और उनका वर्गीकरण अपरिचित पाठों की मात्रा, जटिलता, सूक्ष्मता आदि के आधार पर किया जाता है। वैचारिक सामग्री के वर्गीकरण में निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाता है–

- ज्ञात से अज्ञात की ओर
- सरल से जटिल की ओर
- स्थूल से सूक्ष्म की ओर
- निरीक्षण से तर्क की ओर
- यथार्थ से आदर्श की ओर

– पाठों का पूर्व पाठ से सम्बन्ध
– शिक्षार्थियों की मानसिक परिपक्वता
– शिक्षार्थियों की रूचि की परिवर्तनशीलता

भाषिक–सामग्री में शब्दावली, संरचना, व्याकरणिक, अवयवों एवं शैली पर विचार किया जाता है। इनके वर्गीकरण में भी ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, शिक्षार्थियों की रूचि एवं मानसिक परिपक्वता आदि का आधार लिया जाता है। शैली के अन्तर्गत शैली की प्रकृति और भाषा दोनों का ध्यान रखा जाता है। इसके वर्गीकरण में भी उपयुक्त सूत्रों का आधार माना जाता है।

विविध साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण भी जटिलता, नवीनता, शिक्षार्थियों की मानसिक परिपक्वता और रूचि के अनुसार किया जाता है। पाठों की क्रमयोजना भी वर्गीकृत रूप में ही होनी चाहिए। छोटे और कम शिक्षण–बिन्दु वाले पाठ पहले तथा लंबे और अधिक शिक्षण बिन्दु वाले पाठ बाद में रखने चाहिए।

7.7.11 विषय–सामग्री का प्रस्तुतीकरण– प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से निम्नांकित बातें विचारणीय हैं–

(क) पाठ्य–सामग्री अथवा विविध पाठ– पाठ्यपुस्तक में पाठों के प्रस्तुतीकरण पर दो दृष्टियों से विचार किया जाता है–

सम्पूर्ण पुस्तक में पाठों का प्रस्तुतीकरण– सम्पूर्ण पुस्तक में पाठों के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से विभिन्न साहित्यिक विधाओं, उपविधाओं, शैलियों एवं संगठनात्मक रूपों का ध्यान रखना पड़ता है। प्राइमरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठों की इकाइयाँ भाषिक–सामग्री के आधार पर और माध्यमिक कक्षा की पाठ्यपुस्तक में वैचारिक सामग्री या विधा के आधार पर बनाई जा सकती है। दो क्रमोत्तर कक्षाओं जैसे – 3,4,5,6,7,8,9 तथा 10 आदि की पाठ्यपुस्तक के प्रस्तुतीकरण के रूप में बहुत अन्तर नहीं होना चाहिए। एक पाठ में प्रस्तुतीकरण में भी विधा, शैली एवं पाठ की लम्बाई आदि का ध्यान रखना पड़ता है। भावों, विचारों की अभिव्यक्ति का भी ध्यान प्रस्तुतीकरण में आवश्यक है। कक्षा 9 तक आगे की पाठ्यपुस्तकों में अधिकतर पाठों का संकलन किया जाता है और प्रतिसाहित्यकारों की कृतियाँ ही पाठ के रूप में संचयित हो जाती हैं। अतः इनमें ध्यान रखना पड़ता है कि विविध विधाओं, शैलियों आदि का उचित प्रतिनिधित्व अवश्य हो।

प्रस्तुतीकरण में यह ध्यातव्य है कि माध्यमिक कक्षाओं में बालक प्रमुख साहित्यिक विधाओं–निबन्ध, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, एकांकी, प्रबंधात्मक कविता, मुक्तगीत आदि से परिचित हो जाएँ। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक सभी साहित्यिक विधाओं एवं शैलियों से उन्हें परिचित हो जाना चाहिए।

(ख) अभ्यास– मातृभाषा की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास का विशेष महत्व है। प्रत्येक पाठ के अन्त में भाषिक एवं वैचारिक सामग्री पर विविध अभ्यास आवश्यक है। अभ्यासों की रचना करते समय

विषय–सामग्री की प्रकृति, शैक्षणिक उद्देश्य, शिक्षण–पद्धति, परीक्षण–पद्धति, मातृभाषा–शिक्षण का सम्पूर्ण कार्यक्रम, मातृभाषा के शिक्षण आदि बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इनके अतिरिक्त अभ्यासों की रचना में निम्नांकित बातें भी विचारणीय है–

यथासम्भव सम्पूर्ण विषय–सामग्री पर अभ्यासों की रचना– यद्यपि पाठ की सम्पूर्ण विषय–सामग्री और इसके प्रत्येक शिक्षण बिन्दु पर अभ्यास देना सम्भव नहीं है, तथापि प्रमुख वैचारिक एवं भाषिक–सामग्री का तो ध्यान रखना ही चाहिए जिससे प्रमुख शिक्षण बिन्दुओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाये। पाठान्तर्गत शिक्षण–बिन्दु से सम्बन्धित इतर ज्ञान एवं योग्यता पर भी अभ्यास दिया जा सकता है। ये अभ्यास बालकों के सामान्य भाषिक एवं साहित्यिक ज्ञानवर्द्धन में विशेष सहायक सिद्ध होते हैं।

शैक्षणिक उद्देश्यों की दृष्टि से अभ्यासों की रचना– अभ्यासों की रचना करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस वर्ग के शैक्षणिक उद्देश्यों ज्ञान–बोध, अभिव्यक्ति आदि की पूर्ति में सहायक हो। उद्देश्यों के अन्तर्गत जो विशिष्ट अपेक्षित व्यवहार है, उन सभी की दृष्टि से अभ्यासों की रचना करनी चाहिए। जिससे ज्ञान, कौशल, समीक्षा आदि कोई अंग छूट न जाए। उद्देश्यों के कठिनाई स्तर को देखते हुए अभ्यासों की मात्रा निर्धारित होनी चाहिये।

अभ्यासों में सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश– अभ्यासों में निबन्धात्मक लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ आदि सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश आवश्यक है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक पाठ में इन तीनों ही प्रकारों के प्रश्न आवश्यक हैं। पाठ की प्रकृति एवं शैक्षणिक उद्देश्यों पर यह बहुत कुछ निर्भर है कि किस प्रकार के प्रश्न अभ्यास में दिए जाएँ। यदि किसी पाठ में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के लिए अधिक सामग्री और अवसर है तो पाठ में निबन्धात्मक प्रश्न अधिक उपयुक्त होंगे। पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण–बिन्दुओं के आधार पर इन तीनों प्रकार के प्रश्नों का अनुपात भी निश्चित किया जा सकता है।

अभ्यासों की प्रकृति एवं उसके रूप– प्रकृति की दृष्टि से अभ्यासों के अनेक रूप हो सकते हैं– आवृत्यात्मक, विकासात्मक, निष्कर्षात्मक, निदानात्मक आदि। प्रथम तीनों प्रकार के अभ्यास शैक्षणिक उद्देश्यों के अन्तर्गत विशिष्ट व्यवहारों पर आधारित हैं, जैसे– ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि। विकासात्मक एवं निष्कर्षात्मक अभ्यासों की रचना बालकों की मानसिक परिपक्वता की दृष्टि से होनी चाहिए, क्योंकि इन अभ्यासों में बालक को पठित सामग्री के अतिरिक्त और बातों पर भी विचार करना पड़ता है।

प्रश्न–युक्तियों के अनुसार अभ्यास की योजना– मौखिक, लिखित एवं क्रियात्मक उत्तरों की दृष्टि से भी अभ्यासों की रचना होनी चाहिए। कुछ अभ्यास ऐसे होंगे जिनका उद्देश्य बालकों में मौखिक उत्तर प्राप्त करना होता है। कुछ ऐसे होंगे जिनका उद्देश्य लिखित उत्तर प्राप्त करना होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनका उद्देश्य बालकों को किसी क्रिया में प्रवृत्त करना होगा। इन्हीं आधारों पर प्रश्न के प्रकार भी निर्धारित होते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की दृष्टि से निबन्धात्मक प्रश्न अच्छे सिद्ध होते हैं। मौखिक, लिखित एवं क्रियात्मक रूपों के अभ्यास विभिन्न वर्गों के अनुसार विभिन्न मात्रा या अनुपात में हो सकते हैं। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में मौलिक एवं क्रियात्मक अभ्यास अधिक उपयुक्त होते हैं। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लिखित उत्तर वाले अभ्यास अधिक हो सकते हैं।

शिक्षार्थी का ध्यान– प्रश्न एवं अभ्यास की रचना में शिक्षार्थी की मानसिक परिपक्वता, भाषा, योग्यता आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि प्रश्न एवं अभ्यास विचारप्रेरक हो और उनकी भाषा कक्षा–स्तर के अनुकूल हो। सम्पूर्ण पुस्तक में अभ्यासों की मात्रा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के कार्य–भार के अनुसार, पूरी पुस्तक की पाठ्य–सामग्री के अनुसार तथा शिक्षार्थी के अन्य कार्यों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास देने के साथ–साथ यदि आवश्यक हो तो पुस्तकों के अन्त में सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री पर आधारित अभ्यास भी दिये जा सकते हैं।

चित्र– पाठ्यपुस्तक में चित्रों की उपयोगिता सर्वमान्य है, पर यह प्रश्न अवश्य विवादास्पद बना रहता है कि चित्रों को कहाँ और कितना स्थान प्रदान किया जाये। प्रारम्भिक कक्षाओं में चित्रों की संख्या अधिक होती है और पाठ्यपुस्तक में उनके लिए अधिक स्थान प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। ऊँची कक्षाओं में यह संख्या कम होती जाती है। चित्रों की योजना पाठ्य–सामग्री, शैक्षणिक उद्देश्य, शिक्षार्थी, शिक्षण–युक्ति, शिक्षक आदि पर निर्भर है। चित्र हर प्रकार से पाठ्य–सामग्री से संबंधित अवश्य है। यह कथन सही है कि जिन बातों को शब्दों से नहीं समझा सकते उन्हें चित्रों द्वारा सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। शैक्षणिक उद्देश्य, शिक्षण–युक्ति, शिक्षक से सीमित साधन आदि की दृष्टि से चित्रों की अनेक उपयोग्यताएँ; जैसे– शिक्षार्थी को पाठ के प्रति आकर्षित करना, सूक्ष्म तथ्यों एवं सूचनाओं को स्थूल एवं साकार रूप देना, पाठ्य–सामग्री के शिक्षण बिन्दु को भी स्पष्ट करना, पाठ्य–सामग्री से सम्बन्धित अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करना, बालकों में सौन्दर्यप्रियता की भावना को विकसित करना आदि। चित्रों के आकार–प्रकार, रूप रंग तथा घटना एवं संकेत विवरण आदि का निर्धारण छात्रों की आयु, योग्यता एवं रूचि के अनुसार होना चाहिए। प्रारम्भिक कक्षाओं के चित्र रंगीन और आकर्षक पर ऊँची कक्षाओं में सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक अधिक होंगे। चित्र स्वच्छ, स्पष्ट, शुद्ध एवं उचित आकार–प्रकार के अवश्य होने चाहिए। मनोहर एवं प्रेरणादायी चित्र ही उपयोगी होते हैं। पाठ्यपुस्तक में चित्रों का स्थान पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थी तथा शिक्षण–युक्ति पर निर्भर है। यथासंभव चित्र तत्सम्बन्धी पाठ्य सामग्री के पास ही होना चाहिए। यदि किसी चित्र का प्रसंग केवल एक या दो बार आता है तो उसे पृष्ठ के एक ओर कोने में दे सकते हैं। पर यदि अनेक बार उसका प्रसंग उठता है तो उसे पृष्ठ के बीच में दिया जा सकता है। वस्तुतः पाठ्य सामग्री की दृष्टि से चित्र का कितना महत्व है। इसके अनुसार चित्र को प्रमुखता मिलती है।

7.7.12 पाठ्यपुस्तक के प्रारम्भ से आवश्यक बातें– पुस्तक के आरम्भ में प्राक्कथन, प्रस्तावना या भूमिका, शिक्षकों के प्रति, शिक्षार्थियों के प्रति, आदि बातें दी जाती हैं और पुस्तक के अध्ययन में ये बातें सहायक एवं उपयोगी भी सिद्ध होती है। प्राक्कथन में पुस्तक लिखने का प्रयोजन, पाठ्यपुस्तक लिखने वाले अभिकरण का नाम तथा पुस्तक की विशेषताओं आदि का उल्लेख किया जाता है। प्रस्तावना या भूमिका में मातृभाषा की विषय–सामग्री की प्रकृति एवं तद्नुसार पाठ्यपुस्तक में विषय–सामग्री की विशेषताएँ एवं उपयुक्तता, विषय सामग्री का संगठन आदि पर प्रकाश डाला जाता है। यह उल्लेख संक्षिप्त, विवेचनात्मक एवं रोचक

होना चाहिए तथा लेखक या सम्पादक का विषय–सामग्री के चयन वर्गीकरण एवं प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए।

शिक्षकों के प्रति वक्तव्य में शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक की विषय–सामग्री का स्पष्टीकरण, शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से विषय–सामग्री की उपयुक्तता एवं उपयोगिता, शिक्षण–युक्ति तथा शिक्षक के लिए आवश्यक सुझाव एवं उचित निर्देश का उल्लेख होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक की विषय–सामग्री का दो दृष्टियों से विश्लेषण किया जा सकता है– (i)विषय–सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न पाठों का सम्बन्ध और प्रस्तुतीकरण, तथा (ii)शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से विषय–सामग्री की उपयुक्तता एवं उपयोगिता, शिक्षण–युक्ति तथा शिक्षक के लिए आवश्यक सुझाव एवं उचित निर्देश का उल्लेख होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक की विषय–सामग्री का दो दृष्टियों से विश्लेषण किया जाता है। सामान्य शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक पढ़ाने के लिए कुछ सामान्य निर्देश विभिन्न पाठों के शिक्षण में ध्यान देने योग्य विशेष बातें, प्रश्न और अभ्यास के समुचित प्रयोग की आवश्यकता एवं सुझाव आदि का भी उल्लेख होना चाहिए। ये सुझाव एवं निर्देश ऐसी भाषा और शैली में हों कि सभी शिक्षक सफलतापूर्वक समझ सकें। इस प्रकार शिक्षार्थियों के प्रति भी आवश्यक सुझावों एवं निर्देशों का उल्लेख होना चाहिए। जिसमें पाठ्यपुस्तक के अध्ययन एवं अनुशीलन की विधियों पर प्रकाश पड़ सके। विद्यार्थियों को दिए गए निर्देश बहुत ही स्पष्ट, व्यावहारिक एवं निश्चित प्रकार के होने चाहिए। जिसे वे सरलता एवं सुगमता से कार्यान्वित कर सकें। वस्तुतः पुस्तक के आरम्भ में दी जाने वाली उपर्युक्त बातों की उपयोगिता पाठ्य–सामग्री के अध्ययन अध्यापन को प्रभावपूर्ण बनाने में ही निहित है।

7.7.13 पाठ्यपुस्तक के अन्त में आवश्यक बातें– पाठ्यपुस्तक के अन्त में आवश्यक शब्दकोश, पुस्तक की भाषा पर आधारित भाषा सम्बन्धी अभ्यास, व्याख्या, टिप्पणियाँ, अन्तःकथाएँ संदर्भ आदि भी दिये जाते हैं। शब्दकोश दे देने से विद्यार्थियों का शब्दकोश देखने का प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जाता है। शब्दकोश देने में शब्दों की संख्या, पाठों से उपर्युक्त शब्दों का चयन, शब्दों का क्रम, शब्दार्थ आदि बातें विचारणीय हैं। शब्दार्थ बिलकुल सही देने चाहिए शब्दक्रम हिन्दी वर्णक्रम के अनुसार होना चाहिए।

सम्पूर्ण पुस्तक की भाषिक सामग्री पर आधारित भाषा से सम्बन्धी अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक पाठ के साथ दिए गए भाषिक अभ्यास केवल इस पाठ पर आधारित होते हैं। भाषिक तत्वों से सम्बन्धित व्याकरणिक अवयव छूट जाते हैं। अन्त के भाषिक अभ्यासों द्वारा यह अपूर्णता पूरी हो जाती है। ये भाषिक अभ्यास शब्दावली, संरचना तथा अन्य व्याकरणिक अवयवों से संबंधित होने चाहिए। भाषा के सैद्धान्तिक, व्यावहारिक दोनों ही पक्षों का आधार इन अभ्यासों में होना चाहिए। वैचारिक सामग्री सम्बन्धी अभ्यास भी प्रत्येक पाठ के अन्त में दिए जाते हैं और वे उस पाठ से संबंधित होने के कारण अपने में भी पूर्ण होते हैं पर भाषिक–सामग्री के अभ्यासों में यह बात नहीं हो पाती, क्योंकि एक पाठ से संबंधित होने के कारण अपने में भी पूर्ण होते हैं। पर भाषिक–सामग्री के अभ्यासों में यह बात नहीं हो पाती, क्योंकि एक पाठ से संबंधित भाषिक अभ्यासों द्वारा भाषा का समग्र रूप सामने नहीं आ

पाता और उसके अनेक पक्ष छूट जाते हैं। पुस्तक के अन्त में भाषिक अभ्यासों का स्थान कक्षा 8 तक विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती।

वैचारिक सामग्री की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक के अन्त में कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की आवश्यक व्याख्या, आवश्यक सन्दर्भ आदि का उल्लेख समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इनके अभाव में पाठ्यपुस्तक के अनेक स्थल एवं प्रसंग स्पष्ट नहीं हो पाते। इसी प्रकार विशिष्ट प्रयोगों, रूढ़ियों, कवि–प्रसिद्धियों, सूक्तियों आदि के स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक विषयों से संबंधित पाठों में आए हुए पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या या टिप्पणियाँ भी आवश्यक होती हैं। ये टिप्पणियाँ पाठों के क्रमानुसार दी जानी चाहिए।

पाठ्यपुस्तक के रूपात्मक पक्ष की दृष्टि से निम्नांकित बातें विचारणीय है–पुस्तक का आकार, पुस्तक का डिजाइन, जिल्द, मुखपृष्ठ, कागज, टाइप के विभिन्न रूप और आकार, मुद्रण, पुस्तक की कीमत आदि का चुनाव विषय–सामग्री शिक्षार्थी तथा शिक्षण युक्ति के अनुसार किया जाता है। पुस्तक की पूरी प्ररचना आकर्षक होनी चाहिए। विषय–सामग्री की प्रकृति एवं मात्रा के अनुसार ही प्ररचना का निर्धारण होना चाहिए। शिक्षार्थी के सुझाव के अनुसार ही पुस्तक का आकार भी होना चाहिए। सामान्यतः प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक का आकार 9'/2"×7" माध्यमिक कक्षाओं के लिए 8"×6" तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए 8" × 5" चुना जाता है। टाइप का आकार भी विषम सामग्री एवं शिक्षार्थी के अनुसार तय किया जाता है। प्राइमरी तथा छोटी कक्षा 1 के लिए 36 प्वाइन्ट कक्षा 2 के लिए 24 प्वाइन्ट कक्षा 3 के लिए 18 प्वाइन्ट, कक्षा 4 के लिए 14 प्वाइन्ट ब्लैक तथा पाँचवी से 11 वीं कक्षा तक के लिए 14 प्वाइन्ट हाइट ठीक माना जाता है। कक्षा 6 से 11 की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यासों के लिए टाइप 12 प्वाइन्ट ठीक होता हैं। प्राइमरी तथा छोटी कक्षा के लिए पंक्ति की लम्बाई 4 इंच ठीक मानी जाती है। पुस्तक की जिल्द टिकाऊ होनी चाहिए। प्राइमरी कक्षाओं में जिल्द ऐसी हो कि वह पूरी तरह खुल सके। मुख्यपृष्ठ आकर्षक, मनोहर, मजबूत और टिकाऊ हो। मुद्रण शुद्ध, स्पष्ट और सुन्दर हो। पन्ने की दूसरी ओर मुद्रण नहीं झलकना चाहिए। पुस्तक की कीमत अधिक नहीं होनी चाहिए।

7.8 पुस्तकालय

पुस्तकें ज्ञान का आधार स्रोत कही गयी हैं। इनके संकलन के स्थल को पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालय हमारी बौद्धिक तृप्ति का स्थल हुआ करते हैं। यहाँ बैठकर पुस्तकों को सहचर्य में हम विश्रान्ति और आनन्द प्राप्त करते हैं। अवकाश के समय सबसे अच्छा उपयोग पुस्तकालय में बैठना है। विद्यालयों की कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकें ज्ञान के विस्तार का आधार होती हैं परन्तु इस अर्जित ज्ञान को और भी गहन और सर्जनशील बनाने में पुस्तकालय सहायता प्रदान करता है। पूरे विश्व के ज्ञान–विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का संकलन पुस्तकालय में होता है। अतः पुस्तकालय में बैठकर हम पूरे विश्व की सैर कर सकते हैं। पुस्तकालय हमारी सभ्यता और संस्कृति के परिचायक होते हैं। यहाँ संकलित पुस्तकों के

माध्यम से संस्कृति की प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी विचारधाराओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त किया जा सकता है।

7.8.1 पुस्तकालय और भाषा शिक्षण

भाषा शिक्षण के क्षेत्र में पुस्तकालय छात्र और अध्यापक दोनों की सहायता करते हैं। कक्षाओं हेतु पाठ तैयार करने के लिए अध्यापकों को सन्दर्भग्रन्थ पुस्तकालय में मिलते हैं। भाषा शिक्षण के क्षेत्रों में नित्य हो रहे अनुसन्धान की सूचना भी पुस्तकालय से ही मिलती है। सफल अध्यापन हेतु अध्यापक को पग–पग पर पुस्तकालय का सहारा लेना पड़ता है। विद्यार्थी भी पुस्तकालय से लाभ उठा सकते हैं। विद्यार्थी पुस्तकों के माध्यम से अपने द्वारा विषय का ज्ञानवर्द्धन करने के साथ ही पुस्तकालय में मनोरंजन भी कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी रूचि की पुस्तकें पुस्तकालय से ढूँढ़कर पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में सर्वाधिक ज्ञानार्जन या तो अध्यापक से करता है या पुस्तकालय से। यदि अध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है, तो पुस्तकालय उसकी आत्मा है– यह कथन अक्षरशः सत्य है।

7.9 सहगामी क्रियाएँ – वर्गीकरण, भाषा की दृष्टि से सहगामी क्रियाएँ

विद्यालयों में पाठ्यक्रम के साथ–साथ कुछ पाठ्येतर क्रियाकलाप भी चलते हैं। इन्हें ही पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहा जाता है। पाश्चात्य देशों में पहले इन्हें शिक्षा से भिन्न मानते हुए पाठान्तर या पाठ्येतर क्रियाएँ कहा जाता था। परन्तु बाद में यह समझ में आया कि ये क्रियाएँ छात्र के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत अधिक सहायक होती है, अतः इन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में स्वीकृति दी गयी। सहगामी क्रियाओं का महत्व तब भी माना जाता था। जब शिक्षा गुरूकुलों में दी जाती थी। आज तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही व्यक्तिगत निर्माण माना जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति कक्षा में चलने वाली क्रियाओं के अतिरिक्त कक्षा के बाहर किन्तु विद्यालय के भीतर चलने वाली अन्य क्रियाओं के सहयोग से ही सम्भव हो सकती है। ये क्रियाएँ *सहगामी क्रियाएँ* कही जाती हैं।

सहगामी क्रियाएँ छात्रों की अधोलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं–

मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति– समूह प्रियता छात्रों की अति सहज मनोवैज्ञानिक प्रवृति है। इसकी पूर्ति सहगामी क्रियाओं द्वारा होती है। क्योंकि ये समूह में सम्पन्न होती है, और छात्र इनमें बड़ी ललक से भाग लेता है।

नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति – सहगामी क्रियाएँ छात्र/छात्राओं में सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता आदि नैतिक धारणाएँ जाग्रत करती हैं।

रूचियों का विकास – इन क्रियाओं में सहभागिता से छात्रों की रूचि का पता चलता है। वह अपनी रूचि के कार्यों में ही भाग लेता है।

अवकाश के समय का सदुपयोग – सहगामी क्रियाओं में भाग लेकर छात्र अपने भावीजीवन में अवकाश का समय इन्हीं क्रियाओं को सम्पत्र करने में आनन्दपूर्वक बिताता है।

7.9.1 भाषा की दृष्टि से सहगामी क्रियाएँ

7.9.1.1 वाद–विवाद प्रतियोगिताएँ

इन प्रतियोगिताओं का छात्र के व्यक्तिव विकास में अधोलिखित योगदान हो सकता है–

- छात्र आत्मविश्वास पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकता है।
- इनमें भाग लेने के लिए छात्र विविध पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएँ पढ़ता है, अतः उसके ज्ञान में वृद्धि होती है।
- नये–नये विषयों की प्रस्तुति में वह नये शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकता है।
- इन प्रतियोगिताओं में सतत भागीदारी से छात्र का अपनी भाषा पर अधिकार हो सकता है।
- प्रतियोगिता में भागीदारी के कारण वह भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करता है तथा निरन्तर मंच पर बोलते रहने के कारण उसकी अपनी बोलने की शैली का विकास हो सकता है।
-

7.9.1.2 व्याख्यान या भाषण

विद्यालयों में नित्य अध्यापकों या बाहर से बुलाए जाने वाले लोगों के संक्षिप्त व विस्तृत व्याख्यान होने चाहिए। प्रार्थना के बाद नित्य 20 मिनट का संक्षिप्त व्याख्यान प्राचार्य, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से कराये जाने चाहिए।

- ऐतिहासिक, साहित्यिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक कोई भी विषय जो रोचक, ज्ञानवर्द्धक और मनोरंजक हो, भाषण के लिए चयनित किया जा सकता है।
- नवीन विषयों की जानकारी होने पर उनमें उत्सुकता जागृत होगी और वे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं।
- व्याख्यानों को सुनकर विद्यार्थियों की दृष्टि व्यापक हो सकती है।
- छात्र/छात्राओं को भाषण कला की विविध शैलियों का ज्ञान हो सकता है।

7.9.1.3 भाषा परिषद् या साहित्य परिषद्–

इन परिषदों के अन्तर्गत अधोलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं।

- कवि सम्मेलन अथवा कविगोष्ठी – स्वयं छात्रों द्वारा।
- अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता – विविध साहित्यिक कविताओं के माध्यम से।
- लेख प्रतियोगिता – समसामायिक समस्याओं पर आधारित।
- कहानी प्रतियोगिता – स्व रचित।
- काव्य पाठ – लयानुसार, प्रतिष्ठित कवियों की कविता का पाठ
- गद्य का शुद्ध पाठ – लिखित लेखवाचन – प्रतियोगिता द्वारा।

इन साहित्यिक क्रियाओं में सहयोगिता से छात्र/छात्राओं के दो लाभ होंगे। एक वे साहित्यिक रचनाओं के पठन में रूचि लेंगे। दूसरा वे स्वयं साहित्यिक रचनाएँ करने के लिए प्रेरित होंगे।

7.9.1.4 नाटकीय क्रियाएँ

छात्राओं के लघुनाटकों, एकांकी तथा बड़े नाटकों के मंचन में भाग लेने के लिए कहा जाये। ये नाटक विद्यालय के मंच पर खेले जायें। इनमें भागीदारी से छात्र/छात्राओं को अधोलिखित लाभ हो सकते हैं।

– नाटक साहित्य में छात्र/छात्राओं की रूचि जागृत होगी।

– अभिनय एक कला है, जिसमें वाचक, आंगिक और भावात्मक क्रियाएँ होती है। इनके माध्यम से छात्र/छात्राएँ परस्पर बातचीत का तरीका, आंगिक एवं वाचिक चेष्टाएँ आदि सीख सकते हैं।

– नाटक दृश्य–श्रव्य दोनों होने के कारण छात्र/छात्राओं को बहुत सहज ढंग से ज्ञानार्जन करने में सहायक होता है।

– नाटक को देख–सुनकर बालक भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखता है। बालक में अनुकरण की प्रवृति अत्यन्त बलवती होती है।

7.9.1.5 भ्रमण या सरस्वती यात्राएँ

स्वच्छंद घूमना और तरह–तरह के प्राकृतिक दृश्यों को देखना बालक की सहज प्रवृति है। अतः बालकों को साहित्यिक महत्व के स्थानों की यात्राएँ करायी जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यदि बालकों को प्रकृति संबंधी पाठ पढ़ाना है तो उन्हें प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में ले जायें। साहित्य में कितनी ही प्राकृतिक सम्पदाओं की चर्चा आती है। बालकों का इन सम्पदाओं से साक्षात्कार सरस्वती यात्राओं के माध्यम से कराया जाना चाहिए।

7.9.1.6 विद्यालय पत्रिका

यह मुद्रित अथवा हस्तलिखित दोनों रूपों में हो सकती है। इन पत्रिकाओं में बालकों का लेख, चुटकुले, कहानियाँ, बालगीत आदि छापकर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन पत्रिकाओं को छापने वाली रचनाएँ मौलिक होनी चाहिए। दूसरों की नकल की गयी रचनाएँ बिल्कुल न छापी जाएँ। विद्यालय की पत्रिका छात्र बड़ी रूचि से पढ़ते हैं क्योंकि इनमें छपी चीजें उनके अपने विद्यालय से जुड़ी होती है। इससे उनकी वाचन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। विद्यालय पत्रिका में लिखने से छात्रों की रचनात्मक क्षमता का विकास होगा। अतः इसे भावी रचनाकारों की नर्सरी रूप में प्रस्तुत करें।

7.9.1.7 संग्रहालय

विद्यालयों में भाषा संग्रहालय बनाये जायें। इनमें नयी, पुरानी छपी पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं भाषा शिक्षण संबंधी उपकरणों का संग्रह किया जा सकता है। इसे एक भाषा प्रयोगशाला रूप में भी विकसित किया जा सकता है।

7.10 अभ्यास प्रश्न

7.10.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1– पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या निर्माण के सोपानों का वर्णन कीजिये।
2– पाठ्य पुस्तक का अर्थ बतलाते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिये।
3– पाठ्य पुस्तकों के गुण दोषों पर प्रकाश डालते हुए सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिये।
4– भाषा की दृष्टि से विभिन्न सहगामी क्रियाएँ किस तरह आयोजित की जा सकती है। विस्तार से चर्चा करें।
5– विषय–सामग्री चयन की दृष्टि से कुछ नए महत्वपूर्ण शैक्षिक संदर्भों पर रोशनी डालिए।

7.10.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

1 पाठ्य पुस्तक निर्माण के अध्ययन पक्ष की पाँच विशेषताएँ लिखिये।
2. पाठ्य पुस्तक के पाँच गुणों का उल्लेख कीजिये।
3. पाठ्यचर्या का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
4. पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
5 पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट कीजिये।

7.11 संदर्भ

- मधु, नरूला, हिंदी शिक्षण , टवन्टी फर्स्ट सैन्चुरी प्रकाशन, पटियाला।
- शर्मा, शिवमूर्ति, हिंदी भाषा शिक्षण, नीलकमल प्रकाशन, हैदराबाद।
- शर्मा, राजकुमारी रामशकल, हिंदी शिक्षण, राधा प्रकाशन, आगरा।
- श्रीवास्तव, आर.एस. हिंदी शिक्षण, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर।
- सिंह, निरंजन कुमार, माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- कुमार, योगेश, आधुनिक हिंदी शिक्षण, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
- सिंह, सावित्री, हिंदी शिक्षण, गया प्रसाद एण्ड संस, आगरा।
- स्वयं अधिगम सामग्री, हिंदी शिक्षण प्रविधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

इकाई–8 सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण और विश्लेषण

इकाई की रूपरेखा

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता व महत्व

8.3.1 सर्वोत्तम प्रेरक

8.3.2 विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करते हैं

8.3.3 कंक्षा शिक्षण में विविधता लाने में मदद मिलती है

8.3.4 कठिन विषयों को समझने में आसानी होती है

8.3.5 भाषा शिक्षण सूत्रों पर आधारित

8.3.6 हिंदी भाषा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक

8.3.7 विद्यार्थी सक्रिय रहता है

8.4 श्रव्य–दृश्य साधनों से अभिप्राय

8.5 श्रव्य–दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण

8.6 श्रव्य–दृश्य साधनों का उपयुक्त चयन तथा प्रयोग

8.7 हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक शिक्षण सामग्री

8.7.1 चाक बोर्ड

8.7.2 चित्र, रेखाचित्र व मूकदर्शक चित्र

8.7.3 मॉडल

8.7.4 चार्ट

8.7.5 बुलैटिन बोर्ड (विज्ञप्ति पट)

8.7.6 वास्तविक वस्तुएँ

8.7.7 कम्प्यूटर

8.7.8 रेडियो

8.7.9 टेप रिकॉर्डर

8.7.10 अन्य आधुनिक तकनीकी उपकरण

8.7.11 पत्रिकाएँ

8.7.12 समाचार पत्र

8.8 हिंदी भाषा शिक्षण में पुस्तकालय

8.9 हिंदी भाषा प्रयोगशाला

8.10 सहसंज्ञानात्मक गतिविधियों की रूपरेखा (चर्चा, वादविवाद, खेल, कार्यशालाएं, गोष्ठी)

8.10.1 चर्चा

8.10.2 वाद–विवाद

8.10.3 खेल

8.10.4 कार्यशाला

8.10.5 गोष्ठी

8.11 हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का उचित प्रयोग

8.12 अभ्यास प्रश्न

8.12.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

8.12.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

शिक्षा के प्रारंभ से ही शिक्षण के अनेक ढ़ंग प्रचलित रहे हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य अध्यापक के द्वारा किया जाता था जो कि सामान्यतौर पर मौखिक रूप में होता था। अध्यापक शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु था और विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बना रहता था। एक तरह से अध्यापक को शिक्षण कार्य में किसी अन्य तरह की सहायता नहीं मिलती थी। लेकिन आज का दौर बदल गया है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। विश्व व राष्ट्रीय स्तर पर बनी शिक्षा की नीतियां पूरी तरह से आधुनिक तथा शिक्षा को बाल केंद्रित बनाती हैं। आज की शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। शिक्षा बच्चे की रूचि उसके स्वभाव और उसके मानसिक विकास के आधार पर होनी चाहिए। अध्यापक कक्षागत शिक्षण प्रक्रिया को इस तरह सरल व सजीव बनायें कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ

जाय। इस तरह शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए बहुत से साधनों की आवश्यकता होती है। शिक्षण में पाठ को रूचिकर, प्रभावशाली व बच्चों के स्वभाव के अनुकूल बनाने के लिए इस तरह के साधनों का प्रयोग होता हैं। ये साधन पाठ्य पुस्तकों कक्षा शिक्षण प्रणालियों, कक्षागत शिक्षण क्रियाओं एवं सह सम्बन्ध क्रियाओं आदि से सम्बन्धित होते हैं। ऐसा करने के लिए शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिनको *सहायक शिक्षण सामग्री* के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह ऐसे सभी साधन, उपकरण तथा स्रोत जो एक शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते है उन्हें शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में *सहायक शिक्षण सामग्री* कहते हैं।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- सहायक शिक्षण सामग्री का अर्थ समझ सकेंगे।
- सहायक शिक्षण सामग्री को परिभाषित कर सकेंगे।
- हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता व महत्व को जान सकेंगे।
- श्रव्य–दृश्य साधनों से क्या अभिप्राय है ? जान सकेंगे।
- श्रव्य–दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण कर सकेंगे।
- श्रव्य–दृश्य साधनों का उपयुक्त चयन तथा प्रयोग कर सकते हैं।
- हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक शिक्षण सामग्री से विस्तारपूर्वक परिचित हो सकेंगे।
- हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का उचित प्रयोग कर सकेंगे।
- सहसंज्ञानात्मक गतिविधियों की रूपरेखा (चर्चा, वादविवाद, खेल, कार्यशालाएं, गोष्ठी) को समझ सकेंगे।
- हिंदी भाषा शिक्षण में पुस्तकालय के महत्व को समझ सकेंगे।
- हिंदी भाषा प्रयोगशाला का हिंदी शिक्षण में प्रयोग कर सकेंगे।

हिंदी शिक्षण की दृष्टि से विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के शिक्षण कार्य में शिक्षक हिंदी भाषा संबंधी विभिन्न पाठों जैसे पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, प्रश्न पत्र का निर्माण, व्याकरण शिक्षण, निबंध शिक्षण और रचना शिक्षण इत्यादि के शिक्षण में जिन सहायक साधनों का प्रयोग करता हैं उन सभी साधनों, सामग्री तथा उपकरणों को हिंदी की सहायक शिक्षण सामग्री कहा जायेगा।

आज का दौर सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का है। शिक्षण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। ई–लर्निंग के युग की समस्याएँ भी आज विद्यमान हैं। इसलिए हिंदी शिक्षण के विद्यार्थियों को सहायक सामग्री के प्रयोग की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। आज सूचना एवं संप्रेषण तकनीक संसाधनों की सुविधा ने शिक्षा की परम्परागत व्यवस्था को बदल दिया है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से समाज की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। सूचना एवं संप्रेषण

तकनीक ने शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। जिससे शिक्षण में सुधार आया है और शैक्षिक गत्यात्मकता में वृद्धि हुई है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा विभिन्न तरह के विद्यार्थियों को विविध शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर पढ़ाया जा सकता हैं। हिंदी शिक्षण में पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्रभावी रूप से तथा क्षमतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न सूचना एवं संप्रेषण तकनीक माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में सहायक शिक्षण सामग्री में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक माध्यमों का स्थान केंद्रीय होता है।

8.3 हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता व महत्व

8.3.1 **सर्वोत्तम प्रेरक** – शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण के दौरान बच्चों का पढ़ने में ध्यान आकर्षित करते हैं साथ ही उनमें रूचि एवं उत्साह व प्रेरणा भी पैदा करते हैं। पाठ रोचक बन जाता है और बच्चे हर समय तत्पर रहकर विषय में ध्यान लगा पाते हैं। कठिन से कठिन विषय को आसान भाषा में नवीनीकरण के साथ रोचक बनाया जा सकता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के प्रयोग से आज हम पाठों को नये और उत्साहपूर्वक व रोचक अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे – पर्यावरण प्रदूषण जैसे विषय पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना व इस विषय को कोई फिल्म और वीडियों को दिखा कर अच्छी तरह समझा सकते है। इस तरह ज्ञानेंद्रियों के प्रभावपूर्ण उपयोग में भी शिक्षण सहायक सामग्री सहायक होती है।

8.3.2 **विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करते हैं–** शिक्षण सहायक सामग्री से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। काम करके सीखना या अपने आप को अधिगम का हिस्सा मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव से विषय सार्थक और सरल बन जाता है। विद्यार्थियों की भागीदारी शिक्षण प्रक्रिया में बढ़ती है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति का कोई गतिविधि चार्ट बनाकर हम विद्यार्थियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा कर उनको अनुभव दे सकते हैं।

8.3.3 **कक्षा शिक्षण में विविधता लाने में मदद मिलती है–** शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से पंरपरागत तरीकों को छोड़कर नवीन तरीकों से पढ़ाते है जिससे शिक्षण में विविधता आती है। हम एक ही विषय को कई तरह से पढ़ा सकते है जिससे हर मानसिक स्तर का विद्यार्थी कक्षा में विषय को समझ पाता है। कुछ विद्यार्थियों को कक्षा में श्रव्य–दृश्य सामग्री से अच्छी तरह समझ में आता है। विविधता से रूचि बढ़ती है।

8.3.4 **कठिन विषयों को समझने में आसानी होती है–** शिक्षण सहायक सामग्री से कठिन विषयों पर रोचक व गतिविधि आधारित पाठ योजना तैयार करके विद्यार्थियों को आसान तरीके से समझाया जा सकता है। कबीर के दोहों को पढ़ाते हुए हम कठिन शब्दों के अर्थ साथ–साथ चार्ट के माध्यम से समझा सकते है। या कोई रोचक कम्पयूटर आधारित पॉवरपवाईंट प्रस्तुतीकरण कर सकते है।। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के प्रयोग से हम कहानियों या किसी कवि की जीवनी पर वीडियो भी दिखा सकते हैं।

8.3.5 **भाषा शिक्षण सूत्रों पर आधारित–** हिंदी भाषा शिक्षण में भी हम शिक्षण के विभिन्न सूत्रों जैसे कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर से

पाठ्य सामग्री शीघ्रता से समझ में आती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के युग में शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ सरल, मूर्त, स्थूल ढ़ंग से ही प्रारंभ होता है और विद्यार्थी अमूर्त एवं सूक्ष्म विषयों को भी सीखने के योग्य हो जाता है।

8.3.6 हिंदी भाषा के उद्देश्यों के प्राप्त करने में सहायक– हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ही सहायक होगी। जैसे कि हिंदी भाषा के चारों कौशलों श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, अभिव्यक्ति कौशल व लेखन कौशल का प्रयोग करने में पारगंत हुआ जाए। हम आज लैपटॉप व स्मार्ट फोन के युग में भाषा के कौशलों को आसानी से समझा सकते हैं। किसी कहानी को टेपरिकॉर्डर से सुना कर या वीडियों दिखा कर हम बच्चों से उनकी लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति करवा सकते हैं।

8.3.7 विद्यार्थी सक्रिय रहता है– अधिकांश शिक्षण सहायक सामग्रियों में कुछ न कुछ करने का अवसर रहता है। श्रव्य–दृश्य सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी सक्रिय हो जाते हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करते हुए उनमें सोच पैदा करती है जिससे विद्यार्थी सुखद और स्वाभाविक वातारवरण में पढ़कर अपने आप को सक्रिय रखता है।

8.4 श्रव्य–दृश्य साधनों से अभिप्राय

श्रव्य–दृश्य साधन वे साधन हैं, जिन्हें देखा और सुना जा सकता है। दृश्य का अर्थ है जिन्हें देखा जा सके, श्रव्य का अर्थ है जिसे सुना जा सके, तीसरे प्रकार के वे साधन हैं जिनको सुना व देखा भी जा सकता है। इस तरह से श्रव्य–दृश्य सामग्री विषय की स्पष्ट धारणा बनाने में सहायता करती है। हम दुनिया में सभी चीजों का अनुभव नहीं ले सकते हैं इस कारण बहुत सारे अनुभव हम प्रतिरूपों की सहायता से लेते हैं। अतः श्रव्य–दृश्य सामग्री से हम कक्षा में या विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं में लिखित या बोले गए विषयों को समझाने में सहायता देती है। तकनीकी संचार व द्विमार्गी संप्रेषण विधियों से शिक्षण सहायक सामग्री में क्रांति आई है। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में शिक्षण, पाठ्यचर्या, प्रायोगिक कार्य, अभ्यासात्मक कार्य, दत्त कार्य को ध्यान में रखकर सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है जिससे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण के तौर पर इसे रोचक बनाया जा सकता है।

8.5 श्रव्य–दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण

श्रव्य–दृश्य सामग्री को निम्न तौर पर विभक्त किया जा सकता है।

श्रव्य साधन	दृश्य साधन	श्रव्य–दृश्य साधन
रेडियो	श्यामपट्ट	चलचित्र
टेप–रिकॉर्डर	नमूने	टेलीविज़न
सी.डी. प्लेयर	चित्र	नाटक
स्मार्ट फोन	मॉडल	कंप्यूटर

	मानचित्र ग्राफ चार्ट बुलेटिन बोर्ड रेखाचित्र तथा खाके फ्लानेल बोर्ड फ्लैश कार्ड मूक चित्र मेग्नेटिक बोर्ड वास्तविक वस्तुएँ पोस्टर स्लाइड	स्मार्ट फोन एल.सी.डी. डी.वी.डी. रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री क्षेत्रीय पर्यटन

8.6 श्रव्य–दृश्य साधनों का उपयुक्त चयन तथा प्रयोग

श्रव्य–दृश्य साधनों की उपयोगिता व प्रभावशीलता पूरी तरह से उनके सही चयन पर निर्भर करती है। विशेषतौर पर हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री के तौर पर सभी साधनों का प्रयोग विषय की विषयवस्तु के अनुसार होना चाहिए और विषय व प्रकरण का संबंध श्रव्य–दृश्य साधनों से स्पष्ट तौर पर होना चाहिए। श्रव्य–दृश्य साधन विद्यार्थियों के मानसिक स्तर व अनुभव के अनुसार होने चाहिए जिससे विद्यार्थियों की रूचि उसमें हो सकें। विद्यार्थियों का परिचय श्रव्य–दृश्य साधनों से होना चाहिए जिससे वे अपने परिवेश में उसे समझ सकें। श्रव्य–दृश्य साधन अच्छी चालू हालत में होने चाहिए ओर ध्यान रहे कि अनावश्यक तौर पर इन साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसान और शीध्र उपलब्ध व सस्ते साधनों का प्रयोग करना चाहिए। सामग्री साफ, स्वच्छ, प्रभावशाली, आकर्षक हो। लक्ष्यों को भी पूरा करे। विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाली हो। एक अध्यापक को कक्षा में किसी भी श्रव्य–दृश्य साधन का प्रयोग करने से पहले स्वंय उसको अच्छी तरह पढ़कर व प्रयोग करके देख लेना चाहिए। किसी भी विषय पर आधारित फिल्म दिखाने से पहले शिक्षक को स्वंय देख लेनी चाहिए। श्रव्य–दृश्य सामग्री के प्रयोग की जानकारी पहले से ही विद्यार्थियों को उत्साहपूर्ण व रोचक तौर पर देनी चाहिए। श्रव्य–दृश्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी विद्यार्थी समझ सकें इस तरह श्रव्य–दृश्य साधनों का सर्वोत्तम ढ़ंग से प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सके। सहायक शिक्षण सामग्री को बनाने के हर तरह के तरीके शिक्षक को आने चाहिए जिससे शिक्षक का विषय के साथ एक भावात्मक लगाव भी होगा ओर कक्षा में उसे वह लगाव के साथ प्रेरित होकर प्रयोग भी कर सकता है।

8.7 हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक शिक्षण सामग्री

8.7.1 चाक बोर्ड – सभी विषयों के शिक्षण में सबसे सस्ता तथा सुलभ उपकरण चाक बोर्ड है। पहले केवल काले रंग का बोर्ड होता था इसलिए इसे श्यापट्ट कहते थे। अब यह हरे, पीले,

लाल, गुलाबी रंग का होता है इसलिए चाक बोर्ड कहा जाता है। इस तरह विभिन्न तरह के चाक बोर्ड आज शिक्षण में प्रयोग किए जाते है। किसी भी भाषा के शिक्षण में सबसे ज्यादा उपयोगी उपकरण चाक बोर्ड ही है। भाषा शिक्षण में जिसका प्रयोग हमेशा से चलता आ रहा है। विद्यार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों के लेखन व उच्चारण में चाक बोर्ड का शुरू से ही प्रयोग किया जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ, व्याकरण के विभिन्न नियम पढ़ाते समय, गद्य ओर पद्य पाठों के पठन के दौरान, निबंध लेखन और कविता शिक्षण के समय में भी हम चाक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण में चाक बोर्ड शिक्षक की सबसे अच्छी सहायक सामग्री है। इस तरह हम चाकबोर्ड के बिना हिंदी भाषा शिक्षण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

स्पष्ट तौर पर एक हिंदी शिक्षक को चाक बोर्ड का प्रयोग करना आना चाहिए। चाकबोर्ड पर ऊपर के बायें कोने से लिखना शुरू करना चाहिए। चाक बोर्ड अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। लिखने से पहले इसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। शुद्ध वर्तनी में और सीधी पंक्ति मे लिखना चाहिए। शब्दों के आकार एक समान तथा बड़े व दिखने में अच्छे होने चाहिए। अच्छे डस्टर, चाक और पैन का प्रयोग करना चाहिए। चाक बोर्ड पर पढ़ाने के लिए संकेतक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षक को चाक बोर्ड के ऊपर मानचित्र चार्ट व रेखाचित्र बनाने आने चाहिए। जिससे वह शिक्षण में सृजनात्मक रूप से चाक बोर्ड का प्रयोग कर सकता है। चाक बोर्ड पर बहुत सारी सामग्री को एक साथ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। चाक बोर्ड के प्रयोग के लिए पहले से ही योजना बनानी चाहिए। जिससे रचनात्मक रूप से शिक्षण में हम इसका प्रयोग कर सकते है।

8.7.2 चित्र, रेखाचित्र व मूकदर्शक चित्र– चित्रों के द्वारा भाषा व साहित्य के किसी भी विषय को प्रस्तुत किया जा सकता है। कम्प्यूटर के युग में हम जैसा चाहें विषय के अनुसार रंगीन चित्र बनाकर किसी कहानी या अन्य विषय के भाव, तथ्य, ज्ञान को रोचक व प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्रों के प्रयोग से पाठ में रोचकता व सक्रियता आती है। पहली कक्षा में वर्णमाला के चित्रों को बनाकर पढ़ाया जा सकता है। चित्रों से कल्पना शक्ति का विकास होता है। महान कवियों के चित्र दिखाकर भी पढ़ाया जा सकता है। व्याकरण के पठन–पाठन में हम चि़त्रों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी के कठिन विषयों व शब्दों को हम चित्रों के द्वारा सहज ही प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण व जनसंख्या वृद्धि जैसे विषयों पर हम चित्रों को दिखाकर विद्यार्थियों से उनकी व्याख्या करवा सकते हैं। जिससे उनको इन विषयों पर निबंध लिखने में आसानी होगी। हिंदी शिक्षण में चित्रों के प्रयोग से विद्यार्थियों में विचार की शुद्धता, स्पष्टता और काम करने की इच्छा उत्पन्न होती है। चित्रों का चयन विषय के अनुसार होना चाहिए और चित्र अर्थपूर्ण होने चाहिए। चित्रों को आसानी से विद्यार्थियों की समझ में आना चाहिए। जिससे बालकों की विचार प्रक्रिया, तर्क तथा निर्णय शक्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। चित्रों के प्रयोग के समय विद्याथियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना भी जरूरी है। चित्र प्रमाणयुक्त होने चाहिए जिससे इन पर किसी भी तरह का संदेह ना हो। चित्रों का उपयोग उपयुक्त स्थान तथा समय पर ही होना चाहिए। चित्र कक्षा में उपयुक्त स्थान पर ही टाँगे जायें जहाँ से प्रत्येक विद्यार्थी अच्छी तरह से देख सकें।

शिक्षक किसी कहानी नाटक या अन्य विषय पर भाव प्रकाशन को रेखाचित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करें। जिससे विद्यार्थी उसमें अपनी तर्कशक्ति व कल्पनाशक्ति के रंग भरते हुए उन्हें शब्दों की रचना का सुंदर रूप दे सकता है। विभिन्न कठिन व प्राचीन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए चाकबोर्ड पर रेखाचित्र बनाकर पाठ को सरल व बोधगम्य बनाया जा सकता है। मूक चित्र में आवाज नहीं होती है। इसमें सिर्फ क्रियाएँ दिखाई जाती हैं। चित्र दर्शक से विभिन्न चित्रों को स्लाईडों को दिखाकर विषय को स्पष्ट किया जा सकता है। इससे विषय स्पष्ट तथा रोचक हो जाता है।

8.7.3 मॉडल (प्रतिरुप) – कक्षागत शिक्षण में कई मूल पदार्थ दिखाना असम्भ्व होता है। उनके स्थान पर उसकी प्रतिकृति दिखाई जा सकती है। मॉडल के द्वारा विषय को दृशनीय बनाया जा सकता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को भीतरी व बाहरी दोनों तरह का ज्ञान दिया जा सकता है। हिंदी शिक्षण में बने बनाये मॉडलों की कमी रहती है शिक्षक को अतिरिक्त समय देकर छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों के ऊपर प्रतिरूपों का निर्माण करवाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की सहभागिता भी बढ़ेगी और करके सीखने का भी अनुभव होगा। इस तरह के मॉडल को शिक्षक द्वारा हिंदी शिक्षण लैब में सुरक्षित रखा जाना चाहिए जिसे व समय पर प्रयोग कर सकें। हिंदी शिक्षक मॉडल मिट्टी, गत्ता, प्लास्टिक आदि के बनवा सकते हैं। जैसे– हिंदी साहित्य के काल विभाजन को एक मॉडल के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। जिससे विद्यार्थियों को ऐतिहासिक ज्ञान सरलता से मिल जायेगा। इसी तरह विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन और व्याकरण के विषयों के ऊपर भी हम अच्छे मॉडल का निर्माण कर सकते है।

8.7.4 चार्ट– हिंदी शिक्षण में चार्ट का बहुत ही महत्व है। चार्ट के द्वारा किसी भी तरह की वास्तविकता को नहीं दिखाया जाता हैं। इसके द्वारा विषयों के तथ्यों व चित्रों को संबंधित करके लाक्षणिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। चार्ट में क्रमबद्धता व एक सरल तरीके से नियमबद्ध होकर विषय को समझाया जाता है। हिंदी शिक्षक को विषय के अनुसार चार्ट का प्रयोग करना चाहिए जिससे पाठ रोचक बन सकें। हिंदी व्याकरण के विभिन्न विषयों को चार्ट के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। चार्ट अर्थपूर्ण व रोचक होने चाहिए जो कि पाठ के विकास में सहायक हों। चार्ट के रंगों की व अन्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। चार्ट पाठ के विकास में सहायक होना चाहिए। चार्ट की कक्षा में सही जगह पर टाँगने की व्यवस्था होनी चाहिए।

8.7.5 बुलैटिन बोर्ड (विज्ञप्ति पट)– हिंदी भाषा शिक्षण के लिए बुलैटिन बोर्ड का महत्व व उपयोगिता बहुत ज्यादा है। भाषा हर विषय के साथ जुड़ी हुई है। बुलैटिन बोर्ड के द्वारा विभिन्न समाचार व जानकारी देकर विद्यार्थियों के ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा और इच्छा को प्रेरित किया जाता है। बुलैटिन बोर्ड के विषयों को पढ़ कर विद्यार्थियों की भाषा का विकास होता है जिससे सोच व विभिन्न विषयों के ऊपर रचनात्मकता आती है। हिंदी शिक्षण में चित्रों, समाचार पत्रों और साहित्यिक पत्रिकाओं की कतरनों को प्रदर्शित किया जा सकता है।

विद्यार्थियों के कार्यों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। विशिष्ट पाठों के मुख्य बिंदुओं को भी बुलैटिन बोर्ड पर लगाया जा सकता है। बुलैटिन बोर्ड को हिंदी शिक्षण में साहित्य व अन्य विषयों के लिए पत्रिका के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलैटिन बोर्ड की समस्त सामग्री विद्यार्थियों के रचनात्मक प्रयासों का परिणाम होनी चाहिए। इसका सभी कार्य शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के द्वारा किया जाना चाहिए।

8.7.6 वास्तविक वस्तुएँ – किसी भी विषय के शिक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह हो सकता है। वास्तविक वस्तुओं का तात्पर्य मूल वस्तुओं से हैं। इस तरह की वस्तुओं से अनुभव प्राप्त होता है। यह इद्रिंयों को प्रेरित करती है। हम व्याकरण के पाठ में बहुत सी वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग कर सकते है। हिंदी में निबंध लेखन के लिए भी हम वास्तविक अनुभव करा कर बच्चों से निंबंध लिखा सकते हैं।

8.7.7 कम्प्यूटर – कम्प्यूटर एक ऐसी इलैक्ट्रॉनिक युक्ति है, जो प्राप्त सूचनाओं को दिये गये निर्देशों के अनुरूप विश्लेषित कर, अत्यन्त सूक्ष्म समय में सत्य और विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। आज के दौर में कम्प्यूटर ने शिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शिक्षण तथा अनुदेशन प्रक्रिया, शिक्षा में शोध , शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श हेतु व परीक्षा परिणाम के लिए भी कम्प्यूटर का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। हिंदी शिक्षण में कम्प्यूटर का प्रयोग भाषा को सीखाने में वृहत स्तर पर प्रयोग हो सकता है। उच्चारण, लिखना व सुनना जो कि किसी भी भाषा के मुख्य आधार का पहलू है कम्प्यूटर के द्वारा आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी भाषा के शिक्षण में कम्प्यूटर आज बहुत ही नवाचार के तौर पर प्रयोग हो रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में हम कहानी व कम्प्यूटर आधारित पाठ योजना के द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित कर सकते है। संगीत, रिकॉर्ड कैसेट व फिल्म इत्यादि अब कम्प्यूटर पर आसानी से देख सकते हैं। इंटरनेट के युग में हम कम्प्यूटर को जीवन का अहम हिस्सा मान सकते हैं।

8.7.8 रेडियो – रेडियो शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण उपकरण है। हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह साधन लाभकारी सिद्ध हुआ है। इससे हम हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण सिखा सकते हैं। रेडियो में बच्चों को सीधे प्रसारित होने वाले भाषण, कवि सम्मेलन, 26 जनवरी व 15 अगस्त के कार्यक्रमों को सुना कर हिंदी भाषा के शिक्षण व ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आजकल रेडियो स्टेशनों में लगातार वृद्धि हो रही है। FM चैनलों की भरमार है। स्थानीय स्तर पर रेडियो सुनने में लोग आज भी रूचि रखते हैं। बच्चों को हिंदी से संबंधित सही व उचित कार्यक्रमों को सुनने के लिए प्रेरित करके शिक्षक सही दिशा दे सकते हैं। आजकल मोबाइल और गाड़ियों में रेडियो की उपलब्धता है तो इसलिए विद्यार्थियों तक पहुँचना आसान है। यह मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का एक प्रभावपूर्ण साधन है। इसमें विद्यार्थी तैयारी करके भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। रेडियो सुनने से कल्पनाशक्ति जागृत होती है। संवादों को सुनकर ज्ञान के साथ अभिव्यक्ति कौशल के ढ़ंग को भी सीखते हैं। कहानियाँ, उपन्यास, नाटक व कविसम्मेलन इत्यादि सुनकर विद्यार्थी बोलने की कला तथा अपने विचारों को क्रमबद्ध करना सीख पायेंगे।

8.7.9 टेप रिकॉर्डर

टेप रिकॉर्डर की शिक्षण में बहुत उपादेयता है। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आवाज़ को भर कर बार–बार सुना जा सकता है। हिंदी शिक्षण में शिक्षक अपनी पाठ्य सामग्री को टेप में भर कर विद्यार्थियों को ज्ञान तथा उच्चारण से संबंधित बाते सुना सकता है। विशिष्ट भावों तथा विचारों को टेप रिकॉर्डर में भर लिया जाए तो हम उसका उपयोग विभिन्न और मनचाहे अवसरों पर कर सकते हैं। हिंदी साहित्यकारों की चर्चा, कवि सम्मेलन, उपन्यास व कहानियों की रिकॉर्डिंग को भी विद्यार्थियों को सुना सकते है। हिंदी भाषा जो विशेषकर ऐसे बच्चे सीख रहे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वे अपनी ध्वनि को भर कर अशुद्धियों का निराकरण भी कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने बोलने की गति, स्वर, प्रवाह संबंधी त्रुटियों में सुधार आसानी एवं शीघ्रता से कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर की जगह आजकल सी. डी. प्लेयर भी प्रयोग किया जा रहा है। पेन ड्राइव का इस्तेमाल भी रिकॉर्डिंग के लिए किया जा सकता है। कम्प्यूटर का इस्तेमाल भी रिकॉर्डिंग के लिए किया जा सकता है।

8.7.10 अन्य आधुनिक तकनीकी उपकरण

आज के दौर में नये नये आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हिंदी शिक्षण में किया जा सकता है। स्मार्ट फोन, एल.सी.डी., डी.वी.डी., रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री व अन्य म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग भी हिंदी शिक्षण के लिए किया जा सकता है। आज स्मार्ट फोन व मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट जैसे आधुनिक उपकरणों में बहुत सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इंटरनेट की सुविधा भी स्मार्ट फोन व मोबाइल में होने से इनका प्रयोग विभिन्न तरह से किया जा सकता है। इनमें श्रव्य व दृश्य दोनों तरह की सहायक सामग्री बनाई जा सकती है। जैसे– फोटो ग्राफी, रिकार्डिंग करना, आँकड़ों का संग्रह करना इत्यादि आसानी से करके कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी शिक्षण के लिए कहानी सुनाना, उच्चारण करना, अशुद्धियों को दूर करना आदि के लिए आसानी से कक्षा में प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह हिंदी शिक्षण के लिए भाषा से संबंधित रचनात्मक, सकारात्मक कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है।

8.7.11 पत्रिकाएँ – हिंदी शिक्षण में साहित्यिक पत्रिकाओं का बहुत ही महत्व है। हिंदी भाषा प्रयोगशाला और विद्यालयी पुस्तकालय में देश–विदेश की प्रसिद्ध हिंदी पत्रिकाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। पत्रिकाएँ विद्यार्थियों के मानसिक स्तर व विभिन्न रूचियों के अनुसार होनी चाहिए। जिससे हर तरह का विद्यार्थी उससे लाभ उठा सके और भाषा को पढ़ने में उसकी रूचि बन सके। विद्यालयों को अपनी भी पत्रिका प्रकाशित करनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अपनी कविता व निबंध लिखने का मौका मिलेगा। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से विद्यालय पत्रिकाएं बालकों में उचित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक हो सकती हैं। दीवार मैगजीनों के माध्यम से विषय वस्तु को रोचक एवं स्पष्ट बनाया जा सकता है। शिक्षक छात्रों से लेख लिखवाकर तथा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को कटवाकर दीवार पर क्रम से प्रस्तुत करवा सकता है । ऐसा करवाकर वह तत्कालीन घटनाओं तथा विवादास्पद मामलों के शिक्षण को रोचक एवं सरल बना सकता है।

8.7.12 समाचार पत्र

हिंदी शिक्षण में ही नहीं हर विषय के शिक्षण में समाचार पत्रों की बड़ी भूमिका होती है। भाषा को सीखने में समाचार पत्र हमेशा से मान्य साधन है। यदि विद्यार्थी को प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत डाल दी जाए तो विद्यार्थी भाषा के शब्द निर्माण व शब्दों का भण्डार, अभिव्यक्त करना और भाषा के अध्ययन में रूचि को बढ़ायेगा। शिक्षक हिंदी से संबंधित साहित्यिक व अन्य समाचारों को पढ़ने का निर्देश विद्यार्थी को दे सकता है। जिससे वह इस तरह के समाचारों को इकट्ठा करके कक्षा में चर्चा कर सकता है। समाचार पत्रों के अध्ययन से विद्यार्थी समसामयिक घटनाओं से भी अवगत रहता है। शिक्षक हिंदी के समाचार पत्रों का विद्यालयी पुस्तकालय और हिंदी कक्षा पुस्तकालय या हिंदी शिक्षण प्रयोगशाला में उपलब्ध करवा सकता है। शिक्षक छात्रों से हिंदी साहित्य से जुड़े समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों को कटवाकर दीवार पर क्रम से प्रस्तुत करवा सकता है। इस तरह के कार्यों से विद्यार्थी को करके सीखना भी आयेगा। प्रातःकालीन सभा में समाचार पत्र में से मुख्य समाचारों को पढ़ कर विद्यार्थियों को उसकी जानकारी दी जा सकती है। इससे दिन में अवकाश समय में वो समाचार ध्यान से समझने के लिए पुस्तकालय में जाएँगे।

8.8 हिंदी भाषा शिक्षण में पुस्तकालय

पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने और ज्ञान भण्डार करने में सहायता मिलती है। भाषा शिक्षण में पुस्तकालय की उपयोगिता अन्य विषय की अपेक्षा अधिक मानी जाती है। भाषायी कौशलों के विकास के लिए तो पुस्तकालय का उपयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि पठन, लेखन, वार्तालाप में सम्पुष्टता आवश्यक है।

- पुस्तकालय से भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
- पुस्तकालय साहित्य की दृष्टि से स्वाध्याय में रूचि बनाता है।
- पुस्तकालय से जुड़ कर विद्यार्थी भाषायी योग्यताओं को विस्तार दे पाता है। अपने विषय की अन्य पुस्तकों को पढ़ कर ज्ञान में वृद्धि करता है।
- पुस्तकालय में उपन्यास, कहानी, नाटक व अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं के अध्ययन से साहित्य में रूचि बढ़ती है।
- पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अध्ययन करके विद्यार्थी अपनी क्षमता व योग्यता को बढ़ाता है।
- पाठ्यसहगामी क्रियाओं में सहायता शिक्षकों व विद्यार्थियों दोनों को मिलती है।
- जो विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में नहीं हैं। वे पुस्तकालय से लाभ उठाकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।
- पुस्तकालय से शिक्षकों व विद्यार्थी दोनों के लिए अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। चिंतन करने व स्वयं का सुविचार बनाने के अवसर प्राप्त होते हैं।
- पुस्तकालय के साथ वाचनालय होना भी अतिआवश्यक है। वाचनालय से पुस्तकालय का उचित प्रयोग हो सकता है।

पुस्तकालय में जाने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों को लगातार प्रोत्साहित करते रहें। शिक्षक स्वयं पुस्तकालय जाकर विद्यार्थियों को पढ़ने व किताबों का सही तौर पर अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से इस्तेमाल सिखायें। भाषा के शिक्षक पाठान्तर क्रियाओं का आयोजन करेंगे तो विद्यार्थी अवश्य ही पुस्तकालय जाने पर भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ इत्यादि की तैयारी कर सकते हैं। हर सप्ताह विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय में पीरियड होने चाहिए जिससे वे अनुशासन में रहकर पुस्तकालय का प्रयोग करेगें व आदत और रूचि भी बनायेंगे। पुस्तकालय का व्यवस्थित होना विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तकालय का सुप्रबन्ध उपयोग, अर्थपूर्ण तथा विद्यार्थियों को एक सफल जीवन जीने के ढ़ंग सिखा देता है।

8.9 हिंदी भाषा प्रयोगशाला

आज के दौर में भाषा शिक्षण के लिए प्रयोगशालाओं का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। जो संस्थान भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग शिक्षण के दौरान कर रहे हैं वहाँ पर विद्यार्थियों की क्रियाशीलता बढ़ी है और तकीनीकी के प्रयोग से व्यक्तिगत शिक्षण के साथ–साथ सामूहिक शिक्षण भी हो सकता है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में तो शिक्षक के लिए यह आवश्यक है क्योंकि शुद्ध उच्चारण, वाचन व लेखन कौशल के लिए हिंदी भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा प्रयोगशाला से हिंदी भाषा को सीखाने में आसानी होगी ओर विषय में रूचि भी बढ़ेगी। भाषा प्रयोगशाला से समय और शक्ति दोनों की बचत होगी। भाषा प्रयोगशाला में पढ़ने से विद्यार्थी को अनुभव भी होगा। जिससे सीखना बोझ प्रतीत नहीं होगा। इस तरह वह भाषा ज्ञान का संचय करेगा। शैक्षिक वातावरण का निर्माण भी भाषा प्रयोगशाला से बनता है क्योंकि एक ही जगह पर विद्यार्थियों को सब कुछ मिल जाता है।

हिंदी भाषा प्रयोगशाला में सहायक सामग्री का विशेष महत्व है जैसे– रेडियो, ग्रामोफोन, टेप–रिकॉर्डर, सी.डी. प्लेयर, स्मार्ट फोन, श्यामपट्ट, नमूने, चित्र, मॉडल, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, रेखाचित्र तथा खाके, फ्लानेल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चित्र विस्तारक यंत्र, चित्र दर्शक, मूक चित्र, मेग्नेटिक बोर्ड, वास्तविक वस्तुएँ, पोस्टर, स्लाइड, चलचित्र, टेलीविज़न, नाटक, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, एल.सी.डी., डी.वी.डी., रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त, मुद्रित सामग्री। भाषा से संबंधित पुस्तकें, साहित्यिक पत्र पत्रिकाएँ जो कि विद्यार्थी की मानसिक, बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रयोगशाला में उपलब्ध हों। भाषा प्रयोगशाला में पारिभाषिक शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, वृहत हिंदी शब्दकोश, बहुभाषायी शब्दकोश अवश्य होने चाहिए। जिससे विद्यार्थी अपनी भाषा को शुद्ध व सम्पुट बना सके। भाषा प्रयोगशाला की साज–सज्जा भी होनी चाहिए। जिससे विद्यार्थी पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हों।

भाषा कक्ष के किसी एक जगह पर विद्यार्थियों के कार्यों को प्रदर्शित किया जाये इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक साहित्यिक रूचि का विकास होता है। इस तरह भाषा प्रयोगशाला बड़े आकार का होना चाहिए। जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा सकें तभी भाषा के अनुकूल साज सज्जा व सभी प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री रखीं जा सकती है।

8.10 सहसंज्ञानात्मक गतिविधियों की रूपरेखा (चर्चा, वादविवाद, खेल, कार्यशालाएं, गोष्ठी)

8.10.1 चर्चा

हिंदी विषय से संबंधित समस्याओं को अध्यापक के द्वारा विचार विमर्श कर बहुत ही सहज ओर आसानी से पढ़ाया जा सकता है। आज का दौर विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का है। आज विद्यार्थी को निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता है वरन् उसको सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय तौर पर शामिल किया जाता है। विचार विमर्श या वाद विवाद एक सक्रिय विधि है। जिसमें सभी विद्याथी अपने आपको उसमें सहभागी पाते हैं। यह शिक्षण की वह प्रविधि या विधि है जिसमें बालक तथा शिक्षक मिल जुलकर किसी प्रकरण या समस्या पर सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचार विमर्श दो तरह से होता है– औपचारिक विचार विमर्श व अनौपचारिक विचार विमर्श। हिंदी विषय में निबंधं के विषयों जैसे गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, बढ़ती जनसंख्या व भ्रष्टाचार पर आसानी से विचार विमर्श किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में सहयोग, सहिष्णुता, विचारों को सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करना, स्वतंत्र रूप से सीखना व विषय सामग्री का चयन एवं संगठन करने की भावना आती है। विचार विमर्श में समस्या शैक्षिक महत्व, अर्थपूर्ण व उपयोगी होनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। तर्कों व निर्णयों पर बल देना चाहिए और विद्यार्थियों को निष्कर्षों एवं स्वतंत्र निर्णयों के निर्माण में सहायता प्रदान करनी चाहिए।

8.10.2 वाद–विवाद

वाद विवाद का अर्थ है *शब्दों या तर्कों का विवाद*। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदार बनाया जाता है। वाद–विवाद के दो रूप होते हैं– अनौपचारिक व औपचारिक । वाद–विवाद करवाने से पहले शिक्षक को पूरी तरह तैयारी करनी होगी व विद्यार्थियों को सही तरह से निर्देशित करना होगा। इससे विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति, बोलने की कला, आत्मविश्वास व निर्णय शक्ति का विकास होता है। हिंदी विषय में विभिन्न समस्याओं पर वाद विवाद कराया जा सकता है। प्रेमचंद के उपन्यासों की समसामयिक दौर में प्रासंगिकता, हिंदी और वैश्वीकरण, आज के दौर में महिलाओं का सशक्तिकरण जैसे विषयों पर वाद–विवाद करवा कर पढ़ाया जा सकता है।

8.10.3 खेल

खेल में बालक की स्वाभाविक रूचि होती है। खेल द्वारा वह अपनी रूचियों, इच्छाओं, मनोवृत्ति और अभिवृत्तियों को व्यक्त करता है। खेल को आधार बनाकर जीवन की वास्तविकता को क्रियाकलापों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैं। हिंदी विषय में हम नाटकीकरण में खेल के आधार पर विभिन्न विषयों को पढ़ा सकते हैं। हिंदी विषय से संबंधित प्रकरणों पर विद्यार्थियों से अभिनय द्वारा नाटक से भी किसी विषय को पढ़ाया जा सकता है। यह एक तरह से करके सीखने को महत्व देती है। इससे विद्यार्थियों में सहयोग तथा सामाजिक समझदारी विकसित होती है। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं और उनमें आत्मविश्वास भी आता है। वे अपने आपको अभिव्यक्त करने और बोलने की कला में निपुण कर लेते हैं। नाटक में विद्यार्थी सच्चे पात्रों

की भाँति अभिनय करते हैं। अभिनय का विषय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। पहले से सुनियोजित हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षक का मार्गदर्शन इसमें बहुत जरूरी है। शिक्षक इस प्रविधि का प्रयोग हिंदी विषय की विभिन्न कहानियों और उपन्यासों व कविताओं के विषयों पर नाटकीरण के द्वारा सहज ढ़ग से पढ़ाया जा सकता है।

8.10.4 कार्यशाला

कार्यशाला द्वारा हिंदी विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। यह शिक्षण के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। इसमें समूह में कार्य करने तथा सहयोग की भावना का भी विकास होता है। नई संकल्पनाओं से भी अवगत हो कर उन्हें स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। दूसरों के अनुभवों व कार्यात्मक शैली से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कार्यशाला में व्यवस्थापक, अध्यक्ष, विशेषज्ञ, प्रशिक्षणार्थी इत्यादि शामिल होते हैं। कार्यशाला के उद्देश्य स्पष्ट व पहले से प्रशासनिक तैयारी होनी चाहिए। इस तरह प्रशासनिक पहलू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

8.10.5 गोष्ठी

हिंदी विषय का सेमिनार (संगोष्ठी) एक तरह से सीखने की प्रक्रिया में विचार चिंतन के लिए परिस्थिति उत्पन्न करता है। इस तरह की प्रक्रिया में विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमता, संश्लेषण, मूल्यांकन, निरीक्षण व अवलोकन व अनुभवों के प्रस्तुतीकरण की क्षमता, दूसरों के विचारों का सम्मान इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। सेमिनार में संयोजक, अध्यक्ष, वक्तागण व भागीदार होते हैं। सेमिनार मुख्य तौर पर लघु, मुख्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इस तरह के सेमिनार में विद्यार्थी केंद्र होना चाहिए। सेमिनार में स्वतंत्र अध्ययन, तर्क करने की क्षमता व विद्यार्थी की आलोचनात्मक क्षमता के विकास पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी विषय में जैसे आधुनिक भारत में हिंदी की दिशा व दशा, वैश्वीकरण और हिंदी पर सेमिनार कराये जा सकते हैं।

8.11 हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का उचित प्रयोग

- हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग सही ढ़ग से हो। जहाँ आवश्यक हो विषय की जरूरत व महत्व के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। अनावश्यक तौर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- हिंदी की विषयवस्तु के विकास व पाठ योजना को रोचक व सरल बनाने के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग होना चाहिए।
- हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग से पहले इसका पूर्वाभ्यास करना चाहिए।
- कक्षा में सहायक सामग्री के प्रयोग के लिए उचित स्थान व आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। आधी अधूरी सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- सहायक सामग्री साफ व प्रभावशाली हो जो कि विषय के लक्ष्यों को पूरा करे।
- हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार प्रयोग की जानी चाहिए।

– हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री को संभाल कर रखना चाहिए ताकि भविष्य में भी इसका प्रयोग कर सकें ।
– कुछ सहायक सामग्री को विद्यार्थियों से बनवाना चाहिए ताकि करके सीखना भी विद्यार्थियों को अनुभव से आ जाए। शिक्षक को भी सस्ती सामग्री से हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री बनानी चाहिए ताकि उसकी उपयोगिता आर्थिक तौर पर भी बनी रहे।

8.12 अभ्यास प्रश्न

8.12.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1 हाईस्कूल स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए आप कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे ?
2 हिंदी शिक्षण में क्या शिक्षण सामग्री प्रयोग में आती है ? उनमें से किन्हीं दो पर उदाहरण सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए।
3 हिंदी शिक्षण के प्रयोग के लिए आवश्यक सहायक सामग्री की एक तालिका बनाइये। प्रत्येक सामग्री का महत्व उदाहरण देकर समझाइए।
4 हिंदी शिक्षण में निम्नलिखित के महत्व की विवेचना कीजिए–
   1 वाद विवाद
   2 फिल्म
   3 कम्प्यूटर
5 श्रव्य–दृश्य सामग्री को परिभाषित कीजिए। हिंदी शिक्षण में पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों व गोष्ठी की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
6 हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का उचित प्रयोग किस तरह हो सकता है ? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

8.12.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

1 हिंदी शिक्षण में मॉडल के तीन गुण बताइए।
2 हिंदी शिक्षण में फिल्मों के प्रयोग के चार लाभ बताइए।
3 हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला के प्रयोग पर नोट लिखिए।
4 हिंदी शिक्षण में पत्रिकाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
5 हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय का क्या महत्व है ?

इकाई 9 – मूल्यांकन की भूमिका तथा महत्व

इकाई की रूपरेखा

9-1 प्रस्तावना

9-2 उद्देश्य
9.3 मूल्यांकन की परिभाषाएँ

9-4 शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व
9.5 मौलिकता और भाषा प्रयोग में सृजनात्मकता
9.6 भाषा विकास की प्रगति का आकलन
9.6.1 श्रवण कौशल
9.6.2 कथन कौशल (भाषण अभिव्यक्ति कौशल)
9.6.3 पठन कौशल

9.6.4 लेखन कौशल
9.7 सतत् एवं समग्र मूल्यांकन
9.8 स्व मूल्यांकन
9.9 आपसी मूल्यांकन
9.10 समूह मूल्यांकन

9.11 अभ्यास प्रश्न
9.11.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9.11.2 लघु उत्तरीय प्रश्न
9.12 संदर्भ

9.1 प्रस्तावना

मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बनता है। मूल्य और अंकन अर्थात् *मूल्य आंकना*। किसी भी वस्तु के मूल्य को आंकने से पहले हमारे समक्ष कुछ उद्देश्य होते हैं जो यह तय करते हैं कि हमें किस वस्तु का मूल्यांकन करना है? क्यों करना है? किस प्रकार करना है? मूल्यांकन के तत्पश्चात् क्या निर्णय लेना है? आदि।

अतः मूल्यांकन केवल ज्ञानार्जन का मापन नहीं, बल्कि यह तो एक प्रक्रिया है जिससे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और शिक्षण प्रभाव का मापन करके यह पता लगाया जाता है कि वे सार्थक और व्यवहारिक हैं या नहीं, इन्हें प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली, पूर्ण सफलता कितनी दूर है और पूर्ण सफलता पाने में शिक्षण, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और पद्धति में क्या और कैसे सुधार किया जा सकता है? इस तरह इन सब सूचनाओं की जानकारी तथा आवश्यक निर्णय लेना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन की नवीन धारणा वस्तुतः परीक्षा की परम्परागत धारणा से सर्वथा भिन्न है। इसके द्वारा कक्षा में शिक्षक द्वारा किए गये सीखने के अनुभवों को ज्ञात किया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति एवं सीमा के ज्ञान के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके अभाव में हमारे समस्त क्रिया—कलाप मूल्यहीन बन जाते हैं। इसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं का निर्णय कठिनाइयाँ आदि का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा बालक की भावी जीवन यात्रा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक, शिक्षक, शैक्षणिक क्रियाओं आदि की पारस्परिक निर्भरता तथा उसकी उपयोगिता की जांच की जाती है।

9.2 उद्देश्य

- मूल्यांकन का अर्थ व परिभाषा को समझ कर हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- भाषा के आधारों को समझ कर उसे हिंदी शिक्षण के संदर्भ में प्रयोग कर सकेंगे।
- भाषा के स्वरूप व महत्व को समझ कर हिंदी शिक्षण के स्वरूप व महत्व को बता पायेंगे
- भाषा के विभिन्न रूपों को समझ कर उसे हिंदी शिक्षण के संदर्भ में प्रयोग कर सकेंगे।

9.3 मूल्यांकन की परिभाषाएँ

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952—53) के अनुसार ''मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा समाज इस बात का पता लगाता है कि विद्यालय अपने दायित्वों को उचित प्रकार से पूरा कर रहे हैं और विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को उचित प्रकार की शिक्षा मिल रही है और अपेक्षित स्तरों को प्राप्त कर रहे हैं।''

वेस्ले के अनुसार :— ''मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण महत्व तथा प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है। वह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यह सम्पूर्ण एवं अन्तिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ प्रदर्शक है।''

पाश्चात्य परीक्षा पद्धति को अपनाने से पूर्व भारत में मूल्यांकन प्रणाली ही गुरूकुलों में प्रचलित थी। शिक्षार्थी वर्षों तक रात—दिन आचार्य के सम्पर्क में रहते थे। गुरु तथा आचार्य

विभिन्न अवसरों पर उनके ज्ञानात्मक ही नहीं अपितु भावात्मक तथा क्रियात्मक क्षेत्रों का निरन्तर मूल्यांकन करते रहते थे। जब शिक्षार्थी में वांछित योग्यता पाई जाती थी। तब वह गुरु का आशीर्वाद पाकर विदा लेते थे। एक समय ऐसा आया जब यह अनुभव किया जाने लगा कि अच्छे अंक प्राप्त कर लेने तथा अंकों के आधार पर ऊँचे पदासीन होने पर भी बहुत से लोग पद के अयोग्य होते हैं। अतः परीक्षा का स्थान मूल्यांकन को मिलना चाहिए। जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र को परखने के लिए निरन्तर प्रयास किया जाता है। विभिन्न परीक्षा साधनों का प्रयोग करते हुए निदानात्मक तथा उपचारात्मक पद्धति अपनाकर शिक्षार्थी के गुण–दोषों का वर्णन किया जाता है।

अतः कहा जा सकता है कि मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से विस्तृत है। परीक्षा के द्वारा केवल हम शिक्षार्थी की बौद्धिक क्षमता के बारे में जान सकते हैं न कि भावात्मक और क्रियात्मक। मूल्यांकन में शिक्षार्थी की स्थिति विशेष के अतिरिक्त उस स्थिति का कारण और उसके सुधारने के उपायों पर भी विचार किया जाता है। मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है।

9.4 शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व

मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्यों से लेकर उसके परिणाम तक को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा शिक्षण को दिशाहीन होने से बचाया जा सकता है। मूल्यांकन से शिक्षक को छात्रों के स्तर तथा उनकी ग्रहणशीलता का पता चलता है। जिससे वह अपने शिक्षण की विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों तथा परीक्षण में सुधार कर सकता है। मूल्यांकन की आवश्यकता न केवल शिक्षक को होती है अपितु अविभावक शिक्षार्थी तथा शैक्षिक आयोजकों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है।

प्रगति का ज्ञान : छात्रों ने कितना और किस स्तर का ज्ञान प्राप्त किया है ? इसका ज्ञान मूल्यांकन द्वारा ही सम्भव है। मूल्यांकन की विभिन्न विधियों द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि छात्रों ने विषय में कितनी प्रगति की है ?

उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक : शिक्षण से पूर्व शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिनका मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के आधार पर किया जाता है।

छात्रों की कमजोरी तथा योग्यता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक : मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि छात्र भाषा के किस पक्ष में कमजोर हैं तथा किसमें निपुण? इसके द्वारा छात्र की विषयगत दुर्बलताओं को ज्ञात कर उसका उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है।

उचित शिक्षण विधियों में सहायक : विषय को उचित रूप में सम्पन्न करने हेतु शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किस प्रकार और किस सीमा तक करना है ? यह मूल्यांकन द्वारा ज्ञात होता है। इसके परिणाम स्वरूप ही शिक्षण विधियों में परिवर्तन तथा सुधार किया जाता है।

पुनर्बलन प्रदान करने में सहायक : मूल्यांकन द्वारा ही छात्र अपनी कमजोरी तथा उपलब्धियों को जान पाते हैं। छात्र यदि किसी विषय में कमजोर हैं तो शिक्षक उसे दूर करने का प्रयास करेगा और यदि उनके अन्दर अच्छी विशेषताएँ हैं तो उन्हें और अधिक विकसित करने का प्रयास करेगा।

निर्देशन में सहायक : मूल्यांकन द्वारा ही छात्र का निरीक्षण कर उसको मंद, प्रखर और सामान्य बुद्धि में बांटा जाता है। यह जानने के बाद छात्र का सही मार्ग दर्शन किया जाता है। छात्र के रूचिगत विषय के अनुसार ही उसे व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देश दिए जाते हैं।

पाठ्यक्रम में बदलाव : मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि कौन से विषय छात्र की रूचि के अनुसार हैं और जो पक्ष छात्रों के अनुकूल नहीं है उसमें परिवर्तन किया जाता है।

शिक्षण के लिए लाभप्रद : शिक्षक मूल्यांकन द्वारा अपनी शैक्षिक नीति में परिवर्तन ला सकता है क्योंकि यदि छात्र शिक्षण में विशेष रूचि नहीं लेता है तो उसको और रूचिकर बनाकर पढ़ाना शिक्षक के हाथ में होता है।

9.5 मौलिकता और भाषा प्रयोग में सृजनात्मकता

जैसे–जैसे मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण में सुधार होता है वैसे–वैसे शिक्षण पद्धति में मौलिकता आती जाती है। उदाहरण स्वरूप एक शिक्षक अपनी अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन कर उसकी त्रुटियों में सुधार लाता है और अनावश्यक तथ्यों को हटा देता है। इस प्रकार विषय में मौलिकता का समावेश होता है। अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। छात्र के अधिगम में एक नयापन तथा उत्सुकता लाने के लिए मौलिकता का होना आवश्यक भी हो जाता है। छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए भी शैक्षिक के साथ–साथ सहशैक्षिक क्षेत्र को भी मूल्यांकन के दायरे में लाना आवश्यक है। जितनी नई–नई विधियों का समावेश अधिगम प्रक्रिया के अन्तर्गत होगा। उतना ही अधिगम मौलिक बनता जाएगा। जिस प्रकार वास्तुकार या मूर्तिकार अपने स्थूल साधनों के प्रयोग से विभिन्न कला कृतियों का निर्माण करता है, उसी प्रकार लेखक शब्द, वाक्य, लोकोक्ति, मुहावरों का आश्रय लेकर व्याकरण सम्मत नियमों से लेखन के सहारे अपने आन्तरिक मनोभावों को साकार करता हैं। वास्तुकार, चित्रकार तथा लेखक का उद्देश्य एक ही है–रचना करना। अपने व्यक्तित्व की छाप कृति पर अंकित करना। शिक्षा का उद्देश्य छात्र की अन्तर्निहित भावनाओं और शक्तियों को सुअवसर देकर उसका पूर्ण विकास करना है। भाषा को इन शक्तियों का आधार बनाया जाता है। यदि बोलचाल और लेखन अभिव्यक्ति का समुचित आयोजन किया जाए तो मौलिक अभिव्यक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। आज विद्यार्थी सामान्यतः कुंजी आदि का सहारा लेकर निबन्ध, पत्र आदि लिखता है। ऐसा करने से अध्यापकों और विद्यार्थियों का परिश्रम तो बचता है लेकिन उनके सोचने समझने की शक्ति कुंठित हो जाती है। उनका लिखने के प्रति आत्मविश्वास नहीं बन पाता है। इस प्रकार उनके लेखन में नवीनता और मौलिकता का समावेश नहीं होता है। इसका कारण है छात्र की लेखन महत्व को न समझ पाने वाली सोच। भाषा में मौलिकता लाने के लिए भाषा प्रयोग में सृजनात्मकता लाना अति आवश्यक हो जाता है। इसके लिए विद्यार्थी

के समक्ष ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए कि वह हिन्दी भाषा में मौलिक सृजन करने के लिए प्रयासरत हो।

इसके लिए कुछ बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा–

सृजनात्मक हिन्दी साहित्य के विकास के लिए : आज के युग में मानव हृदय कठोर होता जा रहा है। वह अपनी स्पन्दता तथा संवेदनशीलता को खोता जा रहा है। प्राकृतिक स्रोतों का अपनी स्वार्थपरता के लिए अमानवीय दोहन जैसे विषयों पर ऐसे भावुक लेखकों की आवश्यकता है जो अपने मौलिक लेखन द्वारा वैज्ञानिक मन को गुदगुदाकर उन्हें अपनी भूल पर प्रायश्चित करने पर बाध्य कर सकें।

सामाजिक व्यवहार के लिए : परिवार की इकाईयाँ दूर–दूर के स्थानों पर जा बसी हैं। इन बिखरे बिन्दुओं को केन्द्रित करने के लिए पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। पत्र व्यवहार द्वारा सभी सदस्यों में मौलिक तथा नवीन विचारों की अभिव्यक्ति का समावेश होगा।

व्यावसायिक तथा वाणिज्य व्यवहार के लिए : आज हर युवक की स्वरोजगारोन्मुखी होने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्हें इक्कीसवीं शताब्दी में समरस होकर जीने को तैयार करना है। परिणामतः हमें व्यावसायिक और वाणिज्य सम्बंधी पत्र व्यवहार सार लेख आदि पर बल देना होगा।

ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए : आज विज्ञान की विभिन्न विधाओं का विकास हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक उर्जा के विभिन्न साधनों की खोज में लगे हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान खोज रहे हैं। इन मौलिक उद्‌भावनाओं को तभी स्थायी रूप दिया जा सकता है जब हम अपने विद्यालयों में छात्रों को वैज्ञानिक विधाओं में मौलिक सृजन करने का उचित अवसर प्रदान करें। इसके लिए निबन्ध या सार लेखन में प्रयुक्त जटिल शब्दावली को सरल और सहज भाषा में प्रकट करना सिखाएं। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति से लेकर समष्टि तक के के लिए मौलिक रचना के सृजन की आवश्यकता है।

9.6 भाषा विकास की प्रगति का आंकलन

बच्चों में भाषा के विकास की समस्या पर देश–विदेश के विद्वानों ने गहन चिन्तन किया है। बच्चे की अस्पष्ट वाणी सामाजिक वातावरण में जिस प्रकार सशक्त वाणी में परिवर्तित हो जाती है वास्तव में यह विचार का महत्वपूर्ण विषय है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात योग्यताओं से प्रतिबन्धित है। सामाजिक वातावरण उन योग्यताओं के विकास का अवसर मात्र देता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भाषा सीखने और सिखाने की बात केवल भाग्य पर छोड़ दें। सशक्त पारिवारिक, सामाजिक तथा विद्यालयी वातावरण भाषा कौशल के विकास में अत्यन्त सहायक हो सकते हैं।

शिक्षार्थी हिन्दी को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। इसके पाठ्‌यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक कक्षाओं में भाषा व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बड़ी कक्षाओं में

साहित्य ,गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास आदि, के रसास्वादन की क्षमता पैदा की जाती है। दैनिक जीवन में भाषा कौशल ही काम आते हैं। इसलिए जब छात्र साहित्य का अध्ययन करता है तो वह परोक्ष रूप से भाषा के कौशलों का भी अध्ययन करता है। छात्रों को इन कौशलों के अधिगम में ही उनकी कमियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा के चार कौशलों, सुनना बोलना, पढ़ना एवं लिखना को हम भाषा विकास की प्रगति के आकलन का आधार मान सकते हैं। इन कौशलों में आई कठिनाइयों का निवारण करते हुए भाषा का विकास कर सकते हैं। आइए विचार करें कि सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखते समय किन कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना छात्र को करना पड़ता है, उसका निराकरण अधिगम की दृष्टि से आवश्यक है।

9.6.1 श्रवण कौशल

सुनना तथा बोलना अन्योन्याश्रित हैं। बालक का सर्वप्रथम ज्ञान सुनने के माध्यम से ही होता है किन्तु बालक द्वारा श्रव्य सामग्री को कहाँ तक ग्रहण किया गया है ? इसका ज्ञान तब होता है जब वह बोलता है। अतः सुनना तथा बोलना दोनों कौशलों मे से अनुभूत समस्याओं का समाधान भाषा विकास का साधन है। श्रवण कौशल के कुछ दोष हो सकते हैं मौखिक रूप से दिए गए निर्देशों को न समझ पाना, स्वराघात, बलाघात, स्वर के उतार–चढ़ाव के अनुसार अर्थग्रहण न कर पाना आदि। यदि बालक शुद्ध एवं स्पष्ट भाषा में अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने में कठिनाई का अनुभव करता है तो शिक्षक को उसके कारणों की खोज कर उसका निदान करना पड़ेगा। ये कठिनाई कई प्रकार की हो सकती है।

उदाहरण : **निदान** : ट और त ध्वनियों को सुनकर दोनों में अन्तर न कर पाना। पत्ता को पट्टा, और पट्टा को पत्ता समझना।

उपचार : ''ट'' से बनने वाले कुछ शब्द सुनाना

कट्टा – कट्टर – टमाटर

'त' से बनने वाले शब्द सुनाना

तख्ती – कतल – पिता

तोता – पित्त आदि।

शिक्षार्थी इन शब्दों को सुनेगा और 'ट' तथा 'त' ध्वनियों में अन्तर समझने का प्रयास करेगा।

परीक्षण : सुधार के लिए शिक्षक इन ध्वनियों को पहचानने के लिए आदेश देगा।

शिक्षक : शिक्षार्थियों को शिक्षक 'त' और 'ट' ध्वनियो को पहचानने को कहेगा।

1. ताकना 2. टोकना 3. उलटना।

छात्र

पहले में 'त'

दूसरे में 'ट'

दूसरा उदाहरण–

निदान : व – ब ध्वनियों को सुनने में 'व' को 'ब', या 'ब' को 'व' सुनता है।

उपचार : व से बनने वाले कुछ शब्द सुनने के लिए आदेश देना–

वन	धनवान	चुनाव
वीणा	आवाज	पाव

'ब' से बनने वाले शब्द

बात	कबाब	किताब
बेर	कबीर	हिसाब

इन शब्दों को सुनाकर शिक्षक 'व' 'ब' में अंतर समझाएगा।

परीक्षण : छात्रों की प्रगति जानने के लिए शिक्षक ध्वनियों को पहचाने का आदेश देगा।

शिक्षक :– सुनिए किस शब्द में 'ब' ध्वनि है।

बात–वात – छात्र पहले में ब

बाद – वाद – छात्र दूसरे में व

इस प्रकार सभी श्रवण त्रुटियों को शब्द, पदबन्ध, वाक्य के स्तर पर छात्रों को सुनाकर उनमें ध्वनियों को पहचानने और अंतर स्पष्ट करने की क्षमता का विकास होगा।

श्रवण कौशल को त्रुटि रहित बनाने के लिए शिक्षार्थी को टेप द्वारा मानक उच्चारण सुनना अनिवार्य हो जाता है। शिक्षक द्वारा ध्वनि विभेदीकरण को अभ्यास कराया जाना चाहिए। रेडियो, टेलीविजन से निरन्तर भाषा सुनना भी इस कार्य में सहायक हो सकता है।

9.6.2 कथन कौशल, भाषण–अभिव्यक्ति कौशल

कथन कौशलों का उपयोग सम्प्रेषण में किया जाता है। कथन कौशल में ध्वनि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्वनि के उत्पादन में वागेन्द्रियों, जिह्वा, कंठ, ओठ आदि सम्मिलित हैं। भाषण कौशल मौखिक अभिव्यक्ति है। वार्तालाप, व्याख्यान, प्रवचन, आदेश–निर्देश आदि इसके रूप हैं। वक्ता मौखिक रूप से अपने विचारों को समझाने में सफल होता है किन्तु इसके अन्तर्गत भी निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई जाती हैं जो कि भाषा आकलन में सुधारी जा सकती है

– ध्वनियों तथा शब्दों का गलत प्रयोग।
– उचित स्थान पर विराम चिह्न न होना
– व्याकरण के नियमों का उल्लंघन।
– शब्दों का गलत प्रसंग में प्रयोग।
– आरोह, अवरोह की अज्ञानता।
– वर्णों का पूर्ण ज्ञान न होना।

छात्रों के साथ रहने वाला भाषा शिक्षक इन त्रुटियों को खोजकर उसका उपचार कर सकते हैं।

उदाहरण –

यह त्रुटियाँ अभ्यास द्वारा दूर की जा सकती हैं। निदान : छात्र 'श' को 'स' या 'ष' बोलते हैं।

उपचार

शिक्षक सुनिए और बोलिए–

साला – शाला

सेर – शेर

सोलह – शोला

शिक्षार्थी शिक्षक का अनुकरण कर इन त्रुटियाँ को दूर कर सकता है।

शिक्षक सुनिए और बोलिए–

- राधा सरकारी पाठशाला में पढ़ती है।
- शूरवीर पराक्रमी होते हैं।
- मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता।

छात्र शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों का अनुकरणीय वाचन करेंगे।

इसी प्रकार व – ब, श – ष, फ – फ़ सम्बन्धी दोषों का उपचार किया जाना चाहिए।

परीक्षण : सुनिए और 'गलत' शब्द को गलत सही शब्द को सही कहिए–

1.	विसवास	छात्र	:	गलत
2.	श्रृंगार	छात्र	:	सही
3.	आकास	छात्र	:	गलत
4.	आशा	छात्र	:	सही

यंत्रों के प्रयोग से शिक्षण सामग्री को टेप कर उसको बार–बार सुनना और अनुकरण कर अपनी भाषा को टेपांकित कर सुनना तथा अपनी त्रुटियों को दूर करते हुए बार–बार यही प्रयास कर अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को सुधारा जा सकता है। अन्यथा यदि शिक्षक का उच्चारण मानक है तो शिक्षक को सर्वोत्तम साधन मानकर उसका अनुकरण किया जा सकता है।

9.6.3 पठन कौशल

पठन कौशल का अर्थ है लिखित सामग्री का सस्वर या मौन वाचन करते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना। सस्वर वाचन करते समय शिक्षार्थी अनेक कारणों से शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारणों का उपचार भाषा विकास की प्रगति में सहायक होता है। शिक्षार्थी सामान्यतः पढ़ते समय निम्नलिखित त्रुटियाँ कर सकते हैं–

- अशुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना।
- मन्दगति से पढ़ना।
- विराम चिह्नों पर ध्यान न देना।
- भावानुरूप उतार–चढ़ाव, अनुतान के साथ न पढ़ना।
- संदेश को ठीक प्रकार से न समझ पाना।

उपर्युक्त कमियां जो कि सस्वर वाचन में पाई जाती हैं। इनका निदान और उपचार करना सरल कार्य है। मौन पठन के दोषों का निदान करना थोड़ा कठिन कार्य है। मौन पठन वाचन की सम्भावित त्रुटियाँ इस प्रकार हैं–

- पाठ्य सामग्री के मुख्य उद्देश्यों को न समझ पाना।
- कठिन शब्दों के अर्थ ग्रहण न कर पाना।
- दृष्टि दोष या उचित गति का अभाव।
- प्रश्नों के उत्तर न दे पाना।
- पर्यायवाची / विलोम शब्द न बता पाना।

उदाहरण –

स्थान	–	अस्थान
स्कूल	–	सकूल
नरेन्द्र	–	नरेंदर
ब्रिजेन्द्र	–	बरजेन्दर
प्राप्त	–	प्रापत

उपचार : उपर्युक्त उदाहरण में उच्चारण सम्बन्धित त्रुटियाँ हैं। इसके सुधार के लिए वही प्रयास कराए जाएगें जो श्रवण कौशल में प्रयोग किए गए हैं।
यंत्रों के प्रयोग से सरल और रोचक शैली में प्रयुक्त पुस्तकें पठन अभ्यास के लिए उपयोगी हैं। श्यामपट्ट लेखन सस्ता और उपयोगी साधन है। ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा पारदर्शियों पर लिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

9.6.4 लेखन कौशल :

अपने भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण होना। लिपि चिह्नों को सुन्दर सुडौल लिखना, लिपि चिह्नों को मिलाकर संयुक्ताक्षर बनाना। इसके पश्चात् पत्र, निबन्ध, कहानी, प्रश्नोत्तर आदि लिखना। लेखन कौशल को सफल बनाने में सहायक हैं।

लेखन कौशल में सम्भाव्य त्रुटियां इस प्रकार हैं–

- वर्तनी की त्रुटियां होना
- उचित परिच्छेद न बना पाना
- शिरो रेखा न बना पाना
- लेख का सुपाठ्य न होना

उदाहरण–

निदान :– अमानक संयुक्ताक्षर बनाना

मानक		अमानक	मानक		अमानक
क्त	–	क्‍त,	ल्ल	–	ℓ
द्ध	–	व्द,	ह्य	–	ह्‍य
ट्ठ	–	ट्ठ			

इनमें मानक अक्षर सुपाठ्य तथा सही हैं। जिसमें अधिकतर शिक्षार्थी गलती करते हैं। उन्हें इसका अभ्यास करना चाहिए।

निदान : कुछ छात्र अज्ञानतावश वर्तनी की निम्नलिखित त्रुटियां करते हैं–

शुद्ध – अशुद्ध
विद्या – विध्या
स्वयं – स्वंय
अध्ययन – अद्ययन
अध्यापक – अद्यापक

उपर्लिखित त्रुटियों को दूर करने के लिए शिक्षार्थी को श्रुतलेख, सुलेख का अभ्यास कराया जाना चाहिए।

अर्थग्रहण : अर्थग्रहण में छात्र को शब्द की बोधगम्यता होती है।

भाषा के सभी कौशलों में बोधगम्यता साथ–साथ चलती है। इसलिए कौशल सम्बन्धी त्रुटियों में इस त्रुटि पर भी उचित ध्यान देना चाहिए।

शिक्षार्थी को चार प्रकार का बोध ज्ञान होता है–

– शब्द बोध
– वाक्य बोध
– अनुच्छेद बोध
– सम्पूर्ण पाठ बोध

इन स्वरों पर शिक्षार्थी की योग्यता के अनुसार परीक्षण किए जाते हैं। अर्थग्रहण भी चार स्तरों पर होता है–

सूचनात्मक
कौन, क्या, कहाँ किसे
किसमें कहां आदि से
प्रारम्भ होने वाले प्रश्न

अवबोधात्मक
क्यों, कैसे आदि प्रश्न
अवबोध स्तर पर
परीक्षण करते हैं।

आलोचनात्मक
ऐसा क्यों नहीं, ऐसा
क्यों आदि प्रश्न
इस स्तर पर
पूछे जाते हैं।

सृजनात्मक
यदि वह ऐसा करता तो क्या
होता? यदि तुम वहाँ होते तो
क्या करते? सृजनात्मक
स्तर पर अर्थग्रहण करते हैं।

9.7 सतत् एवं समग्र मूल्यांकन

पारम्परिक शिक्षा प्रणाली पर कई प्रश्न खड़े थे। जिनका समाधान खोजने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा था और आज उसी का उत्तर है –सतत् और समग्र मूल्यांकन।

इस मूल्यांकन के आधार पर हम छात्र को निरन्तर सचेत रहने के लिए उत्साहित करते हैं। इसके अन्तर्गत छात्र के चहुमुखी विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि एक ओर मूल्यांकन में व्यापक रूप से सीखने की प्रक्रिया का आकलन किया जाता है तो दूसरी ओर निरन्तरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक छात्र की क्षमता को मापने की कसौटी वार्षिक परीक्षा ही थी। किसी कारणवश मेहनत करने वाला छात्र यदि वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ सका तो उसका साल खराब हो जाता था। इस बात का मानसिक तनाव छात्र को झेलना पड़ता था। पारम्परिक शिक्षा व्यवस्था में हम कहीं भटक से गए थे। इसलिए जरूरत थी ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जिसमें छात्र अपने विभिन्न कौशल को विकसित कर सके। ज्ञान जीवन मूल्य तथा मानवीय आदर्शों को अपना सके। इसका समाधान सतत् एवं समग्र मूल्यांकन के रूप में उभरा। इसके अन्तर्गत अध्यापन अधिगम प्रक्रिया पूरे साल चलती है ताकि विद्यार्थी सहज रूप से सीख सके। इसमें मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अन्तरालों का निदान, सुधारात्मक उपाय और स्वयं मूल्यांकन के लिए फीडबैक जरूरी है।

अभी तक हम उद्देश्यों की चर्चा बार–बार करते आए हैं कि सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम का अविभाज्य हिस्सा है।

- निरन्तर मूल्यांकन से छात्र में सुधार सहज एवं सरल है। वह बोझ से मुक्त होकर अपनी क्षमतानुसार कार्य करता है।
- छात्र की समझ क्षमता को विकसित होने के अनेक अवसर मिलने से स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।
- छात्र विशेष की जरूरत को समझ कर निदान प्रस्तुत किया जाता है।
- इसके द्वारा छात्र का बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। परीक्षा मूल्यांकन नहीं है यह केवल मूल्यांकन का साधन मात्र है।

सतत् एवं समग्र मूल्यांकन को विभिन्न सोपानों में देखा जा सकता है। पहले सोपान में विभिन्न साधनों, माध्यमों का प्रयोग करते समय कई तरीकों से जानकारी एकत्र की जाती है। पर्यवेक्षण, वार्तालाप, चर्चा, कार्य परियोजनाएँ आदि।

दूसरे सोपान में अध्यापन तथा अधिगम को सुधारने के लिए इस जानकारी को अभिलेखित करने की आवश्यकता है। इसके लिए साक्ष्य के रूप में छात्र के कार्यों के नमूने संग्रहित किए जाएँ। रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्र में छात्र की प्रगति दर्शायी जाए।

तीसरे सोपान में उपर्युक्त रिपोर्ट से अध्यापक, छात्र और माता–पिता मदद लेते हुए छात्र की उन्नति का प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया में छात्र तो लाभान्वित होंगे ही माता–पिता भी सन्तुष्ट होंगे।

अन्तिम सोपान में शिक्षक अधिगम को बढ़ाने के लिए अभ्यास कार्य का सहारा लेकर सुधार कार्य कराएगा।

अध्यापक को इन जानकारियों को एकत्र करते समय सजग और सचेत रहते हुए विद्यार्थी का हित केन्द्र में रखना होगा।

मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। निरन्तर चलते रहने के अनुसार मूल्यांकन भी निरन्तर होना चाहिए। छात्र को यहाँ आत्मचिन्तन का अवसर मिलेगा कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अध्यापक को छात्रों के हिसाब से गतिविधि का आयोजन करते रहना चाहिए। छात्र के पूर्वज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को कई उपकरणों एवं तकनीकों को अपनाना पड़ता है।

रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग शिक्षण द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में भयरहित छात्र की प्रगति के लिए किया जाता है। इसमें नियमित और व्याख्यात्मक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) द्वारा छात्र अपने प्रदर्शन को विश्लेषित कर सकते हैं और अपेक्षित सुधार ला सकते हैं।

9.8 स्व मूल्यांकन

स्व मूल्यांकन के अन्तर्गत शिक्षार्थी को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है कि वह अपनी समस्याओं या त्रुटियों की स्वयं खोज कर उसका निराकरण करे। भाषा शिक्षक की देखरेख में यह कार्य किया जाता है जैसे– सस्वर वाचन के समय अशुद्ध उच्चारण। वाचन की तीव्रता का अनुमान लगाकर शिक्षार्थी स्वयं की समस्या खोज निकालता है। उदाहरणार्थ– शिक्षार्थी टेपरिकार्डर के सामने आदर्श वाचन करता है और फिर उसे शांतिपूर्वक सुनता है। अपने द्वारा किया गया आदर्श वाचन सुनने पर छात्र को स्वयं की त्रुटियों का पता चलता है।

समस्या निवारणार्थ प्रयुक्त उपायों को क्रियान्वित करने के पश्चात् निश्चित अवधि तक उसी समस्या में शिक्षार्थी स्थिति को पुनः उसी प्रकार मापता है जैसा कि निवाराणार्थ उपायों को करने से पूर्व मापा गया था। इस प्रकार प्राप्त परिणामों के आधार पर यह देखा जाता है कि निवारणार्थ प्रयुक्त उपाय कहाँ तक कारगर हुए हैं, समस्या का समाधान किस सीमा तक हो सकता है।

इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा सुस्पष्ट किया जा सकता है–

समस्या : शिक्षार्थी द्वारा आदर्श वाचन में अशुद्ध उच्चारण :

आदर्श वाचन में शब्दों के अशुद्ध उच्चारण	अशुद्ध उच्चारित शब्दों की संख्या	मूल्यांकन के पश्चात् अशुद्ध उच्चारित शब्द संख्या	मूल्यांकन परिणाम सकारात्मक / नकारात्मक

उपर्युक्त मूल्यांकन के एक माह के अन्दर विभिन्न उपायों को लागू करने के पश्चात् शब्दों के अशुद्ध उच्चारण की तालिका के माध्यम में अन्तर को अंकित किया जाएगा।

9.9 आपसी मूल्यांकन

आपसी मूल्यांकन के अन्तर्गत दो शिक्षार्थियों को आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करने का समय दिया जाता है। एक शिक्षार्थी द्वारा अपने साथी शिक्षार्थी को आदर्श वाचन, श्रुतलेख, सार लेख, कविता का सस्वर वाचन दिया जाता है। इस प्रकार दोनों शिक्षार्थी उन कक्षागत क्रियाकलाप को मूल्यांकन का आधार बनाते हैं जो शिक्षक द्वारा कक्षा में पहले से आयोजित होते रहते हैं, जिन्हें शिक्षक पहले भी करता था। एक शिक्षार्थी द्वारा प्रयुक्त उपायों के आधार पर शिक्षार्थी के उच्चारण, लेखन में आए हुए परिवर्तन/परिणाम की तुलना दूसरे शिक्षार्थी से प्राप्त परिणाम के आधार पर की जाती है।

9.10 समूह मूल्यांकन

आपसी मूल्यांकन के समानान्तर समूह मूल्यांकन थोड़ा सा भिन्न है। इस मूल्यांकन के आधार पर दो समानान्तर समूहों की कार्य पद्धति में एक निश्चित अवधि के पश्चात् परिवर्तन कर दिया जाता है। एक समूह को जो कार्य एक समय में करने को दिया जाता है दूसरे समय वही कार्य दूसरे समूह को दिया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि दोनों समूहों में से किसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है। उदाहरण स्वरूप समूह एक को किसी नाटक के संवाद दिए जाएँ और देखा जाए कि सभी पात्रों ने संवाद, हाव–भाव तथा प्रस्तुतीकरण में अन्य समूह की तुलना में कितनी उपलब्धि अर्जित की है। दोनों समूह के पात्रों के संवाद, हाव भाव तथा प्रस्तुतीकरण में आई हुई त्रुटियों को शिक्षक द्वारा अतिरिक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सुधारा जाएगा।

9.11 अभ्यास प्रश्न

9.11.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1– सतत् और समग्र मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं पर रोशनी डालिए।

2– लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की विधि पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

3– कथन कौशल व पठन कौशल के मूल्यांकन के लिए किस तरह की विधि अपनायेंगे विस्तार से चर्चा कीजिए।

4– मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर रोशनी डालिए।

5– भाषा विकास की प्रगति के आकलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए।

9.11.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

1– समूह मूल्यांकन और आपसी मूल्यांकन में क्या अंतर है ?

2– स्वयं मूल्यांकन व्यक्तित्व के लिए क्यों जरूरी है ?

3– आपसी मूल्यांकन किसी भी संस्थान के विकास के लिए जरूरी है चर्चा करें।

4– सतत एवं समग्र मूल्यांकन के महत्व पर चर्चा करें।

5– मौलिकता और भाषा प्रयोग में सृजनात्मकता पर नोट लिखिए।

9.12 संदर्भ

- कौशिक, जयनारायण, हिंदी शिक्षण, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला।
- चतुर्वेदी, शिखा, हिंदी शिक्षण, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
- शर्मा, बी.एल., हिंदी शिक्षण, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
- पचौरी, गिरीश, हिंदी शिक्षण, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
- क्षत्रिया, के., मातृभाषा शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- सिंह, निरंजन कुमार, माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- भाई योगेन्द्रजीत, हिंदी भाषा शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

इकाई – 10 : प्रश्न पत्र रचनाएं, प्रश्नों का स्वरूप और आधार बिन्दु

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना
10.2 उद्देश्य
10.3 प्रश्न पत्र रचना एवं परिणामों का विश्लेषण
10.3.1 प्रश्न पत्र रचना
10.3.2 प्रश्नोत्तरों की जाँच
10.3.3 प्रश्न विश्लेषण
10.4 प्रश्नों का स्वरूप और आधार बिन्दु
10.4.1 उत्तर सीमा के आधार पर प्रश्न
10.4.2 समस्या समाधन संबंधी प्रश्न
10.4.3 सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न और कल्पनाशीलता को जीवित करने वाले प्रश्न–
10.4.4 समालोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न
10.4.5 परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न
10.4.6 गतिविधि और टास्क (खुले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न)
10.5 अभ्यास प्रश्न
10.5.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
10.5.2 लघु उत्तरीय प्रश्न
10.6 संदर्भ

10.1 प्रस्तावना

इस इकाई के अंतर्गत प्रश्न पत्रों की रचना और प्रश्नों के स्वरूप का अध्ययन किया जा रहा है। शिक्षण क्रिया को संपन्न करने के लिए सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया

जाता है। हिंदी शिक्षण में भी शिक्षण से पूर्व पाठ्यवस्तु को ध्यान में रखते हुये भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण होता है और छात्रों के व्यवहार में आए परिवर्तनों के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। छात्रों के इन व्यवहारगत परिर्वतनों, रुचियों, आकांक्षाओं, रूझानों एवं योग्यता की जाँच करने के लिए अध्यापक विभिन्न तकनीकों, विधियों एवं साधनों की सहायता लेता है। जिसमें परीक्षा मूल्यांकन भी एक मुख्य विधि है। कक्षा में पढ़ाये गए विषयों के आधार पर छात्रों के सम्मुख कुछ प्रश्न प्रस्तुत किये जाते हैं और उनके आधार पर छात्रों की विषयगत योग्यता की जाँच की जाती है। परीक्षा तीन प्रकार की होती है लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। इस परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। हम इस इकाई के अंतर्गत इन्ही प्रश्नों के स्वरूप और उनकी रचना का अध्ययन करेंगे। साथ ही हिंदी में मूल्यांकन हेतु एक प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है और ब्लूप्रिंट तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना होता है। हम इस इकाई में यह भी अध्ययन करेंगे।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- प्रश्नों के निर्माण में ब्लूप्रिंट का महत्व बता सकेंगे।
- प्रश्नों के विभिन्न प्रकार को बता सकेंगे।
- प्रश्न पत्र को मूल्यांकन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया को जान सकेंगे।
- विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सकेंगे।
-

10.3 प्रश्न पत्र रचना एवं परिणामों का विश्लेषण

10.3.1 प्रश्न पत्र रचना

मूल्यांकन की अनेक पद्धतियों में से सर्वाधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण पद्धति लिखित परीक्षा की पद्धति है। इस परीक्षा में किसी सीमित समय के भीतर लिखित प्रश्नों के आधार पर प्राप्त छात्र–छात्राओं के उत्तरों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। यही वह कसौटी है जिस पर छात्र–छात्राओं और शिक्षक की सफलता का आकलन किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि यह कसौटी प्रामाणिक, विश्वसनीय और सटीक हो। यह कार्य प्रश्नों के समुचित निर्माण द्वारा हो सकेगा। इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रश्न पत्र निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। अतः एक अध्यापक को प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

- हिन्दी भाषा की शिक्षा छात्र–छात्राओं में अनेक योग्यताओं का विकास करने के लिए दी जाती है। अध्यापक को सर्वप्रथम यह निर्धरित करना चाहिए कि वह छात्र–छात्राओं की किस योग्यता का मापन करने के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहा है। विचार ग्रहण योग्यता, अभिव्यक्ति योग्यता, सृजनात्मक योग्यता या किसी अन्य योग्यता की या इन सभी योग्यताओं के विकास का मापन करना है, इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए।

- छात्र–छात्राओं की योग्यताओं के बारे में निश्चय कर लेने के उपरांत इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि किस योग्यता को कितना महत्व देना है। किसी भी विधा के शिक्षण के जितने भी उद्देश्य पूर्वनिर्धारित किये गए हैं। उनमें से किसी भी उद्देश्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे हिन्दी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य यदि ज्ञान, अर्थबोध, अभिव्यक्ति और सौंदर्यबोध हैं तो अध्यापक को यह सोचना चाहिए कि इन सभी उद्देश्यों के लिए प्रश्न पत्र में कितने–कितने अंक देने हैं।
- उद्देश्यों का मान निर्धारित करने के पश्चात् अध्यापक को विषयवस्तु पर ध्यान देना चाहिए। भाषा शिक्षण या फिर हिन्दी भाषा की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की विषयवस्तु का चयन किया जाता है जैसे गद्य, पद्य, रचना, व्याकरण आदि। प्रश्न पत्र बनाने से पूर्व अध्यापक या अध्यापिका को यह तय करना चाहिए कि किस विधा को या विधा के किस भाग को कितने अंक देने हैं।
- प्रश्न पत्र बनाने के लिए अब अध्यापक या अध्यापिका को पूरा पाठ्यक्रम देखकर अधिक से अधिक भाग पर प्रश्न बनाने चाहिए। इसके लिए पहले परीक्षा की समयावधि तय कर लेनी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि उस समयावधि में यथा स्तर के छात्र–छात्राएं कितना कुछ लिख सकते हैं। यह विचार करने के उपरांत प्रश्नों का चयन करना चाहिए।
- प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण करने के लिए यह देखना चाहिए कि हिन्दी शिक्षण के किस उद्देश्य की प्राप्ति की जाँच किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा की जा सकती है। इसका निर्णय लेने के उपरांत ही प्रश्नों के प्रकार एवं संख्या का निश्चय करना चाहिए।
- प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण करने के उपरांत यह देखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न कितने अंकों के हों।
- अब अध्यापक को यह निर्णय लेना चाहिए कि पाठ्यवस्तु के किस भाग में से निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएँ, किस अंश में से लघु उत्तर और किस भाग में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायें।
- अब अध्यापक को पाठ्यवस्तु सामने रखकर प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा में बनाने चाहिए।
- प्रश्न इस प्रकार के हों कि प्रतिभाशाली, सामान्य एवं निम्नतम बुद्धि के सभी बच्चों का उचित मूल्यांकन हो सके।
- यदि प्रश्न पत्र में छात्र–छात्राओं को कुछ प्रश्नों की छूट देनी हो तो वह इस प्रकार से दी जाये कि छात्र–छात्राओं को पूरा प्रश्न पत्र तैयार करना पड़े।

10.3.2 प्रश्नोत्तरों की जाँच

प्रश्नोत्तरों की जाँच में अधिकतम व्यक्ति निरपेक्षता लाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। यह कार्य निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

लेखरूपी प्रश्नों के लिए

- प्रत्येक प्रश्न और उसके खंडों के पूर्णांक पूर्व निश्चित करने होंगे।
- समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के एक प्रश्न को एक समय में जाँचना होगा।

व्यक्ति–निरपेक्ष प्रश्नों के लिए

- सही उत्तर तालिका पहले ही बना लेनी होगी।
- यदि किसी गलत उत्तर का पता चलता है, तो उसे सही करके समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के उस विशिष्ट प्रश्न को पुनः जाँचना होगा।

10.3.3 प्रश्न विश्लेषण

छात्र–छात्राओं द्वारा अर्जित प्राप्तांकों का प्रश्नानुसार विश्लेषण उनके प्रश्नों की उपयुक्तता पर प्रकाश डालता है। हमें ज्ञात है कि ऐसे सरल प्रश्न जिनका उत्तर सभी सही उत्तर दे सकें या ऐसे कठिन प्रश्न जिनका उत्तर कोई न दे सके– प्रश्न पत्र में उचित नहीं है। उत्तम प्रश्न वह है जो उच्च और निम्न छात्र–छात्राओं का भेद बता सके। कोई ऐसा है या नहीं, इसका पता प्राप्तांकों द्वारा किया जा सकता है। साधरणतः पूरे प्रश्न पत्र के आधार पर प्रथम 26 प्रतिशत सबसे अधिक अंक पाने वाले और सबसे कम अंक पाने वाले अंतिम 26 प्रतिशत छात्र–छात्राओं को छाँट लेना चाहिए। इसके बाद दोनों वर्गों द्वारा किसी प्रश्न के संबंध् में दिये गए सही उत्तरों की संख्या लिख लेनी चाहिए। इन दोनों के योग द्वारा प्रश्नों का कठिनाई मूल्य और अंतर द्वारा भेद मूल्य ज्ञात हो जाता है। इनमें जिन प्रश्नों का कठिनाई मूल्य औसत के आस–पास और भेदक मूल्य यथेष्ट है, वे ही उपयुक्त और शेष व्यर्थ हैं ।

10.4 प्रश्नों का स्वरूप और आधार बिन्दु

विषयवस्तु के आधार पर प्रश्न किसी न किसी विषयवस्तु पर आधारित होते हैं। विषयवस्तु को हम मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं–

- तथ्य एवं घटनाएँ
- सिद्धान्त एवं अवधारणाएँ
- सृजनात्मकता एवं अभिव्यक्ति

प्रश्न : संधि के नियमों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न : गांधी जी ने किन–किन आंदोलनों में सहयोग दिया था।

योग्यता मापन के आधार पर प्रश्नों के द्वारा छात्र/छात्राओं की स्मरण शक्ति, समझ, प्रयोग करने की शक्ति, विश्लेषण, संश्लेषण और तुलना, समीक्षा आदि की योग्यताओं की भी जाँच की जा सकती है। मोटे तौर पर इन योग्यताओं के आधार पर हम प्रश्नों को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये वर्ग इस प्रकार हैं:–

ज्ञान : प्रत्यास्मरण अर्थात् कंठस्थ या पूर्वज्ञान सामग्री प्रस्तुत करना एवं प्रत्याभिज्ञान अर्थात् सही उत्तर को पहचानना।

बोध : विभिन्न सिद्धांतों, अवधारणाओं, तथ्यों और घटनाओं की प्रकृति, क्रम, सामाजिक वातावरण आदि की समझ।

प्रयोग : प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग, सृजनात्मकता, मौलिक लेखन, दिए गए कथनों का विश्लेषण, संक्षेपण, शीर्षक देना, तुलनात्मक अध्ययन आदि।
प्रश्न : रामचरितमानस की रचना किसने की थी।
प्रश्न : भक्तिकालीन पांच कवियों के नाम लिखिए।
प्रश्न : विपत्ति आने पर राजा हरिश्चंद्र को क्या करना पड़ा था।

10.4.1 उत्तर सीमा के आधार पर प्रश्नों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

निबंधात्मक प्रश्न – ये प्रश्न 60 से अधिक शब्दों की सीमा के होते हैं। ऐसे प्रश्नों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए कुछ छूट अवश्य रहती है, पर प्रश्नों के उद्देश्य स्पष्ट रहते हैं और उत्तर की सीमा भी बहुत अंशों तक निर्धारित रहती है जिससे मूल्यांकन करने में भी कुछ वस्तुनिष्ठता आ जाती है। उदाहरण के लिए:– उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि साहित्य सामाजिक कुरीतियों, निरंकुश शासन सत्ता और विकृत धार्मिक प्रथाओं के विरूद्ध (विद्रोह का भाव जगाने का बहुत बड़ा साधन रहा है।
निबंधात्मक प्रश्न (उदाहरण)
प्रश्न : अपने मित्र को अनुशासन का महत्व बताते हुए पत्र लिखो।
प्रश्न : निम्न में से एक विषय पर निबंध लिखो –
1 स्ववंत्रता दिवस 2 मेरा प्रिय खेल 3 प्रदूषण की समस्या

लघुत्तरात्मक प्रश्न – यह प्रश्न 1–60 शब्दों तक की सीमा के होते हैं अथवा संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नः– जिन प्रश्नों का उत्तर बहुत छोटा अर्थात् एक, दो, तीन, चार पंक्तियों में देना होता है उन्हें लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि सम्पूर्ण पाठ्यविषय पर आधारित प्रश्न दिये जा सकते हैं। उनके उत्तर लिखने में बहुत कम समय लगता है। उदाहरण के लिए:–
प्रश्न : लेखक ने साहित्य की क्या परिभाषा दी है?
प्रश्न : साहित्य को किन बातों का निर्णायक कहा गया है?
प्रश्न : किस प्रकार की जाति को असभ्य एवं अपूर्ण कहा गया है?
प्रश्न : संधि और समास में क्या अंतर है?
प्रश्न : भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे ?

वस्तुनिष्ठ/अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न – यह प्रश्न एक शब्द से एक वाक्य तक की सीमा के होते हैं । वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में स्वतंत्र भाव या विचार प्रकट की छूट नहीं रहती। प्रश्नोंत्तरों के विकल्प दिये रहते हैं, उनमें से सही उत्तरों को चिन्हित करना होता है। अतः उत्तर देने में

अत्यंत कम समय लगता है। इन प्रश्नों की जांच में भी कम समय लगता है। प्रश्नों की कुंजी बनी रहती है, उसके अनुसार जाँचना पड़ता है। उदाहरण के लिएः–

प्रश्न : रामचरित मानस किस भाषा में लिखा गया है।

- क. ब्रज
- ख. अवधी
- ग. खड़ी बोली
- घ. राजस्थानी

प्रश्न : प्रेम जैसी .... वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता।

प्रश्न : उपकार का विपरीतार्थक शब्द बताओ।

10.4.2 समस्या समाधन संबंधी प्रश्न

समस्यात्मक प्रश्न छात्र–छात्राओं के सामने प्रश्न के माध्यम से समस्या उत्पन्न करते हैं। जिसे हल करने के लिए उन्हें अपने मस्तिष्क को सक्रिय करना पड़ता है। इनका प्रयोग प्रायः गणित, विज्ञान, इतिहास आदि के शिक्षण में अधिक किया जाता है। इसके द्वारा छात्र–छात्राएँ पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान अर्जित करते हैं। इन्हें यदि पाठ के प्रारंभ में रखा जाये तो ये छात्र–छात्राओं की सक्रियता को बढ़ाते हैं तथा अन्त में पूछने का उद्देश्य अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग की योग्यता को आंकना है।

10.4.3 सृजनात्मक चिंतन वाले और कल्पनाशीलता को जीवित करने वाले प्रश्न

इन प्रश्नों के द्वारा छात्र–छात्राएँ अपनी तर्क, चिन्तन, कल्पना सृजनात्मकता आदि मानसिक शक्तियों को विकसित करते हैं तथा मस्तिष्क को अधिक सक्रिय एवं जाग्रत बनाते हैं। इसमें छात्र/छात्राओं को उत्तर देने के लिए तर्क, निर्णय, चिंतन आदि का प्रयोग करना पड़ता हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि ऐसे प्रश्न छात्र/छात्राओं की आयु, अनुभव, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर पूछे जाएँ। ये प्रश्न क्यों, कैसे आदि से संबंधित होते हैं। इससे छात्र–छात्राओं का ध्यान पाठ की ओर बना रहता है।

10.4.4 समालोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न

छात्र/छात्राओं के सहयोग से नवीन ज्ञान को तार्किक रूप से विकसित करते हैं। इनमें से छात्र–छात्राएँ मानसिक क्रियाएँ जैसे विचार, तर्क, चिन्तन आदि सक्रिय रहती हैं। सार रूप में समालोचनात्मक प्रश्न छात्र/छात्राओं के चिंतन, मनन द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रश्न शिक्षण बिन्दु से संबंधित छात्र–छात्राओं के सामान्य ज्ञान का आकलन कर नवीन ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं अर्थात् पाठ को विकसित करने में सहायता करते हैं।

10.4.5 परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न

परिवेश से संबंधित विषयों पर आधरित प्रश्न जिसमें पर्यावरण के प्रति सजगता को आधार बनाया जाता है। इसमें प्रदूषण, पानी, पेड़–पौधे जैसे प्रकरणों से संबंधित प्रश्न होते हैं।

10.4.6 गतिविधि और टास्क (खुले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न)

गतिविधियाँ या नियत कार्य करने के लिए दिये जाने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से विस्तृत जानकारी का संग्रह किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं गतिविधि और टास्क ऐसे कार्य हैं जिनके लिये विस्तृत समय और क्षेत्र में कार्य करना होता है। इसलिये हमें अपने छात्र छात्राओं को ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिनसे निर्धारित गतिविधि या टास्क का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं –

प्रश्न : आप अपने शहर से स्कूल तक आने वाले रास्ते पर दिखाई देने वाले विज्ञापनों की एक सूची बनाएँ और उनमें प्रयुक्त भाषा का विश्लेषण करें।

प्रश्न : किसी एक पड़ोसी से या व्यक्ति से 'हिन्दी राष्ट्रभाषा' पर एक साक्षात्कार करें और उसे लिखकर लाएँ ।

हमने अभी ऊपर प्रश्न और उनके प्रकार व स्वरूप और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर जो चर्चा की है। उसके आधार पर नीचे आपको एक ब्लू प्रिंट नमूना एवं उसकी एक उत्तर पुस्तिका दी गई है। आप इसका आवलोकन कर सकते हैं।

प्रश्नपत्र का प्रश्नानुसार विश्लेषण एवं प्रारूप
हिन्दी पाठ्यक्रम – अ
कक्षा–9वीं एवं 10वीं

निर्धारित समयावधि : 3 घंटे अधिकतम अंक : 80

क्र. सं.	प्रश्नों का प्रारूप	दक्षता परीक्षण / अधिगम परिणाम	अति–लघुत्तरात्मक 1 अंक	लघुत्तरात्मक 2 अंक	निबंधात्मक–I 4 अंक	निबंधात्मक–II 5 अंक	निबंधात्मक–III 10 अंक	कुल योग
क	अपठित बोध	अवधारणात्मक बोध, अर्थग्रहण, अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, शब्दज्ञान व भाषिक कौशल	05	05				15
ख	व्यावहारिक व्याकरण	व्याकरणिक संरचनाओं का बोध और प्रयोग, विश्लेषण एवं भाषिक कौशल	15					15
ग	पाठ्य पुस्तक	प्रत्यास्मरण, अर्थग्रहण (भावग्रहण) लेखक के मनोभावों को समझना, शब्दों का प्रसंगानुसार अर्थ समझना, आलोचनात्मक चिंतन, तार्किकता, सराहना, साहित्यिक परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, कार्य–कारण संबंध स्थापित करना, साम्यता एवं अंतरों की पहचान, अभिव्यक्ति में	02	12	01			30

		मौलिकता एवं जीवन मूल्यों की पहचान।						
घ	रचनात्मक लेखन (लेखन कौशल)	संकेत बिंदुओं का विस्तार, अपने मत की अभिव्यक्ति, सोदाहरण समझाना, औचित्य निर्धारण, भाषा में प्रवाहमयता, सटीक शैली, उचित प्रारूप का प्रयोग, अभिव्यक्ति की मौलिकता, सृजनात्मकता एवं तार्किकता				02	01	20
		कुल	1×22=22	2×17=34	4×1=4	5×2=10	10×1=10	80

प्रतिदर्श प्रश्न–पत्र
(2017–18)
हिन्दी–अ
कक्षा दसवीं
उत्तर संकेत

खंड – 'क' अंक–15

1	अपठित अंश	8
(i)	बोलने का विवेक और कला–पटुता को व्यक्ति की शोभा और आकर्षण कहा गया है। इसी कारण वह मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम का केन्द्र–बिंदु बन जाता है।	2
(ii)	विषय से हटकर बोलने वालों से, अपनी बात को अकारण खींचते चले जाने वालों से लोग ऊब जाते हैं।	2
(iii)	अनुशासित, संयमित, संतुलित, सार्थक और हितकर बोलना वाणी का तप है।	2
(iv)	बहुत कम बोलना हमारी प्रतिभा और तेज को कुंद कर देता है।	1
2	अपठित काव्यांश	7
(i)	भीषण बाधाओं और संकटों के प्रतीक हैं। कवि ने इनका संयोजन संघर्षशीलता और हिम्मत को दिखाने के लिए किया है।	
(ii)	कवि ने हमेशा संघर्षों और चुनौतियों का कठिन मार्ग चुना। उन्होंने कभी फूलों का अर्थात् सुख–सुविधा का मार्ग नहीं चुना।	2
(iii)	'युग की प्राचीन' का आशय है – संसार की बाधाएँ।	1
(iv)	उत्थान–पतन, उत्थान और पतन में द्वंद्व समास है।	1
	खंड – ख (व्यावहारिक व्याकरण)	अंक 15

3	रचना के आधार पर वाक्य भेद	1×3=3
क)	जब अध्यापिका ने छात्रा की प्रशंसा की तो उसका उत्साह बढ़ गया।	
ख)	ईमानदार ही सम्मान का सच्चा अधिकारी है।	
ग)	मिश्र वाक्य।	
4.	वाच्य	1×4=4
क)	हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा	
ख)	तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है।	
ग)	उन्होंने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया।	
घ)	माँ द्वारा अवनी को पढ़ाया गया।	
5.	पद परिचय	1×4=4
क)	विभीषणों – जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, संबंधकारक।	
ख)	देर तक – कालवाचक क्रिया विशेषण, 'होती रही' क्रिया की विशेषता बता रहा है।	
ग)	लिख रही है – सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, वर्तमान काल, कर्तृ वच्य	
घ)	अनेक – अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, 'चित्र' विशेष्य का विशेषण	
6	**रस**	1×4=4
क)	श्रृंगार रस के भेद – संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस।	
ख)	करूण रस का स्थायी भाव शोक है।	
ग)	अद्भुत रस का अनुभाव – रोमांच, आँखे फाड़कर देखना, काँपना, गदगद होना।	
घ)	हास्य रस हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल। तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल।।	
	खंड – 'ग' **(पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक)**	**अंक 30**
7 क)	स्त्री शिक्षा के विरोध में यह तर्क देते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियाँ पढ़ती न थीं और उनके पढ़ने पर रोक थी। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि वे इतिहास से अनभिज्ञ हैं।	2
ख)	अनर्थ का मूल स्रोत किसी व्यक्ति के चरित्र में होता है। कुसंस्कार, कुसंगति, कुत्सित विचार उसे अनर्थ करने के लिए प्रेरित हैं।	2
ग)	ऐसे लोग स्त्रियों को निरक्षर रखकर समाज का अपकार करते हैं तथा सामाजिक उन्नति में बाधा डालते हैं।	1

8 क)	देवदार की छाया शीतल और मन को शांत करने वाली होती है। फादर लेखक और उसके साथियों के साथ हँसी मजाक में शामिल रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते तथा उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। घरेलू उत्सवों और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर आशीषों से भर देते। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी।	2×4=8
ख)	शिष्या ने बिस्मिल्ला खाँ को फटी लुंगी पहने हुए देखकर डरते हुए कहा कि आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, अब तो भारत रत्न भी मिल चुका है और आप फटी लुंगी पहने रहते हैं। शिष्या के ऐसा कहने पर उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ साहब ने उसे समझाते हुए कहा कि ठीक है आगे से नहीं पहनेंगे, किंतु बनाव सिंगार में लगे रहते तो शहनाई कैसे होती।	
ग)	बालगोबिन भगत की पुत्रवधू की इच्छा थी कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद बालगोबिन भगत के पास ही रहे क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने ससुर की सेवा करना चाहती थी, किंतु भगत अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह कराने के पक्ष में थे।	
घ)	हिन्दी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के संपर्क में आने के बाद मन्नू भंड़ारी का साहित्य की अच्छी पुस्तकों से परिचय हुआ। शीला अग्रवाल ने मात्र पढ़ने को, चुनाव करके पढ़ने में बदला।	
9. क)	देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर रघुकुल के व्यक्ति अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं।	2
ख)	लक्ष्मण ने कहा हमें कुम्हड़े के छोटे पौधे की तरह मत समझिए, जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपनी निर्भीकता और वीरता को प्रदर्शित किया।	2
ग)	प्रस्तुत काव्यांश में यह शब्द बहुत कमजोर और निर्बल व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है।	1
10 क)	'आत्मकथ्य' कविता में कवि ने जीवन के यथार्थ और अभाव का वर्णन किया है। उसका मन खाली गागर के समान है।	2×4=8
ख)	कविता का शीर्षक 'उत्साह' इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल वर्षा करके पीडित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं।	
ग)	शब्दों के भ्रम की तरह नारी जीवन भर वस्त्र और आभूषणों के मोहपाश में बंधी रहती हैं। इसलिए कवि ने वस्त्राभूषणों को 'शब्दिक भ्रम' कहकर उन्हें नारी जीवन का बंधन माना है।	
घ)	अगर कड़ी टूट गई तो मुख्य गायक का गायन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो पाएगा। जब मुख्य गायक अपने सुरों से भटकने	

	लगेगा तो कोई उसे को संभालने वाला नहीं होगा।	
11	'कटाओ' को अपनी स्वच्छता और नैसर्गिक सौंदर्य के कारण हिन्दुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है क्योंकि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है, इस स्थान का व्यावसायीकारण नहीं हुआ है। 'कटाओ' अभी तक पर्यटक स्थल नहीं बना है। प्रकृति अपने पूर्ण वैभव के साथ यहाँ दिखाई देती है। आज के नवयुवक विशेष अभियान चलाकर प्राकृतिक स्थानों को गंदगी–मुक्त करके अपना योगदान दे सकते हैं। वे पर्यटकों तथा अन्य लोगों को प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अथवा 'माता का अंचल' पाठ में जिस विद्यालय का वर्णन है वहाँ अध्यापक बच्चों की पिटाई करके, उन्हें शारीरिक दंड देकर अनुशासन में रखते थे। आज के विद्यालयों में शारीरिक दंड देना वर्जित है। आजकल विद्यार्थियों को समझा बुझा कर अनुशासन में रखा जाता है। विद्यालय में परामर्शदाता की नियुक्ति की जाती है। परामर्शदाता शैक्षिक मार्गदर्शन देकर छात्रों को आत्म–समायोजन तथा सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करते हैं। आज के विद्यालयों में जो अनुशासन व्यवस्था है वह पुराने तरीके से अधिक अच्छी है।	4
	खंड घ **(लेखन)**	अंक 20
12		10
क)	निबंध लेखन	
	प्रस्तुति 1 अंक	
	भाषा शुद्धता 2 अंक	
	वाक्य–विन्यास 1 अंक	
	विषयवस्तु (संकेत बिंदुओं के आधार पर) 4 अंक	
	समग्र प्रभाव 2 अंक	
13	पत्र लेखन प्रारंभ और अंत की औपचारिकताएँ 1+1=2 विषयवस्तु 2 अंक भाषा शुद्धता 1 अंक	
14	विज्ञापन लेखन प्रारूप 2 अंक विषयवस्तु 2 अंक	

	भाषा	1 अंक	

प्रतिदर्श प्रश्न–पत्र

(2017–18)

हिन्दी–अ

कक्षा दसवीं

निर्धारित समय : 3 घंटे अधिकतम अंक : 80

सामान्य निर्देश

- इस प्रश्न पत्र में चार खंड हैं – क, ख, ग और घ।
- चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य हैं।
- यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए।

खंड – 'क' अंक–15

अपठित अंश

1	निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए– सुबुद्ध वक्ता अपार जनसमूह का मन मोह लेता है। मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम का केंद्र – बिंदु बन जाता है। बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता व्यक्ति की शोभा है, उसका आकर्षण है। जो लोग अपनी बात को राई का पहाड़ बनाकर उपस्थित करते हैं, वे एक ओर जहाँ सुनने वाले के धैर्य की परीक्षा लिया करते हैं, वहीं अपना और दूसरे का समय भी अकारण नष्ट किया करते हैं। विषय से हटकर बोलने वालों से, अपनी बात को अकारण खींचते चले जाने वालों से तथा ऐसे मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करने वालों से जो उस प्रसंग में ठीक ही न बैठ रहे हों, लोग ऊब जाते हैं। वाणी का अनुशासन, वाणी का संयम और संतुलन तथा वाणी की मिठास ऐसी शक्ति है जो हर कठिन स्थिति में हमारे अनुकूल ही रहती है। जो बात करने के पश्चात भी लोगों की स्मृतियों में हमें अमर बनाए रहती है। हाँ बहुत कम बोलना या सदैव चुप लगाकर बैठे रहना भी बुरा है। यह हमारी प्रतिभा और तेज को कुंद कर देता है। अतः कम बोलो, सार्थक और हितकर बोलो। यही वाणी का तप है।	8
(i)	व्यक्ति की शोभा और आकर्षण किसे बताया गया है?	2
(ii)	कैसे व्यक्तियों से लोग ऊब जाते हैं?	2
(iii)	वाणी का तप किसे कहा गया है?	2
(iv)	बहुत कम बोलना भी अच्छा क्यों नहीं है?	1

(v)	'राई का पहाड़ बनाना' मुहावरे का अर्थ लिखिए।	1
2	निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :– क्या रोकेंगे प्रलय मेघ ये, क्या विद्युत–घन के नर्तन, मुझे न साथी रोक सकेंगे, सागर के गर्जन–तर्जन। मैं अविराम पथिक अलबेला रूके न मेरे कभी चरण, शूलों के बदले फूलों का किया न मैने मित्र चयन। मैं विपदाओं में मुसकाता नव आशा के दीप लिए, फिर मुझको क्या रोक सकेंगे जीवन के उत्थान–पतन। मैं अटका कब, कब विचलित मैं, सतत डगर मेरी संबल, रोक सकी पगले कब मुझको यह युग की प्राचीर निबल। आंधी हो, ओले वर्षा हों, राह सुपरिचित है मेरी, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये जग के खंडन–मंडन। मुझे डरा पाए कब अंधड, ज्वालामुखियों के कंपन, मुझे पथिक कब रोक सके हैं अग्निशिखाओं के नर्तन। मैं बढ़ता अविराम निरंतर तन मन में उन्माद लिए, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे, ये बादल–विद्युत नर्तन।	7
(i)	कविता में आए मेघ, सागर की गर्जना और ज्वालामुखी किनके प्रतीक हैं? कवि ने उनका संयोजन यहाँ क्यों किया है?	2
(ii)	'शूलों के बदले फूलों का किया न मैंने चयन' – पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए।	2
(iii)	'युग की प्राचीर' से क्या तात्पर्य है?	1
(iv)	उपर्युक्त काव्यांश के आधार पर कवि के स्वभाव की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।	1
(v)	'उत्थान–पतन' शब्द में समास बताइए।	1

	खंड – ख (व्यावहारिक व्याकरण)	अंक 15
3	निर्देशानुसार उत्तर लिखिए	1×3=3
क)	अध्यापिका ने छात्रा की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढाया। (मिश्र वाक्य में बदलिए)	
ख)	जो ईमानदार है। वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है।	
ग)	ज्यों ही घंटी बजी छात्र अंदर चले गए। (रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए)	
4.	निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य परिवर्तन कीजिए	1×4=4
क)	हम रात भर कैसे जागेंगे ? (भाव वाच्य में बदलिए)	
ख)	तानसेन को संगीत सम्राट कहते हैं। (कर्तृ वाच्य में बदलिए)	
ग)	उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। (कर्तृ वाच्य में बदलिए)	
घ)	माँ ने अवनि को पढ़ाया (कर्म वाच्य में बदलिए)	
5.	रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए	1×4=4
क)	आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है।	
ख)	रात में देर तक बारिश होती रही।	
ग)	हर्षिता निबंध लिख रही है।	
घ)	इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं।	
6	निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए	1×4=4
क)	श्रृंगार रस के भेदों के नाम लिखिए।	
ख)	करूण रस का मूल स्थायी भाव लिखिए।	
ग)	अद्भुत रस का अनुभाव लिखिए।	
घ)	हास्य रस से संबधित काव्य पंक्तियाँ लिखिए।	
	खंड – 'ग' **(पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक)**	अंक 30
7	निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएः– पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरूषों से भी होते हैं। अनपढ़ों और पढ़े लिखों, दोनों से अनर्थ, दुराचार और	

	पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः बालक बालिकाओं एंव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थीं। उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी वे या तो इतिहास से अनभिज्ञता नहीं रखते या जान बूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है–समाज की उन्नति में बाधा डालना है।	
क)	कुछ लोग स्त्री शिक्षा के विरोध में क्या तर्क देते हैं और क्यों ?	2
ख)	अनर्थ का मूल स्रोत कहाँ होता है ?	2
ग)	स्त्री शिक्षा के विरोधी दंडनीय क्यों हैं ?	1
8	निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए:–	2×4=8
क)	देवदार की छाया और फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व में क्या समानता थी?	
ख)	शिष्या ने डरते हुए बिस्मिल्ला खाँ से क्या कहा? खाँ साहब ने उसे कैसे समझाया?	
ग)	बालगोबिन भगत की पुत्रवधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा न कर सके?	
घ)	'एक कहानी यह भी' नामक पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी का साहित्य की अच्छी पुस्तकों से परिचय कैसे हुआ?	
9	निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपुर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:– बिहसि लखनु बोले मृदु बानी। अहो मुनीसु महाभट मानी।। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूंकि पहारू।। अहाँ कुम्हड़बतिआ कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं।। देखि कुठारू सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमानान।। भृगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहौं रिसरोकी सुरमहिसुर हरिजन अरू गाई। हमरे कुल इनह पर न सुराई।। बधे पापु अपकीरति हारें। मारतहू पा परिअ तुम्हारें।। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु बानकुठारा।।	

क)	रघुकुल की परंपरा की क्या विशेषताएँ बताई गई हैं?	2
ख)	''इहाँ कुम्हड़बतिआ कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं।'' कहकर लक्ष्मण ने अपनी कौन सी विशेषता बताई है?	2
ग)	प्रस्तुत काव्यांश में 'कुम्हड़बतिया' शब्द किससे लिए प्रयोग किया गया है?	1
10	निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए	2×4=8
क)	'आत्मकथ्य' कविता में जीवन के किस भाग का वर्णन किया गया है	
ख)	'श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला' द्वारा रचित कविता 'उत्साह' के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए	
ग)	'कन्यादान' कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है?	
घ)	मुख्य गायक एवं संगीतकार के मध्य जुड़ी कड़ी अगर टूट जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? स्पष्ट कीजिए।	
11	'साना–साना हाथ जोडि' पाठ में कहा गया है कि कटाओं पर किसी दुकान का न होना वरदान है। ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है? स्पष्ट कीजिए। अथवा 'माता का आंचल' पाठ में वर्णित तत्कालीन विद्यालयों के अनुशासन से वर्तमान युग के विद्यालयों के अनुशासन की तुलना करते हुए बताइए कि आप किस अनुशासन व्यवस्था को अच्छा मानते हैं और क्यों?	4
	खंड़ घ **(लेखन)**	अंक 20
12	निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए	10
क)	स्वच्छ भारत– एक कदम स्वच्छता की ओर	
	प्रस्तावना	
	स्वच्छता का महत्व	
	वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति	

	स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ एवं लक्ष्य	
	उपसंहार	
ख)	ऊर्जा की बढ़ती माँग : समस्या और समाधान	
	प्रस्तावना	
	ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का समाप्त होना	
	नवीन स्रोतों का समाप्त होना	
	नवीन स्रोतों की आवश्यकता	
	हमारी ऊर्जा पर निरर्भरता	
	उपसंहार	
ग)	सामाजिक संजाल (सोशल नेटवकिंग) वरदान या अभिशाप	
	प्रस्तावना	
	सोशल नेटवर्किंग के लाभ	
	सोशल नेटवर्किंग से हानियाँ	
	उचित प्रयोग के लिए सुझाव	
	उपसंहार	
13	आपकी कक्षा के कुछ छात्र छोटी कक्षाओं के विद्‌यार्थियों को सताते हैं। इस समस्या के बारे में प्राचार्य जी को पत्र लिखकर बताएँ और कोई उपाय भी सुझाइए। अथवा आज दिन–प्रतिदिन सूचना और संचार माध्यम लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे में पत्र लेखन पीछे छूटता जा रहा है। पत्र लेखन का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए	5
14	आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा आपकी बड़ी बहन ने एक संगीत सिखाने की संस्था खोली है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए।	5

10.5 अभ्यास प्रश्न

1.5.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. 8 वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुये प्रश्न पत्र एवं ब्लूप्रिंट का निर्माण कीजिए।
2. प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते वक्त किन–किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3. प्रश्नों के प्रकारों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।
4. हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
5. निम्नलिखित किन्हीं तीन विषयों पर चर्चा कीजिए

(क) समालोचनात्मक प्रश्न
(ख) परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न
(ग) बहुविकल्पी प्रश्न
(घ) समस्या समाधान प्रश्न

10.5.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. विषयवस्तु के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करने में किन तथ्यों को शामिल किया जाता है।
2. निबंधात्मक प्रश्न से आप क्या समझते है ?
3. ब्लूप्रिंट का महत्व बताइए।
4. अच्छे प्रश्न पत्र के गुणों की चर्चा कीजिए।
5. समस्यात्मक प्रश्न के उदाहरण दीजिए ।

10.6 संदर्भ

- सफाया, रघुनाथ, हिंदी शिक्षण विधि, पंजाब किताब घर, जालंधर।
- मुकर्जी, संध्या, भाषा शिक्षण, प्रकाशन केंद्र, लखनऊ।
- पाण्डेय, रामशकल, हिंदी शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- क्षत्रिया, के., मातृभाषा शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- सिंह, निरंजन कुमार, माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- भाई योगेन्द्रजीत, हिंदी भाषा शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- सिंह, सावित्री, हिंदी शिक्षण, गया प्रसाद एण्ड संस, आगरा।